

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930. Telefax 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸਦਰਸ਼/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2017-18

July 1, 2017

To,

Bombay Stock Exchange Limited,
Department of Corporate Services,
25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.
SCRIP ID : PSB
SCRIP CODE : 533295

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.
SYMBOL: PSB SERIES: EQ

Dear Sir,

Reg: Annual Report 2016-17

We have informed stock exchanges on 19.05.2017 that the Seventh Annual General Meeting of Shareholders of the Bank will be held on Thursday, June 29th, 2017 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi -110003.

We are forwarding Annual Report 2016-17 as per compliance of Clause 34(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Yours faithfully,


[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary



वार्षिक रिपोर्ट - Annual Report

2016-17



आपकी बैंकिंग जरूरतों के प्रति सदैव संवेदनशील
Always Responsive to Your Banking Needs



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.
Chairman & Managing Director
Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.



कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन
Executive Director
Sh. Mukesh Kumar Jain



कार्यकारी निदेशक
श्री फरीद अहमद
Executive Director
Sh. Fareed Ahmed



श्री एस.आर. मेहर
Sh. S.R. Mehar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री एम.एस. सारंग
Sh. M.S. Sarang



श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta



श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen

विषय—सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4-25
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	26-45
5. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	46-89
6. व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	90-113
7. बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	114-189
8. वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	190-193
तुलन-पत्र / Balance Sheet	194-195
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	194-197
अनुसूचियाँ / Schedules	198-261
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	262-265
9. घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा) / नामांकन फार्म Format of Declaration (By Candidate) Nomination Form	266-273
10. प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	274-275
11. उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	276-277

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2017 को / As on 31.03.2017

1. जमा Deposits	8554016
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6026309
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2492813
4. सकल निवेश Gross Investments	2799761
5. परिचालन लाभ Operating Profit	124188
6. शुद्ध लाभ Net Profit	20108
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.20%
8. भुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	7.51 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.57%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.05%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

Chairman & Managing Director

Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक

श्री मुकेश कुमार जैन

Executive Director

Sh. Mukesh Kumar Jain

कार्यकारी निदेशक

श्री फरीद अहमद

Executive Director

Sh. Fareed Ahmed

निदेशक / Directors

श्री एस.आर. मेहर

Sh. S.R. Mehar

श्री प्रदीप्त के. जेना

Sh. Pradipta K. Jena

श्री अतनु सेन

Sh. Atanu Sen

श्री एम.एस. सारंग

Sh. M.S. Sarang

श्री सुखेन पाल बबूता

Sh. Sukhen Pal Babuta

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एम.जी. श्रीवास्तव

Sh. M.G. Srivastava

श्री दीपक मैनी

Sh. Deepak Maini

श्री जी.एस. डल्ल

Sh. G.S. Dhall

श्री डी.डी. शर्मा

Sh. D.D. Sharma

श्री वीरेन्द्र गुप्ता

Sh. Varinder Gupta

श्री जी.एस. नारंग(प्रतिनियुक्ति पर)

Sh. G.S. Narang (On Deputation)

श्री एस.सी. क्वात्रा

Sh. S.C. Kwatra

श्री आर. के. बंसल

Sh. R.K. Bansal

श्री जी.एस. धिंगरा

Sh. G.S. Dhingra

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएट्स

M/s Tiwari & Associates

मैसर्स धिल्लों एण्ड एसोशिएट्स

M/s Dhillon & Associates

मैसर्स धवन एण्ड कं.

M/S Dhawan & Co.

मैसर्स दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

M/S Davinder Pal Singh & Co.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21—राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

www.psbindia.com**नोटिस**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40—मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली—110003 में बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों पर विचार—विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण अर्थात् बैंक का 31 मार्च, 2017 के लेखा परीक्षित तुलन—पत्र, और लाभ—हानि लेखों, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन—पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
 2. केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा (9)(3)(i), बैंककारी नियामक अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980 (जोकि "योजना" के नाम से जानी जाएगी) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 (जोकि "अधिनियमों" के रूप में जाने जाएंगे) नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 सं. डीबीओडी. नं. बीसीनं. 46/29.39.001/2007-08 की अधिसूचना (जोकि "आरबीआई अधिसूचना" के नाम से जानी जाएगी) के तहत वैध नामांकन प्राप्त किए गए और निम्न प्रस्ताव पारित किया गया: "निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में अधिनियम की धारा (9) (3) (i), योजना के रूप में पढ़ा गया एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, के तहत 01 जुलाई, 2017 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, बैठक की तिथि से अगली तिथि और इस तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कार्यभार ग्रहण करेंगे"।
- एतद् द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 23.06.2017 से 29.06.2017 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, बंद रहेगी।
- बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान करने/ई—मतदान करने और सहभागिता करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए बृहस्पतिवार, अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 22 जून, 2017 निर्धारित की है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2017

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 29th June, 2017 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003, to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with The Banking Regulations Act, 1949 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 made pursuant to Section 19 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Notification No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 issued by Reserve Bank of India and to pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from July 01, 2017 and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.”

Notice is also hereby given that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from 23.06.2017 to 29.06.2017 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

Further, the Bank has fixed Thursday June 22, 2017 as ‘Cut-off’ Date for ascertaining the shareholders who will be entitled for voting/e-voting and attending AGM.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 18 May, 2017

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक विवरण

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 2 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्न दिया गया है।

मद संख्या 2 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2017 को बैंक की प्रदत्त ईक्वटी शेयर पूंजी रु. 400.41 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार की 79.62% तथा अन्य के पास 20.38% की धारिता है। धारा 9(3)(i) के पैरा (ii) के प्रावधान के अनुसार, बैंक को निदेशक मंडल में शेयरधारकों के अपने बीच में से चुने गए दो शेयरधारक निदेशक रखने अनिवार्य हैं। दिनांक 30.06.2014 को शेयरधारकों के मध्य से तीन वर्ष की अवधि हेतु चुने गए दो निदेशक अपना कार्यकाल दिनांक 30.06.2017 को पूर्ण कर लेंगे।

निदेशक मंडल ने दिनांक 29.03.2017 की अपनी बैठक में शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया के तहत नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक जो चुना जाएगा, चुने जाने की दिनांक से कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा, दिनांक 01.07.2017 से तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुबंध-डी) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.06.2017 (शनिवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा पंजीकृत है।

3. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24.06.2017 (शनिवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

4. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2017 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 2

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, inter alia, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2017 was Rs. 400.41 crore of which 79.62% is held by the Govt. of India while 20.38% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 30.06.2014 from amongst the shareholders, for a period of three years, are completing their term on 30.06.2017.

Accordingly, the Board of Directors in their meeting dated 29.03.2017 has decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from 01.07.2017 and will hold office for a period of three years.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'D') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2017 (Saturday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2017 (Saturday).

4. **REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 29.06.2017, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुबंध 'E') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सीक या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात् होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

5. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्र-व्यवहार

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट-पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, कम्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नजदीक पी.वी.आर. नारायणा, नई दिल्ली-110028.

फोन: 011-41410592, 41410593, ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में है, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपोजिटरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें।

6. लाभांश

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश को घोषित करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्डों को बैंक पूर्ण नहीं करता है, निदेशक मण्डल ने वर्ष 2016-17 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

7. डाक पते में परिवर्तन

क. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते तथा बैंक विवरण में कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित सहभागी डिपोजिटरी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

ख. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर(उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य उल्लेख करें।

8. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए उक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

9. फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

10. शेयर धारकों से अनुरोध

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएँ। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई है, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या दिनांक 23.06.2017 तक complianceofficer@psb.co.in पर ई-मेल करें।

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-‘E’) to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as ‘Proxy’ or ‘Authorised Representative’ as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license /Aadhar Card etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I, Near PVR Naraina, New Delhi-110 028.

Ph: 011- 41410592, 41410593 email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

6. DIVIDEND

As the Bank does not conform to the eligibility criteria prescribed by the RBI for declaration of dividend, the Board has not recommended any dividend for the year 2016-17.

7. CHANGE OF ADDRESS

- a) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address, bank details immediately to the Bank’s Share Transfer Agent, i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address, bank details to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank’s Share Transfer Agent.
- b) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank’s Registrar and Share Transfer Agent.

8. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks’ Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks’ Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to the Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in by 23.06.2017.

11. शेयर धारकों के मताधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वार्षिक सामान्य बैठक की ई-वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक (कट ऑफ डेट) 22.06.2017 है। ई-वोटिंग की अवधि 26.06.2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 28.06.2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात ई-वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. निदेशकों का चुनाव:

बैंक के शेयरधारक ने, केंद्रीय सरकार के शेयरधारकों के अलावा, दिनांक 30 जून, 2014 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव किया जिन्होंने 01 जुलाई, 2014 को कार्य ग्रहण किया और जिनका कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2017 को समाप्त हो जाएगा। रक्तियों को भरने के उद्देश्य से जो 30 जून, 2017 को रिक्त हो जाएंगी, बैंक दिनांक 29 जून, 2017 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव को प्रस्तावित करता है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के शेयरधारकों के अलावा) विभिन्न संबंधित अधिनियम/योजना/विनियमनों/ अधिसूचना/दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने नामांकनों को प्रेषित करने हेतु पात्र हैं, जिसका संबंधित सार/भाग को निम्न प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है। यदि नामांकनों की छानबीन के बाद नामांकनों की संख्या दो के समतुल्य है जिनको शेयरधारक बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और बैंक में बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा फिट एवं प्रोपर स्थिति निर्धारित करने के बाद अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव होने के बाद दो निदेशकों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे चुने गए निदेशक को 01 जुलाई, 2017 से पद पर माना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। अन्यथा, यदि नामांकनों की संख्या दो से अधिक होती है तो मतदान (दोनों ई-मतदान/मतदान) द्वारा चुनाव किया जाएगा।

वैधानिक प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमन अधिनियम/योजना/विनियमनों/अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधानों को निम्न तालिका दर्शाती है:

नियम/योजना/अधिनियमों/ अधिसूचनाओं/ दिशा-निर्देशों	प्रावधानों	लघु विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (ne) धारा 16(1) धारा 20	➤ वास्तविक हित ➤ कॉमन निदेशक की मनाही (निषेध) ➤ किसी भी निदेशक को या उसके स्थान पर ऋण या अग्रिम देने में प्रतिबंध।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3(2E) धारा 9(3)(i) धारा 9(3A)(A) से (C) धारा 9(3AA) धारा 9(3AB) धारा 9(3B) धारा 13(2)	➤ मताधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ भा.रि. बैंक के निर्धारण अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चयन हेतु पात्र नहीं होगा यदि उसके विगत रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य किसी मानदंड के अनुसार उसकी स्थिति फिट एवं प्रोपर नहीं है। ➤ ऐसे चुने गए निदेशक जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3A) और 9(3AA) की अनिवार्यताओं को पूर्ण नहीं करता है, उसको भा.रि. बैंक हटा सकता है। ➤ गोपनीयता तथा विश्वसनीयता के रूप में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11A खण्ड 11B खण्ड 12(8)	➤ चुने गए निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य होना ➤ निदेशक कार्यालय की छुट्टियां ➤ चुने गए निदेशक को पद से हटाना ➤ चुने गए निदेशक के कार्यालय में अनियत रक्ति भरना ➤ कुछ व्यवस्थाओं में जिनमें उनके हित हैं, निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन

11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 22.06.2017. The e-voting period shall commence on 26.06.2017 from 10.00 a.m. and end on 28.06.2017 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Incase they vote through poll, the same will not be considered.

12. ELECTION OF DIRECTORS:

The shareholders of the Bank other than the Central Government at Annual General Meeting held on 30th June, 2014 elected two Shareholder Directors, who assumed office on 1st July, 2014 and their term comes to an end on 30th June, 2017. With a view to fill in the vacancies that will arise on 30th June, 2017, Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at the Annual General Meeting convened on 29th June, 2017.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/ Scheme/ Regulations/ Notification/ Guidelines, the relevant extracts/portions of which are reproduced hereunder. Two directors will be elected either, if the number of nominations is equal to two after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 1st July, 2017, and will hold office for a period of three years. Otherwise in case the no. of nominations exceeds two, then the election shall be done by way of voting (both e-voting / poll).

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS/DIRECTIVES	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3(2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications for being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बेटकों) अधिनियम, 2008	अधिनियम 10 अधिनियम 61 अधिनियम 63 अधिनियम 64 अधिनियम 65 अधिनियम 66 अधिनियम 67 अधिनियम 68 अधिनियम 69 अधिनियम 70	➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग करना ➤ सामान्य बैठक में मतदान ➤ सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकन की छानबीन ➤ चुनाव विवाद ➤ मताधिकार का निर्धारण ➤ प्रति प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान ➤ प्रतिनिधि
भा.रि. बैंक की अधिसूचना दिनांक 01.11.2007 संख्या डीबीओडी.नं. बीसी. नं.46 तथा दिनांक 23.05.2011 संख्या डीबीओडी.नं. बीसी. नं. 95/29/39/001/2010-11	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3AA) और धारा 9(3AB) के अनुक्रम में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल में चुने गए निदेशकों हेतु फिट एव प्रोपर मानदंड
भा.रि. बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2014—दिनांक 01 जुलाई, 2014 का मास्टर परिपत्र संख्या डीबीओडी. नं.डाय. बीसी. 16/13.03.00/2014-15		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक अहर्ताएं

अधिनियम की धारा 9 (3-ए) में दी गई शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो अधिनियम की उपधारा 9 (3) के खंड (i) के अनुसरण में निदेशक चुना जाना चाहता है, को होना चाहिए:

क) निम्न एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए जिनका नाम:-

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था;
- बैंकिंग;
- सहकारिता;
- अर्थशास्त्र;
- वित्त;
- कानून;
- लघु उद्योग;
- भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि में अन्य किसी मामले की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव।

ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग) कृषकों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और बैंक का निदेशक बनने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी 'फिट एवं प्रोपर' दिशानिर्देशों के अनुसरण में होना चाहिए। आगे, चुने हुए निदेशक को प्रतिज्ञापत्र के विलेख निष्पादित करना चाहिए और उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

शेयरधारक निदेशक के रूप में उम्मीदवार का चुनाव करने में 'फिट एवं प्रोपर' का निर्धारण करते समय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक (एन.ओ.डी.) के चयन हेतु भारत सरकार के निम्न दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाना होगा:

Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. No. BC. No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 16/13.03.00/2014-15 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors

QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall -

- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- agriculture and rural economy;
 - banking
 - co-operation;
 - economics;
 - finance
 - law;
 - small-scale industry;
 - any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.
- B) represents the interest of depositors; or
- C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director shall also execute the deed of covenant and is required to furnish annual declarations/ changes, if any, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard. Further the elected director shall also execute the deed of covenant and is required to furnish annual declarations/changes, if any, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

The following guidelines of Government of India for selection of Part-time Non-Official Director (NoD) on the boards of public sector banks shall be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the candidate to be elected as Shareholder Director:

- क) विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, बैंककारी सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कंपनी कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ प्रसिद्ध व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्ष का उद्योग अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व, गिरती हुई संस्था में पुनः संचार करना) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ख) संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ 20 वर्ष के कुल अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। एक वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सी.एम.डी./ई.डी.। भूतपूर्व सी.एम.डी./ई.डी. को उस तिथि से निदेशक मंडल में एन.ओ.डी. के रूप में नियुक्त करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिस तिथि पर वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत सी.एम.डी./ई.डी. को अन्य पी.एस.बी. के निदेशक मंडल में एन.ओ.डी. के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- ग) प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद् निदेशक और प्रोफेसर जिनका 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।
- घ) 20 वर्ष के अनुभव वाले सनदी लेखाकारों (लेखा परीक्षण के अतिरिक्त) को भी वरीयता दी जाएगी।
- ङ) जहाँ कहीं भी संभव हो, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

शिक्षा: उम्मीदवार को किसी भी विषय में कम से कम स्नातक अवश्य होना चाहिए, प्राथमिक रूप से व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ।

आयु: विवेचना की तिथि तक उम्मीदवार की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् 15.06.2017.

कार्य अनुभव: पेशेवरों/शिक्षाविदों को अपने विशेष कार्यक्षेत्र में सामान्य रूप से 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

कार्यकाल: किसी भी एन.ओ.डी. को बैंक/वित्तीय संस्थान के मंडल में एन.ओ.डी. के रूप में नामित करने पर विचार नहीं किया जा सकता यदि ऐसा निदेशक पूर्व में किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के मंडल में छः वर्ष की अवधि हेतु निरन्तर अथवा अंतराल पर एन.ओ.डी./शेयरधारक निदेशक रहा है।

पेशेवर प्रतिबंध: पेशेवर प्रतिबंध का मामला अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) प्रावधान योजना, 1970 के अंतर्गत खंड 10(घ) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद की अलग से जाँच की जा सकती है।

बैंक के निदेशक चुने जाने से अयोग्य किया जाना

- क. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1980 की शर्त 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में या नियुक्त होने से अयोग्य किया जा सकता है:
- यदि उसको दिवालिया या भुगतान में चूक या उसने अपने देनदारों से धोखाधड़ी की है; या
 - यदि उसको पागल पाया गया है और सक्षम अदालत द्वारा पागल करार दिया गया है; या
 - यदि उसको क्रिमिनल अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित है;
 - यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गठित सहायक बैंक, पूर्ण-कालिक निदेशक के पद धारण के अलावा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित है और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के अतिरिक्त, लाभ के पद पर आसीन है।
- ख. यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना दिनांक 01.11.2007 सं.डीबीओडी. नं.बीसीनं.46/29.39.001/2007-08 एवं सं.डीबीओडी.नं.बीसीनं.47/29.39.001/2007-08 और दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी. नं. बीसी. नं.98/29.39.001/2010-11 तथा अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'फिट एवं प्रोपर' नहीं पाया जाता है।

निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के अनुसार, एक चुना हुआ निदेशक तीन वर्ष हेतु पद पर बना रहेगा और पुनः चुनाव का पात्र होगा।

बशर्ते इस प्रकार का कोई भी निदेशक छः वर्ष की अवधि से अधिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता है।

शेयरधारकों का अधिनियम की धारा 9 (3बी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3A) और 9(3AA) की अनिवार्यताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

- a) Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turn around in a falling organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.
- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- e) Wherever possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST/OBC community.

EDUCATION : The candidate should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

AGE : The age of the candidate should not be more than 67 years on the date of scrutiny i.e., 15.06.2017.

WORK EXPERIENCE : Professional/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

TENURE : An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NoD/Shareholder Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

PROFESSIONAL RESTRICTION : The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision Scheme, 1970 may be separately examined.

DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors ; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- B. If he is not found to be 'Fit and proper' person in terms of Notification No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and/or other guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

अधिनियमों के विनियमन 65 और भा.रि. बैंक की अधिसूचना दिनांक 01.11.2007 संख्या डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46एवं47 / 29.39.001 / 2007-08 के साथ पठित दिनांक 23.05.2011 संख्या डीबीओडी.नं.बीसी.नं. 95 / 29.39.001 / 2010-11 तथा दिनांक 01.06.2011 के सरकारी दिशा-निर्देशों, अन्य विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते:

- वह बैंक का शेयरधारक हो तथा दिनांक 26.05.2017 जो कि चुनाव में सहभागिता करने हेतु अंतिम निर्धारित तिथि को उसके पास कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हैं और बैठक की तिथि तक तथा उसके बाद, निदेशक के रूप में उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, यदि वह चुना जाता/चुनी जाती है, उसके पास न्यूनतम 100 शेयर होने चाहिए।
- वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 14.06.2017 को अधिनियम/योजना/भा.रि. बैंक की अधिसूचना/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निदेशक के चयन हेतु अयोग्य घोषित नहीं हुआ/हुई हो।
- अधिनियम के अंतर्गत नामांकन कम से कम ऐसे 100 शेयरधारक जो निदेशक का चयन करने के पात्र हों, द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि किसी ऐसे शेयरधारक जो कि एक कंपनी हो, तो उस कंपनी के निदेशकों द्वारा एक मसौदा पास होने के बाद किया जाएगा और जहाँ वह इस प्रकार किया गया हो वहाँ वह संकल्प जिस सभा से पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के उप महा प्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली को प्रेषित की जायेगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जायेगा।
- उक्त नामांकन किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के घोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमनों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं हुआ है, के साथ उसके प्रति हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) और पुष्टि करते हुए कि उसकी जानकारी तथा सत्यनिष्ठा के अनुसार ऐसे विवरण सत्य हैं। उसकी वचनबद्धता कि ऐसी घटनाओं से संबंधित जानकारी जितनी भी जल्दी संभव हो, बैंक को पूर्ण रूप से सूचित की जाती रहेगी।
- अधिनियम द्वारा निर्धारित नामांकन प्रारूप और घोषणा प्रारूप संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं। (बैंक की वेबसाइट www.psbndia.com पर उपलब्ध है)

नामांकन फार्मों को प्रस्तुत करना:

ऐसे शेयरधारक, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त जो बैंक के शेयरधारकों में से चुनाव में भाग लेना चाहते हों, उन्हें निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे—

- संलग्न 'A' प्रारूप में विधिवत् रूप से भरा हुआ (घोषणा पत्र) जो कि आचरण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, बायो डाटा, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य के साथ संलग्न हो
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'फिट एवं प्रोपर' की शर्तों के अनुसार जारी किए गए दिशानिर्देशों संलग्न प्रारूप 'B' के अनुसार "उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र तथा वचनपत्र" अन्य आवश्यक संलग्नकों के साथ और
- बैंक के कम से कम 100 ऐसे शेयरधारक जिनको नामांकन करने का अधिकार हो, द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र, जिसका प्रारूप (संलग्नक C) इस सूचना में दिया गया है एक मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "शेयरधारकों के निदेशक हेतु नामांकन" लिखा हो को **उप महा प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग(शेयर कक्ष), 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008.**

वार्षिक सामान्य बैठक हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 14 जून 2017, दिन बुद्धवार को कार्य समाप्ति से पहले या सांय 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

शेयरधारकों की सूची: शेयरधारकों को चुनाव में भाग लेने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) अधिनियम, 2008 के विनियमन 64 में उल्लेखित शेयरधारकों की सूची की प्रति 30.05.2017 के बाद बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होगी। शेयरधारकों द्वारा रु 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र). लागू कर मूल्य के मांग पत्र द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में तथा नई दिल्ली पर देय हो, द्वारा खरीदा जा सकता है। शेयरधारक रु 1,000/- (एक हजार रुपए मात्र). लागू कर से शेयरधारकों की सूची की प्रति (ईलैक्ट्रॉनिक रूप अर्थात् सीडी) में क्रय कर सकता है। यदि वह रजिस्टर के कंप्यूटर प्रिंट की प्रति या उससे संबंधित कुछ और लेना चाहता है, अथवा उसके आंशिक हिस्से की छाया प्रति चाहिए तो उसकी आपूर्ति उसको प्रत्येक 1000 शब्द हेतु रु. 5/- के पूर्व भुगतान करने पर की जाएगी।

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD.No. BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with DBOD No.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 and GOI guidelines dated 01.06.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank. as on, the 26.05.2017 being the cut-off date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure as director, if he/she is elected.
- He/she is, as on 14.06.2017, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act/ Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines.
- the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank addressed to the Deputy General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21-Rajendra Place, New Delhi, such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he/she is not disqualified under the Act or the Scheme or these Regulations from being a Director along with his/her personal details (bio data)duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed(The proforma is also available on the Bank's website www.psbindia.com)

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit the following:

- Duly filled in 'Declaration Form' as per format (Annexure-'A') attached along with personal information, testimonials viz., bio-data, certificates of educational qualification(self attested), experience etc.;
- "Declaration and Undertaking by Candidate" as per format (Annexure-'B') attached pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat; and
- minimum of 100 Nomination Forms, as per format (Annexure-'C') obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate, in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and super scribed "Nomination for Shareholder Director", to the **Deputy General Manager, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, NewDelhi-110008.**

on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m. on Wednesday, 14 June, 2017 failing which, the nominations are liable to be rejected.

LIST OF SHAREHOLDERS: To enable the shareholders to contest the election, a physical copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 will be made available at the Head office of the Bank, from 30.05.2017 onwards for purchase by shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rs.Fifty thousand only) plus applicable taxes by demand draft in favour of Punjab & Sind Bank, payable at New Delhi. A shareholder may purchase a copy of list of shareholders (in electronic form i.e. C.D) on payment of Rs.1000/-(Rs.One thousand only) plus applicable taxes. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment of at the rate of Rs.5/- plus applicable taxes for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied .

प्रधान कार्यालय में सभी कार्य—दिवसों पर (रविवार और बैंक अवकाश को छोड़ कर) शेयरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण हेतु खुला रहेगा अर्थात् सोमवार से शुक्रवार, दोपहर 3.00 बजे से 5.00 बजे तक।

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01.11.2007 को जारी फिट एवं प्रोपर नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकनों की जांच, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा की जाएगी। नामांकन प्राप्त होने की नियत तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस अर्थात् 15 जून 2017, दिन बुद्धवार को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसको कारण बताते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

यदि चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए केवल दो ही वैध नामांकन हो तो ऐसे नामित उम्मीदवार को चुना हुआ मान लिया जाएगा और वे 01 जुलाई, 2017 से पद ग्रहण कर लेंगे तथा उनका नाम और पता चुने गए निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव के लिए आयोजित बैठक में चुनाव नहीं किया जाएगा और मद संख्या 2 को रद्द माना जायेगा।

यदि चुनाव कराया जाता है तथा वैध नामांकन निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे चुना हुआ घोषित किया जाएगा और वे अगले दिन से पद ग्रहण कर लेंगे तथा उनका नाम और पता चुने गए निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2008 के अधिनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

नामांकन वापस लेना: यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता/चाहती है तो वह ऐसा 28 जून 2017 को सांय 5 बजे से पहले तक कर सकता/सकती है। शेयर कक्ष

शेयर कक्ष: शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं—

कंपनी सचिव,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष) लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,

21—राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली—110008.

टेलीफोन— 011—25782926, 25812922

ई—मेल: complianceofficer@psb.co.in

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारणों से हाल के भीतर बीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 मई, 2017

जतिन्दरबीर सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m at the Head Office.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS: Nominations shall be scrutinized by Nomination Committee of the Board on Thursday, the 15th June 2017, the first working day following the date fixed for receipt of the nominations, in terms of the fit and proper Guidelines dated 01.11.2007 issued by the RBI, and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidate(s) so nominated shall be deemed to be elected forthwith & they will assume office from July 1st, 2017 and his/her name & address shall be published. In such an event there shall not be any election at the meeting and Agenda Item No. 2 shall be withdrawn.

In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to be elected and they will assume office from the next day and his/her name & address shall be published.

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS: If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on 28th June, 2017.

SHARES CELL : In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor, New Delhi-110008
Telephone: 011-25782926, 25812922
E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 18 May, 2017

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

ई-वोटिंग

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

बैंक कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- दिनांक 26.06.2017 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 28.06.2017 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 22.06.2017 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई-वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
- सीएसडीएल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
- एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
- भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथमवार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फाम-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते/फोलियों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण या दिन/माह/वर्ष रूप में अपनी जन्म-तिथि प्रविष्ट करें। कृपया जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण लॉगइन करने हेतु करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।

- इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसे आप मतदान करना चाहते हैं।

E-Voting

E-Voting for the Seventh Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Seventh AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 26.06.2017 at 10.00 a.m. and ends on 28.06.2017 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22.06.2017, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat share-holders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yy) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv). in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.

- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- (xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब “रिजोल्यूशन फाइल लिंक” को क्लिक करें।
- (xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो “OK” पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- (xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर “प्रिंट लेने हेतु यहां क्लिक करें” पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xviii) शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाईल एप्प एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाईलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाईल एप्प को गूगल के प्ले स्टोर से हासिल किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन का उपयोग करने वाले एप्पल स्टोर तथा विंडो फोन स्टोर से क्रमशः एप्प प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाईल पर मतदान करते समय मोबाईल एप्प द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- (xix) अव्यैक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अव्यैक्तिक शेयरधारक (जैसे व्यैक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
 - पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
 - लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
 - अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।
- (xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीवी नं. 4629) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के 2 दिन के भीतर अध्यक्ष, वार्षिक सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा

बैठक की सूचना www.psbndia.com तथा www.cdslindia.com पर भी प्रदर्शित है।

- (xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take print out of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If a Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store.

Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 2 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer’s report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.cdslindia.com.

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting@cdsindia.com पर ई-वोटिंग मैनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री राकेश दल्वी, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410592, 41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल करें।

- (xxi) यदि आप पहले से ही ई-मतदान हेतु सी.एस.डी.एल. के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान करने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी / पासवर्ड / पिन का प्रयोग कर सकते हैं।
- (xxii) आप फोलियो के यूजर प्रोफाईल विवरणों में ई-मेल आईडी तथा अपने मोबाईल को भी अद्यतित कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संप्रेषण प्रेषित करने के लिए किया जा सकता है।
- (xxiii) जैसे कि चुनाव दो शेयरधारक निदेशकों हेतु है मतदान दो से अधिक निदेशकों के लिए नहीं किया जाए अन्यथा डाले गए मत अवैध हो जाएंगे।
- (xxiv) वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान की समाप्ति के बाद विवेचनाधिकारी पहले बैठक में डाले गए मतों की गिनती करेगा और इसके बाद रिमोट ई-मतदान द्वारा डाले गए मतों को दो (2) साक्ष्यों जो कि बैंक के कर्मचारी नहीं हो, के समक्ष खोलेगा और वार्षिक सामान्य बैठक के समाप्त होने के 48 घण्टों के अंदर कुल डाले गए पक्ष एवं विपक्ष नें मतों की विवेचनाधिकारी की रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि कोई है, बैठक के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति जो उस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षर करेगा और आगे के मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद विवेचनाधिकारी की समेकित रिपोर्ट के साथ परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.psbindia.com और सी.डी.एस.एल. की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

- xxi) If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- xxii) You can also update your mobile and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- xxiii) As the election is for two shareholder directors, vote be cast for not more than two Directors else the votes cast shall be treated as invalid.
- xxiv) The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and shall make within forty eight hours of conclusion of the AGM a consolidated Scrutinizer’s Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

The Results along with the consolidated Scrutinizer’s Report shall be placed on the Bank’s website www.psbindia.com and on the website of CDSL immediately after the results is declared by the Chairman.

निदेशक मंडल रिपोर्ट 2016-17

बैंक का निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाते के साथ वार्षिक रिपोर्ट को हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य:

वित्तीय अनुशासन को अंगीकार करने के साथ सहायक सरकारी नीतियों और पहलों में वृद्धि, निम्न ब्याज दरों का स्तर, चालू खाता घाटा तथा कम होता व्यापार घाटा, उचित स्थायी मुद्रा, विदेशी मुद्रा के आगम में वृद्धि और मुद्रास्फीति में गिरावट के अनुसार वर्तमान अनुकूल समष्टि परिस्थितियों का अर्थव्यवस्था समुचित लाभ उठा सकती है। वर्ष 2016-17 को विभिन्न आर्थिक विकास नीतियों हेतु पहचाना जाएगा। घरेलू स्तर पर, हम बहुत समय से प्रतीक्षित रूपान्तरित वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) को लागू करने के नजदीक हैं जब कि बड़ी राशि के मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण से अवैध गतिविधियों की लागत में दंडात्मक रूप से वृद्धि हुई।

यह एक सर्वमान्य दृष्टिकोण है कि अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर है और यह वर्ष 2017-18 में 6.75% से 7.5% के मध्य में हो सकती है। यह संकेत है कि उच्च मूल्य के बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के बाद, अपेक्षा से पहले संवृद्धि हो सकती है। विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि के लाभ प्राप्त होंगे। संरचनात्मक सुधार तथा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर से वृद्धि दर में आशातीत स्तर प्राप्त होगा। वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी में वृद्धि का आंकलन 6.8% है। आश्चर्यजनक रूप से उद्योग ने प्राथमिक रूप से विनिर्माण में महत्वपूर्ण विकास किया है। फिलहाल, सेवाओं में तेजी से विस्तार जारी है। वर्ष 2016-17 में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 5.7% तथा 8.5% की वृद्धि अपेक्षित है। वर्ष 2016-17 हेतु 4.7% की मेडीयन भविष्य वाणी के साथ सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही है जोकि न्यूनतम और अधिकतम की क्रमशः 3.8% तथा 5.1% की सीमा रही है। कम वस्तु मूल्यों के कारण निम्न मुद्रास्फीति दर बरकरार रही है। विगत वर्ष के चालू खाता घाटे में जीडीपी के लगभग 1% से वर्ष 2016-17 की प्रथम अर्द्ध-वार्षिकी में जीडीपी के 0.3% की कमी रही। विदेशी मुद्रा आरक्षतियां यूएस डालर 366.7 बिलियन पहुँच गई।

व्यापार की शर्तों में बड़ी संख्या में सुधार, मजबूत बाह्य सुरक्षित भंडारों और प्रभावी नीतिगत कार्रवाई से अर्थव्यवस्था में मजबूती से सुधार होता रहा है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था में वृद्धिशील सुधार स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत कार्रवाई की है जो निवेश एवं संवृद्धि के लिए सकारात्मक होगा। कृषि वृद्धि और ग्रामीण मांग, व्यापार, वस्तुओं के मूल्यों में भविष्य के उतार-चढ़ाव तथा निजी निवेश अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां हैं। यद्यपि भारत सरकार, भा.रि. बैंक तथा अन्य संबंधित अभिकरण इनसे निपटने हेतु उचित कदम उठा रहे हैं।

जहाँ तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, लाभ एवं लाभप्रदता मुख्यतया: पूंजी पर्याप्तता तथा आस्ति गुणवत्ता जो बैंकों के लिए गंभीरता का विषय है, के बिगड़ने के कारण प्रभावित हुए हैं। एन.आई.एम. में वृद्धि की बड़ी चुनौती के साथ, लाभप्रदता दबाव में है। बैंक अन्य बातों के साथ-साथ जमा लागत में कमी और आस्तियों पर प्रतिफल में सुधार पर भी ध्यान दे रहा है। उत्पाद नवोन्मेष पर ध्यान केंद्रीकरण के साथ विभिन्न उपाय, तुलन-पत्र से इतर गैर-प्रमुख गतिविधियों से आय में वृद्धि, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में दक्षता, प्रभावी जोखिम प्रबंधन आदि और चुनौती से निपटने के लिए ग्राहक संतुष्टि को अत्यन्त महत्वपूर्णता के साथ लिया जा रहा है।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार : दिनांक 31.03.2016 को बैंक के रु. 156527 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2017 की समाप्ति पर बैंक का कुल व्यापार रु.145803 करोड़ रहा।

लाभ: वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान रु. 335.97 करोड़ की तुलना में बैंक ने वर्ष 2016-2017 के दौरान रु. 201.08 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2015-16 के 0.34% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल 0.20% रहा।

लाभांश: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश को घोषित करने हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्डों को बैंक पूर्ण नहीं करता है, बोर्ड ने वर्ष 2016-17 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

पूंजी एवं आरक्षितियां : दिनांक 31.03.2016 को बैंक की निवल मालियत रु. 5068.08 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2017 को रु. 5046.39 करोड़ रह गई। दिनांक 31.03.2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बॉसल III) 11.05% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.625% के विरुद्ध है।

गैर-जमानती प्रतिदेय बांड : (टीयर-II की पूंजी हेतु गौण ऋण)

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 150.00 करोड़ के टीयर II बांड को पुनः शोधित किया है और रु. 500 करोड़ संग्रहित किए हैं। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2017 तक टीयर II बांड का कुल बकाया रु. 1,675.00 करोड़ है।

जमा वृद्धि : बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2017 को रु. 85540.16 करोड़ रही जोकि दिनांक 31.03.2016 को रु. 91249.96 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2017 को बैंक की औसत जमा लागत 6.73% रही जोकि विगत वर्ष 7.47% थी।

अग्रिम : दिनांक 31.03.2017 को बैंक के कुल अग्रिम रु. 60263.09 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2016 को रु. 65277.22 करोड़ थे। दिनांक 31.03.2017 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 9.73% रहा जोकि विगत वर्ष 10.70% था।

DIRECTORS' REPORT 2016-17

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2017.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

ECONOMIC OUTLOOK

Economy can draw considerable comfort from prevailing favorable macro conditions in terms of decline in inflation, increase in foreign capital inflows, fairly stable currency, narrowing trade deficit and current account deficit, lower interest rate regime and growth supportive government policies and initiatives, including the adoption of fiscal discipline. 2016-17 has been marked by several historic economic policy developments. On the domestic side, we are very close to introduction of the long-awaited and transformational goods and services tax (GST) while demonetization of the large currency notes signaled a regime shift to punitively raise the costs of illicit activities.

There is a widespread view that Economy has moved on a high growth path and it could expand by between 6.75% and 7.5% in 2017-18 signaling that growth could recover sooner than expected after scrapping of high-value banknotes. Demonetization would bring long-term benefits to the economy, structural reforms and a proposed Goods and Service Tax could boost growth rate to desired level. The growth in GDP during 2016-17 is estimated at 6.8%. Industry has shown significant improvement primarily on account of the surprising acceleration in manufacturing. Meanwhile, services continue to expand rapidly. Industry and services sector are expected to grow by 5.7% and 8.5% respectively in 2016-17. The CPI based inflation remains under control with a median forecast of 4.7% for 2016-17, with a minimum and maximum range of 3.8% and 5.1% respectively. Low inflation has been sustained due to low commodity prices. Current Account Deficit declined from about 1% of GDP last year to 0.3% of GDP in the first half of 2016-17. Foreign exchange reserves have reached 366.7 billion US Dollars.

Economy continued to recover strongly, benefiting from a large improvement in terms of trade, effective policy actions and stronger external buffers. Government remains committed in establishing incremental economic reforms and taken important policy actions toward the implementation of the goods and services tax, which will be positive for investment and growth. The challenges for the economy is to activate agricultural growth and rural demand, trade, future movements in the commodity prices, and private investment. However, the Government, RBI and other concerned agencies are undertaking suitable measures for facing the same.

As far as banking sector is concerned, profits and profitability was affected mainly by the deterioration in the asset quality that remains a serious cause of concern for the Bank and Capital Adequacy. Profitability is under pressure along with greater challenge in increasing the NIM. The Bank, among other things, continues to focus on decreasing the Cost of Deposit and improving the Return on Assets. Different measures with focus on product innovation, off-balance sheet activities to increase income from non-core activity, efficiency in service delivery process, effective risk management etc. and more importantly on customer satisfaction are being taken up to face the challenges.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS: During the year ended 31.03.2017, total Business of the Bank stood at Rs.145803 crore as compared to Rs.156527 crore as on 31.03.2016.

PROFIT: The Bank recorded a Net Profit of Rs.201.08 crore for the year 2016-17 as compared to that at Rs.335.97 crore during the FY 2015-16. The Return on Assets (ROA) stood at 0.20% as compared to that at 0.34% in the year 2015-16.

DIVIDEND: As the Bank does not conform to the eligibility criteria prescribed by RBI for declaration of dividend, the Board has not recommended any dividend for the year 2016-17.

CAPITAL & RESERVE: The Net Worth of the Bank stood at Rs.5046.39 crore as compared to Rs.5068.08 crore as on 31.03.2016. The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 11.05% as on 31.03.2017 against the minimum stipulated requirement of 9.625%.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

During the Year, Bank has redeemed Tier II Bonds of Rs.150.00 crore and has raised Rs.500.00 crore. Thereby, total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2017 is Rs.1,675.00 crore.

DEPOSITS : The total deposits of the Bank stood at Rs.85540.16 crore as on 31.03.2017 as compared to Rs.91249.96 crore as on 31.03.2016. The average cost of deposits of the bank improved to 6.73% as compared to 7.47% in previous year.

ADVANCES: The Bank's Advances stood at Rs.60263.09 crore as on 31.03.2017 as compared to Rs.65277.22 crore as on 31.03.16. The average yield on Advances stood at 9.73% as compared to 10.70% during the last year.

सरकारी व्यवसाय

बैंक भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए तीन सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं को महत्व प्रदान कर रहा है। बैंक ने दिनांक 31.03.2017 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) के अंतर्गत 157951 नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 850936 मामले और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत 40039 मामले पंजीकृत किए हैं।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों को जमा कराने की सुविधा की क्रॉस बिक्री करने/प्रसिद्ध करने हेतु प्रयास किए गए थे और लगभग 100000 (एक लाख) चालान संग्रहित किए गए।

बैंक द्वारा की सरकार की विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है और दिनांक 31.03.2017 तक लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) तथा सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) के अंतर्गत 5000 खातों को खोला गया।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- बैंक ने शाखाओं और 351 व्यवसायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से 11.72 लाख खाते खोले और प्रत्येक खाते में जमा रु. 5211 की औसत से रु. 610.82 करोड़ के कासा/एफडी/आरडी की जमाएं संग्रहित की।
- व्यवसायिक प्रतिनिधियों ने लगभग रु. 290 करोड़ का व्यवसाय जिसमें एन.पी.ए./टी.डब्ल्यू.ओ. के 950 खातों में रु. 3.82 करोड़ की कुल राशि की वसूली सम्मिलित है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने मैसर्स मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस के माध्यम से 3.07 लाख नामांकन कराने पर रु. 21.46 लाख विविध आय के रूप में प्राप्त किए।
- बैंक ने अब तक 283 माइक्रो एटीएम के लिए यूआईडीआईआई से अनुदान राशि के रूप में रु. 42.45 लाख प्राप्त किए। यूआईडीआईआई से माइक्रो ए.टी.एम. के लिए इस तरह की अनुदान राशि प्राप्त करने वाले कुछ बैंकों में पंजाब एण्ड सिंध बैंक एक है।
- पीएमजेजीवाई खातों में कुल जीरो बैलेंस के औद्योगिक औसत 23% की तुलना में हमारा प्रतिशत 1.3% (सभी बैंकों से निम्न) है।
- जीवंत पीएमजेजीवाई खातों में आधार को 85% तक जोड़ दिया गया है।
- हमारे आरआरबी के व्यवसायिक प्रतिनिधि आईआईबीएफ द्वारा 100% प्रमाणित हैं और हमारे बैंक के 91% (सभी बैंकों से ज्यादा) व्यवसायिक प्रतिनिधि इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा प्रमाणित हैं।
- बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से गांवों में वित्तीय साक्षरता कैंम्पों का आयोजन किया जहाँ मूलभूत बैंक की सेवाओं के साथ पीएमजेजीवाई, पीएमजेजीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, ओवर ड्राफ्ट आदि वित्तीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि वे अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इन सेवाओं का लाभ ले सकें। वित्तीय वर्ष 2016-17 में एफएलसी, शाखा प्रबंधकों और व्यवसाय प्रतिनिधियों की सहायता से कुल 418 कैंपों का आयोजन किया गया।
- हमारे माइक्रो एटीएम आधार सुविधा युक्त भुगतान प्रणाली (ईपीएस) और रुपये पिनपैड सक्षम हैं जो ग्रामीण ग्राहकों को उनके बायोमैट्रिक या रुपये डेबिट कार्ड द्वारा अंतः और अंतर बैंक लेन-देनों को करने में सहायता करते हैं।

विपणन एवं बीमा

- सोवरेन गोल्ड बान्ड योजना: बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार की सोवरेन गोल्ड बान्ड योजना की विभिन्न 4 श्रृंखलाओं में सहभागिता की है और टॉप निष्पादकों के मध्य में निरंतर अच्छा कार्य किया है।
- **ए.एस.बी.ए.:** वर्ष के दौरान ए.एस.बी.ए. सुविधा आरम्भ की गई और कुल 93 मामलों पर कार्रवाई की गई।
- **गोल्ड मोनिटॉरिंग योजना (जी.एम.एस.):** बैंक ने भारत सरकार की गोल्ड मोनिटॉरिंग योजना के लिए एमएमटीसी पीएमपी के साथ करार किया है।
- **बैंकाइर्योरेंस व्यवसाय:** बैंक ने जीवन बीमा कंपनियों के साथ कॉरपोरेट एजेंट के लिए गठबंधन करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली है जिसके अंतर्गत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ औपचारिक करार किया है।

नई पहल

- बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों को प्रदान करने में तीव्रता लाने हेतु दिनांक 15.12.2016 से 14.03.2017 तक **"प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अभियान - पीएससीसी"** आरंभ किया है। अभियान के दौरान रु. 808.60 करोड़ की राशि सवितरित की गई।
- कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निवेश में वृद्धि करने के लिए, बैंक ने दो योजनाओं, किसानों को दो पहिया/जीप/कार/एसयूवी वित्त पोषित करने हेतु योजना और फॉर्म मशीनीकरण योजना में 12% की न्यूनतम सीमा में छूट दी है।
- बैंक ने हथकरघा के बुनकरों को रु. 5.00 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराने हेतु "पी एण्ड एस बी बुनकर मुद्रा योजना" आरम्भ की है ताकि बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं की पर्याप्त और समय से अर्थात् निवेश आवश्यकताओं के साथ-साथ कार्यशील पूंजी की लचीली एवं कम लागत में सहायता की जा सके।

GOVERNMENT BUSINESS : The Bank continues to accord importance to the three Social Security/Pension Schemes launched by Government of India and 157951 enrollments under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), 850936 cases under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and 40039 number of cases under Atal Pension Yojna (APY) were got enrolled by the Bank up to 31.03.2017.

Efforts were made to popularize / cross sell the facility of depositing Direct & Indirect taxes and approximately 100000 (One lac) challans were mobilized.

The performance of the Bank under different Govt. Small Saving Schemes continued to be good and about 5000 accounts as on 31.03.2017 were mobilized under Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) and Sukanya Samridhi Account (SSA) schemes.

ACHIEVEMENTS UNDER PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA

- The Bank has opened 11.72 lac accounts through branches and 351 Business Corresponds (BCs); and mobilized CASA/FD/RD deposit of Rs. 610.82 crore, with an average deposit of Rs.5211 per account.
- Total Business generated by BCs is Rs. 290 crore, which includes Recovery in 950 NPA/TWO accounts amounting to Rs. 3.82 crore.
- During the financial year 2016-17, the Bank received a sum of Rs. 21.46 lac as miscellaneous income for 3.07 lac Adhar enrollments done through M/s Matrix Processing House.
- The Bank has so far received subsidy amount of Rs. 42.45 lac for 283 MicroATMs from UIDAI. Punjab & Sind Bank is one of few Public Sector Bank to receive such subsidy from UIDAI for MicroATMs
- Total zero balance accounts in PMJDY are at 1.3 % against industry average of 23 % (lowest among all Banks).
- Total Aadhaar seeding in active PMJDY Accounts is 85%.
- 100% BCs of our RRBs and 91% BCs of our Bank are certified through Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) (highest among all banks).
- The Bank in coordination with the Financial Literacy Centers (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD etc are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. Total number of 418 Camps were organized in FY 2016-17 with the help of FLCs, Branch Managers & BCs.
- Our Micro ATMs are Adhar Enabled Payment System (AEPS) & Rupay PINPAD enabled, helping rural customers to do intra and inter Bank transactions using their biometrics or Rupay Debit Cards.

MARKETING AND INSURANCE

- **Sovereign Gold Bond:** Bank has participated in Sovereign Gold Bond Scheme of Govt of India, during 2016-2017, and performed consistently well to be among the top performers.
- **ASBA:** The ASBA facility was launched during the year, and a total of 93 Issues have since been handled.
- **Gold Monetization Scheme (GMS):** The Bank has tied up with MMTC PAMP for Gold Monetization Scheme of Govt. of India.
- **Bancassurance business:** Bank successfully completed the process for Corporate Agent Tie up with Life Insurance Companies, under which formal agreement with SBI Life Insurance Company has been executed.

NEW INITIATIVES

- The Bank launched “**Priority Sector Credit Campaign- PSCC**” from 15.12.2016 to 14.03.2017 to boost the Priority Sector Lending. An amount of Rs. 808.60 crore has been disbursed during the campaign.
- To boost investment credit in Agriculture Sector, the Bank has dispensed with the ceiling of minimum 12% rate of interest under two schemes namely PSB scheme of Financing Two Wheeler/ Jeep/ Car/ SUV to farmers and PSB Farm Mechanization Scheme
- The Bank has launched a scheme “**P&SB Weaver’s MUDRA Scheme**” for extending loans upto Rs.5.00 lac to handloom weavers to provide adequate and timely assistance to the weavers to meet their credit requirements i.e. for investments need as well as for working capital, in a flexible and cost effective manner.

- मुद्रा ऋण के शिशु वर्ग के अंतर्गत (रु. 50000/- तक) मार्जिन को 25% से घटा कर 10% कर दिया है और निरीक्षण प्रभागों को समाप्त कर दिया है।
- ग्राहकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग में नई कार्यविधियां विकसित की गई हैं :
 - क) चेक रोकने की सुविधा
 - ख) फुटकर ग्राहक हेतु पास वर्ड का स्वतः सृजन
 - ग) आरटीजीएस सुविधा
 - घ) ऑनलाईन आधार को जोड़ना
 - ङ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु ऑनलाईन पंजीकरण
 - च) आयकर विवरणी को ऑनलाईन दायर करना
- शाखा नेटवर्क की प्रभावी निगरानी हेतु बैंक ने दो नये आंचलिक कार्यालय, कमश: अहमदाबाद और नोएडा में खोले हैं।

पुरस्कार एवं उपलब्धियां

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि में योगदान करने हेतु उद्योग व्यापार सेवा महासंघ (फिट्स) के "फिट्स एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार" से बैंक को पुरस्कृत किया है।

माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री, वित्त एवं कम्पनी मामले में बैंक को सूक्ष्म ऋण में योगदान करने के लिए सीआईएमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17 प्रदान किया।

बैंक ने एमएसएमई वित्तपोषण के विशेष कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है।

बैंक की हॉकी टीम ने निम्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती:

- अखिल भारतीय एस. एन. वोहरा गुरुमीत सिंह हॉकी प्रतियोगिता
- राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चौम्पियनशिप (बी डिविजन)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

- दिनांक 31.03.2016 को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 24,508 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2017 की समाप्ति पर रु. 24928 करोड़ हो गए।
- दिनांक 31.03.2016 को बैंक के कृषि अग्रिम रु. 11165 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2017 की समाप्ति पर रु. 190 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.11355 करोड़ हो गए।
- आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य 8.00% की तुलना में बैंक का छोटे और सीमांत किसानों को अग्रिम रु. 5656 करोड़ रहा जोकि कुल अग्रिम का 8.08% है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में रु. 900 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 691.27 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया है जो रु. 900 के लक्ष्य का 76.81% है।
- दिनांक 31.03.2017 तक केसीसी संचालित कुल 2.02 लाख खातों की तुलना में, बैंक ने केसीसी के 2.01 लाख खातों (99.48%) में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।
- दिनांक 31.03.2017 तक बैंक ने पंजाब में ब्लॉक स्तर पर 4 अन्य एफएलसी खोले जिससे एफएलसी की कुल संख्या 13 हो गई है।
- 31.03.2016 वर्ष के अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन में से एक आरएसईटीआई जोकि फरीदकोट में हैं, को सर्वोच्च ग्रेड 'AA' दिया गया और उसको ग्रामीण बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है। बैंक ने आधारिक संरचना उपलब्ध कराने के लिए रु. 24,36,410/- व्यय किए हैं जैसे कि मोगा और फरीदकोट में स्थित ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में कंप्यूटर लैब, सिलाई एवं कढ़ाई मशीन, सीसीटीवी कैमरा, एयर कंडीशनर एवं रेफ्रीजरेटर, खिड़कियों के पर्दे एवं फिटिंग्स तथा हरियाली सुन्दरता बढ़ाने के वृक्षारोपण किए हैं।

खुदरा ऋण

- बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान खुदरा ऋण संविभाग की संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है और तदनुसार खुदरा ऋण के अंतर्गत उत्पादों को अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रस्तावों को उदार तथा औचित्यपूर्ण बनाया है। आवासीय ऋण, ऑटो ऋण और उपभोक्ता ऋण खंड को आकर्षक छूट के प्रस्ताव के साथ फेस्टीवल बोनान्जा योजना शुभारम्भ की गई।
- दिनांक 31.03.2017 को बैंक का खुदरा ऋण संविभाग 7296.51 करोड़ है और जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष के दौरान खुदरा ऋण के व्यवसाय में 12.38% की वृद्धि दर्ज की गई।
- दिनांक 31.03.2017 को खुदरा ऋण, सकल अग्रिमों का 12.10% प्रतिशत रहा।

- Under the Shishu category of Mudra loan (upto Rs. 50,000/-), margin has been reduced from 25% to 10% & Inspection charges have been waived.
- New functionalities developed in **Internet Banking** for customers :-
 - a) Cheque Stop facility;
 - b) Auto generation of password for retail customer;
 - c) RTGS facility;
 - d) Online Aadhar Seeding;
 - e) Online Registration for Pradhan MantriJeevanJyotiYojna / Pradhan MantriSurakshaBeemaYojna;
 - f) E-filing of ITR.
- The Bank has opened two new Zonal Offices at Ahmedabad and Noida for effective monitoring of the branch network.

AWARDS & ACHIEVEMENTS

Federation of Industries Trade Services (FITS) has awarded the Bank, "FITS MSME Excellence Award" by Hon'ble Union Minister Sh. Kalraj Mishra for contribution in growth of MSME Segment.

The Bank has been awarded CIMSME Excellence Award 2016-17 for contribution to Micro Credit by Hon'be Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs Sh. Arjun Ram Meghwal.

Bank's Hockey Team won the following National Tournaments:

- All India S.N. Vohra Gurmit Hockey Tournament
- Senior National Hockey Championship (B Division)

PRIORITY SECTOR ADVANCES

- Total Priority Sector Advance increased from Rs.24508 crore as on 31.03.2016 to Rs.24928 crore as on 31.03.2017.
- The Bank's Agriculture advance increased by Rs.190 crore to Rs.11355 crore as on 31.03.2017 from Rs.11165 crore as on 31.03.2016.
- The Bank's advance to Small & Marginal Farmers increased to Rs.5656 crore which is 8.08% of March 2017 Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the RBI stipulated target of 8%
- The Bank made advance to the tune of Rs.691.27 crore against the target of Rs.900 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 76.81% against the target of Rs.900 crore.
- The Bank has issued RuPay Debit Cards in 2.01 lac KCC accounts against the total operative KCC accounts of 2.02 lac (99.48 %) as on 31.03.2017.
- The Bank has opened another 4 Financial Literacy Centres (FLCs) at block level in Punjab thus raising total number of FLCs to 13 as on 31.03.2017.
- One of three Rural Self Employment Training Institute (RSETI) i.e. Faridkot were given highest grade 'AA' by Ministry of Rural Development, Govt. of India, for the year ended 31.03.2016 making it eligible for Govt. grants for training of rural unemployed youth. The Bank spent Rs. 24,36,410/- to provide basic infrastructure such as Computer labs, Sewing & Embroidery machines, CCTV cameras, Air conditioner & Refrigerator, window curtains & fittings and for planting trees, shrubs & other green beautification at Rural Self Employment Training Institute (RSETI) Moga and Faridkot.

RETAIL LENDING

- The Bank has primarily focused on the growth of its Retail Lending portfolio during the FY and accordingly liberalized and rationalized its Retail Lending offerings to make them more attractive and competitive. Festival Bonanza Scheme offering attractive concessions under the Housing Loan, Auto Loan and Consumer Loan segments was launched.
- Retail Lending portfolio of the Bank as on 31.03.2017 stands at Rs.7296.51 crore and thereby, registered a business growth of 12.38% over the previous year.
- The percentage of Retail Advances to Gross Advances was 12.10% as on 31.03.2017.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक के अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी रहे हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है तथा विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैंपों का आयोजन किया है।

वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित खातों में बैंक की वसूली औचित्यपूर्ण रही है। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरूप रु. 42.13 करोड़ की तकनीकी बढ़ा खातों में वसूली सहित कुल रु. 958.91 करोड़ की वसूली की जा सकी।

सकल एनपीए तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2016 के रु. 4229.05 करोड़ तथा रु. 2949.47 करोड़ की तुलना में क्रमशः रु. 6297.59 करोड़ तथा रु. 4375.08 करोड़ रहा।

31.03.2017 को गैर-निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है –

(राशि करोड़ में)

एनपीए	31.03.2016 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
सकल	4229.05	6.48%	6297.59	10.45%
निवल	2949.47	4.62%	4375.08	7.51%

दिनांक 31.03.2017 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बढ़ा खातों सहित) 46.69% रहा।

ऋण निगरानी

बैंक ने ऋण एक्सपोजरों वाले उच्च मूल्य खातों की प्रभावशाली निगरानी तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। बैंक/आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार पात्र मामलों की पुनरसंरचना की जा रही है।

उक्त की पूर्ति करने हेतु, बैंक द्वारा विभिन्न नीतियों संबंधी पहल की गई हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्त पोषित करने/लचीली संरचना के द्वारा पुनर्वित्त संबंधी निर्देश देने, ऋणदाता के लिए अच्छी वसूली करने और निर्णय लेने हेतु तुरंत कदम उठाना, वित्तीय संकट की पूर्व पहचान करते हुए अर्थव्यवस्था में दबाव में आई आस्तियों के पुनर्जीवन के लिए फ्रेमवर्क को क्रियाशील करना आदि है।

निवेश तथा विदेशी विनिमय

31.03.2017 को बैंक की कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं निवेश नीति के अनुरूप निवेश-सूची संरचना सहित बैंक का सकल निवेश रु. 28080.16 करोड़ था।

सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूति में ट्रेडिंग गतिविधियों से लाभ में 87% की वृद्धि हुई जो मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के रु. 140.12 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 को रु. 261.97 करोड़ हो गया है। इस वर्ष, बैंक ने सेकेन्डरी मार्केट के अंतर्गत गैर-एसएलआर बान्डों में ट्रेडिंग आरम्भ कर लाभ कमाने की एक नई दिशा की ओर कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, ईक्विटी शेयर आईपीओ में अच्छी प्रकार से आंकलन करने के बाद की गई सहभागिता से मजबूती मिली है लाभ कमाने के स्रोत में विविधता आई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेशी विनिमय व्यवसाय से रु. 38.99 करोड़ का लाभ हुआ।

जोखिम प्रबंधन : बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, के लिए एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है।

नीति-तंत्र : बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां तथा कार्यविधियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईएसीसीपी)।

बैंक का बॉसल-II के साथ अनुपालन : भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 की प्रभावी तिथि से नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बॉसल-II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बॉसल-III के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरू की है जो जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बॉसल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। बॉसल-II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बॉसल-III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

ASSET QUALITY

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements & legal means and organized Recovery Camps at various centers.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year remained reasonable. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs. 958.91 crore including recovery of Rs. 42.13 crore in Technically Written Off Accounts. Gross NPAs and Net NPAs as on 31.03.2017 stood at Rs 6297.59 crore and Rs.4375.08 crore respectively against Rs.4229.05 crore and Rs.2949.47 crore as on 31.03.2016.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2017 vis-à-vis previous year is as under

(Amount in Rs. crore)

NPA	As on 31.03.2016		As on 31.03.2017	
Gross	4229.05	6.48 %	6297.59	10.45%
Net	2949.47	4.62 %	4375.08	7.51%

The Provision Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O.A/Cs), as on 31.03.2017 stood at 46.69 %.

CREDIT MONITORING

The Bank has setup Control Room at Head Office and Zonal Offices for effective monitoring of large accounts and to check fresh slippages. Restructuring of eligible cases is being undertaken as per Bank/RBI guidelines.

In order to supplement the aforesaid, various policy related initiatives have also been taken by the Bank which inter-alia include implementation of Framework for Revitalizing Distressed Assets in the Economy for Early Recognition of Financial Distress, Prompt steps for Resolution and Fair Recovery for lenders, guidelines on refinance by way of flexible structuring/takeout financing etc.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total gross investment as on 31.03.2017 was Rs28080.16 crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception, and investment policy of the Bank.

On account of active trading in G-sec and Non SLR securities, the trading profit has increased by 87% from Rs. 140.12 crore for year ended March 2016 to Rs. 261.97 crore for the year ended 31.03.2017. This year, Bank has put a step forward to add a new line of profit with initiation of secondary market trading in Non SLR Bonds. Besides this, well assessed participation in Equity Share IPOs has further strengthened and diversified the earning avenues.

The profit from foreign exchange business is Rs 38.99 crore in FY 2016-17.

RISK MANAGEMENT: The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored

POLICY FRAMEWORK: The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage & control various risks that the Bank is exposed to. Following Risk Management policies are in place ---**Risk Management Policy, Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management (ORM) Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Management of Intra Group Transactions & Exposures and Loss Data Management Framework.**

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II: In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The Bank has geared for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. A Consultant has been appointed for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

आई.सी.ए.पी. नीति : बॉसल-II व बॉसल-III – स्तंभ 2– पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण : बॉसल-II व बॉसल-III, स्तंभ-3 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम : ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण-जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इसके द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। कॉर्पोरेट जोखिम के लिए ऋण रेटिंग जोखिम जोखिम मॉडल और एनबीएफसी ऋण जोखिम, रियल स्टेट एवं खुदरा ऋण जोखिम, खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, एवं उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रावासों के लिए एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है।

बाजार जोखिम : बैंक का पोर्टफोलियो ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार जोखिम से प्रभावित होता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलको) बाजार जोखिम से संबंधित काम-काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन-प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी बना हुआ है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है जोकि बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को देय होने पर पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है। बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

परिचालनगत जोखिम : परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके। बैंक के पास लॉस डाटा प्रबंधन करने के लिए बोर्ड अनुमोदित लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ताकि बैंक की सम्पूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति(ओआरएम) को लागू करने में प्रबंधन हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किए जा सकें और विस्तृत तथा मजबूत परिचालन लॉस डाटाबेस को बनाया जा सके।

मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2017 को संवर्ग वार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार रही:

श्रेणी	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017
अधिकारी	6632	6663
लिपिक	2202	2241
अधीनस्थ स्टाफ	569	496
कुल	9403	9400

रोजगार में महिलाएं : 31.03.2017 को हमारे कुल 9400 स्टाफ सदस्यों में से 2454 महिलाएं हैं जो कुल योग का 26.11% बनती हैं।

महिला सशक्तिकरण : बैंक ने अपनी महिला कर्मिकों को सशक्त बनाने और उनके कैरियर में वृद्धि करने हेतु विशेष कदम उठाए हैं। प्रधान कार्यालय में स्थित प्र.का. मानव संसाधन विकास महिला कक्ष बैंक में महिला कर्मिकों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों, अनुरोधों तथा शिकायतों/शिकायती पत्रों पर तुरंत निवारण के लिए कार्रवाई करता है और बैंक की सभी महिला कर्मिकों के कल्याण की देखभाल करता है। बैंक में महिला दिवस भी मनाया गया। बैंक ने बैंक की सभी स्थायी पूर्णकालीन महिला कर्मिकों के लिए उनके संपूर्ण कैरियर में 2 वर्ष की विराम अवकाश योजना को लागू किया है।

पदोन्नतियां : बैंक वर्ष दर वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों की अच्छा काम (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्य से पदोन्नत नियमित रूप से करता रहता है।

ICAAP POLICY: In compliance with Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel-III, Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II& Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK: Credit Risk Management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by the Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers. Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate Exposure, NBFC Exposure, Real Estate Exposure and Retail Exposure, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK: The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates. The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank. The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

OPERATIONAL RISK: The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital. The Bank has Board approved Framework for Loss Data Management to set minimum standards for management of Bank's Operational Loss Data in order to comply with the overall Operational Risk Management (ORM) Policy of the Bank and facilitate creation of a robust and comprehensive Operational Loss Database.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2017 is as under:

Category	31 st March 2016	31 st March 2017
Officers	6632	6663
Clerks	2202	2241
Sub-staff	569	496
Total	9403	9400

Women in employment: Out of the total strength of 9400 as on 31.03.2017, the women employees are 2454 constituting 26.11% of the total strength.

Women Empowerment: The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth. HO HRD Women Cell at Head Office looks after feedback/ suggestions, requests and complaints/grievances, received from women staff of the Bank for quick disposal and Welfare of all Women Staff Members of the Bank. Women's Week was also celebrated in the Bank. The Bank has implemented Sabbatical Leave Scheme for all permanent full time Women employees for maximum of 2 years during their entire career.

Promotions: The Bank is regularly promoting its employees almost in all cadres year after year to keep on rewarding the top performers and make them assume higher responsibilities.

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

बैंक में भर्ती हुए नए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अभिमुखता प्रशिक्षण, शाखा स्तर पर अग्रिमों हेतु प्रशिक्षण, ऋण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण मूल्यांकन, एन.पी.ए. प्रबंधन और एनपीए की वसूली पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए। एकल विंडो परिचालक (एस.डब्ल्यू.ओ.) को भी प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उनके पेशागत कौशल को निरंतर विकसित करने के लिए आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तावित 21 प्रमाणित एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। बैंक ने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए आईआईबीएफ से करार भी किया है जिसको इंटरनेट पर "एचआरडी पहल: ई-लर्निंग" के शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बैंक ने अपने समस्त कार्यालयों/शाखाओं में नियुक्त सभी कार्मिकों को अल्पावधि में एक ही समय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध वेबिनार का आयोजन किया है।

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली : रोहिणी, दिल्ली में स्थित बैंक के नए स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज का दिनांक 06.02.2017 को उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा किया गया।

बैंक ने 'ग्राहक सेवा समिति' (दामोदरन समिति) की अनुशंसा पर मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) की नियुक्ति की गयी है ताकि बैंक ग्राहकों को उपलब्ध शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जा सके।

औद्योगिक संबंध : बैंक में संपूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवादों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार परिवाद निवारण समिति का गठन भी किया गया। बैंक ने मुम्बई में होलीडे होम सुविधा शुरू की।

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोजगार : बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति संवैधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है।

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कार्मिकों से संबंधित सभी मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी जोकि महाप्रबंधक की रैंक का है, को पदनामित किया गया है।

दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अन्तर्गत कार्मिक संख्या निम्न है:

श्रेणी	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सेवाकर्मी	दिव्यांग
अधिकारी	1057	474	1185	54	100
लिपिक	496	70	460	153	38
अधीनस्थ स्टाफ	182	23	29	92	11
कुल	1735	567	1674	299	149

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां तथा आर्थिक सहायता:-

बैंक में कार्मिकों के सेवाकाल के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान अथवा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि का भुगतान करने की योजना है।

कार्मिक कल्याण : बैंक में कार्मिकों के विकासशील गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता करने हेतु उत्साहित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। वर्ष 2016-2017 के दौरान, बैंक की कई कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

- दिनांक 31.03.2017 को बैंक की सभी 1500 शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा के साथ कार्य कर रही हैं।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग/मोबाईल बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजस्व संग्रहण (समग्र बिल) रु. 5.78 लाख (लगभग) है।
- वर्ष 2016-2017 के दौरान बैंक ने 30 नए एटीएम की स्थापना की है। दिनांक 31.03.2017 तक बैंक के कुल एटीएम संख्या 1253 है।
- सभी नए कार्डों को ईएमवी चिप कार्ड के रूप में जारी किया जा रहा है।
- डेबिट कार्डों की हॉट लिस्टिंग को एसएमएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- बैंक ने वर्तमान ए.टी.एम. इंटरफेस को रुपये इंटरफेस में प्रत्यावर्तित कर दिया है।

Training & Human Resources Development:

The newly recruited Probationary Officers were provided training under different fields such as Orientation Programme, Training on Advances at Branch Level, Training Programme on Credit Management, Credit Appraisal, NPA Management & Recovery of NPAs. Single Window Operators (SWO) were also imparted Induction Training.

To encourage staff members to upgrade their professional skills, the Bank has incentivized re-imbursement of the full course fee of 21 Certificate and Diploma Courses offered by IIBF. The Bank has also tied up with IIBF for e-learning material for JAIIB & CAIIB which has been placed on the Bank's intranet under the head **"HRD Initiative: E-Learning"**

In view of MoF guidelines, the Bank regularly conducts Webinars to reach out to all the staff members working in the branches/offices at the same time to train them in a short span.

Staff Training College, Rohini, Delhi : Bank's New Staff Training College situated at Rohini, Delhi was inaugurated by Chairman & Managing Director on 06/02/2017.

The Bank has engaged a Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman) in view of the recommendations of the Committee on Customer Service in the Banks (Damodaran Committee) in order to strengthen the Grievance Redressal Mechanism available for the Bank customers.

Industrial Relations: The Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. A Grievance Redressal Committee has been constituted as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by the staff members. The Bank opened a Holiday Home facility at Mumbai.

Employment to Reserved Category Employees: The Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and Other Backward Classes of the society.

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor reservation & other provisions for SC/ST employees. A General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees and takes care of all matters of grievance redressal of SC/ST employees of the Bank.

The staff strength on 31.03.2017 under various reserved categories is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1057	474	1185	54	100
CLERKS	496	70	460	153	38
SUB-STAFF	182	23	29	92	11
TOTAL	1735	567	1674	299	149

Compassionate appointments and financial assistance to the dependents of Deceased Employees:

The Bank is having a scheme for appointment on compassionate grounds or payment of ex-gratia amount in lieu of compassionate appointment to eligible family of the deceased employee who dies while in service.

Staff Welfare: In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Welfare Trust of Employees is maintaining various welfare schemes for the staff. During the financial year 2016-17, welfare schemes of the Bank were successfully implemented.

INFORMATION TECHNOLOGY

- As on 31.03.2017, all 1500 branches are on Core Banking Solution with RTGS/NEFT facility.
- Users in Internet Banking/Mobile Banking have increased by 50% during FY 2016-17.
- The revenue collection of Financial Year 2016-17(Bill Aggregators) is Rs.5.78 Lac (Approx).
- The Bank has installed 30 new ATMs during the Year 2016-17. Total number of ATMs of the Bank as on 31.03.2017 is 1253.
- All new cards are being issued as EMV Chip Cards.
- Hot listing of debit cards through SMS has since been implemented
- The Bank had migrated existing ATM interface to Rupay Interface

- बैंक में सुकन्या स्मृति योजना (एसएसवाई) लागू कर दी गई है।
- बैंक में रु. 1 करोड़ से कम मूल्य की सावधि जमा की परिपक्वता का स्वतः नवीनीकरण लागू कर दिया है।
- बैंक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) को लागू कर दिया है।
- बैंक ने ग्राहक संतुष्टिकरण फीडबैक लागू कर दी है।
- बैंक के ग्राहकों को मिस्ड कॉल पूछताछ सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
- यूपीआई/पीओएस/आधार-पे/भारत-क्यूआर प्रतीक्षा में हैं और अति शीघ्र लागू की जाएंगी।
- भा.रि. बैंक के विमुद्रीकरण पर दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुसरण किया गया और उनको लागू किया गया जिसमें बैंक के ए.टी.एम. का पुनः केलिब्रेशन सम्मिलित है।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में प्रत्येक स्तर पर सुपरिभाषित दायित्वों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह आंतरिक लेखा परीक्षण निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से परिचालित करती है। कार्यकारियों की लेखा परीक्षा समिति, जोकि प्रथम स्तरीय समिति है, निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्य देखती है।

बैंक लेखा परीक्षण करता है जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षण और निरीक्षण (एमआई) और ऋण लेखा परीक्षण जिसके द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। बैंक की व्यवसायिक ईकाइयां/कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण के अधीन है और प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के क्षेत्र में आंचलिक कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय आते हैं और नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, के अतिरिक्त उसके निष्पादन की गुणवत्ता और रु. 3 करोड़ एवं उससे अधिक के ऋण जोखिम बाह्य सनदी लेखाकारों के लेखा परीक्षण के अधीन आते हैं।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग लोक उत्पीड़न/शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान 4437 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 86 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रिया में हैं।

अनुपालन कार्यकलाप : अनुपालन विभाग संबंधित व्यवसायिक विभागों को नियामक दिशा-निर्देशों का प्रसार करता है और उसका अनुपालन सुनिश्चित करता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुपालन विभाग ने भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशानुसार सी.ए.एम.ई.एल.एस. फ्रेमवर्क से आर.बी.एस. पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क में प्रत्यावर्तित को सुनिश्चित कर दिया है।

जन-संपर्क तथा प्रचार-प्रसार

वित्तीय-वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने जन-समुदाय के बीच में तथा कॉरपोरेट स्तर पर अच्छी छवि बनाने के लिए एक मल्टी-मीडिया नीति अपनाई है तथा बैंक ने संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया में अपने उत्पादों, संविदाओं, वित्तीय तथा अन्य डिसप्ले/सूचनाओं को विभिन्न समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित कर प्रचार-प्रसार किया है। बैंक ने अपने वाल कैलेंडर, 2017 के माध्यम से भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की जिसको ग्राहकों और शुभचिन्तकों के बीच में बहुतायत से बांटा गया।

सतर्कता

निरोधात्मक सतर्कता

पाँच बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों में सतर्कता प्रशासन के ज्ञान में वृद्धि/संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से, "सतर्कता प्रशासन तथा निरोधात्मक सतर्कता" पर एक दिन की कार्यशाला का आयोजन दिनांक 05.08.2016 को प्रशासनिक स्टाफ कॉलिज ऑफ इंडिया, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में किया गया। माननीय श्री के.वी. चौधरी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर माननीय आयुक्त, सीवीसी ने बैंक की आवधिक पत्रिका "पीएसबी विजिल" (द्वितीय भाग) का भी विमोचन किया। 5 बैंकों के 100 से अधिक वरिष्ठ कार्यपालकों अर्थात् पंजाब एण्ड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक ने सक्रियता से कार्यक्रम में सहभागिता की।

बैंक ने केंद्रीय विषय-वस्तु "एकता को प्रोत्साहित करने में सहभागिता और भ्रष्टाचार को समाप्त करना" को सत्य निष्ठा के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 को मनाने के दौरान बैंक ने देश भर में विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए और 3 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुश्री नीलम साहनी, आई.ए.एस., सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई और 200 से अधिक सहभागियों, मुख्यतया: समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे नागरिकों, तथा बैंक के उच्चाधिकारीगण उपस्थित थे। श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ सुश्री नीलम साहनी, आई.ए.एस., सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मुख्य अतिथि होने के कारण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान, सतर्कता समाचार पत्र "करे और न करे" का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण देश में बैंक स्तर पर ग्राम सभाओं/स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया जिनमें 68000 से अधिक सहभागियों द्वारा सहभागिता की गई।

- Sukanya Samrithi Yojna(SSY) has been implemented in the Bank.
- Auto renewal of FDRs with maturity value of <1 Crore has been implemented in the Bank.
- Pradhan Mantri Garib KalyanYojna (PMGKY) has been implemented in the Bank.
- The Bank has implemented Customer satisfaction feedback
- Missed Call inquiry facility has been provided to the customers of the Bank.
- UPI/ POS/ Aadhar-Pay/ Bharat-QR are in pipeline and shall be implemented shortly.
- RBI guidelines on demonetization were strictly followed and implemented including re-calibration of ATMs in the Bank. .

INTERNAL CONTROLS

The Bank has in-built control systems with well-defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through Inspection & Audit Department. Audit Committee of Executives, being first tier Committees oversees the Inspection & Audit function.

The Bank carries out audits-like Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit (CCA), Information System Audit, Management Audit & Inspection (MAI) and Credit Audit through which different facets of Internal Audit requirements are covered. The Bank's business units/offices are subjected to RBIA, CCA & IS Audit and Bank's Management Audit & Inspection covers Zonal Offices & other Administrative Offices and examines policies and procedures, besides quality of execution thereof and credit exposures of Rs. 3.00 crore & above are subjected to Credit Audit by external Auditors.

Inspection & Audit Department is monitoring redressal of public grievances/complaints. During FY 2016-17, 4437 complaints were received of which 86 complaints are in process for redressal.

COMPLIANCE FUNCTION: Compliance Department disseminates the regulatory guidelines to respective business departments and ensures its compliance.

During the FY 2016-17, Compliance Department ensured migration from CAMELS framework to RBS supervisory framework as per RBI directives.

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2016-17, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in public at corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its products, tenders, financial and other display/notice advertisements in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country. The Bank received immense publicity through Bank's traditional Wall Calendar 2017 which was widely distributed.

VIGILANCE

PREVENTIVE VIGILANCE

With the aim to sensitize /enrich the knowledge of Vigilance Administration in the Senior functionaries of Banks, **One Day Workshop on "Vigilance Administration & Preventive Vigilance"** for the Senior Functionaries of Five Banks was organized at Administrative Staff College of India, Banjara Hills, Hyderabad on 05.08.2016. Hon'ble **Shri K.V Chowdary, Central Vigilance Commissioner inaugurated the programme being the Chief Guest of Honour.**

On this occasion the Hon'ble Commissioner CVC also released Bank's Periodical " PSB Vigil " (2nd Volume). More than **100 Senior Functionaries** of 5 Banks viz **Punjab & Sind Bank, Central Bank of India, Andhra Bank, State Bank of Hyderabad and Bhartiya Mahila Bank, actively participated in the programme.**

The Bank observed **Vigilance Awareness Week with the central theme "Participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption"** in true spirit. During the course of observance of Vigilance Awareness Week 2016, the Bank organized different programmes at different centres across the country and the **main function was organized at New Delhi on 3rd November 2016.** **Ms Nilam Sawhney, IAS, Secretary, Central Vigilance Commission,** being Chief Guest graced the occasion and addressed the gathering of more than 200 participants, mainly consisting of citizens representing different sections of the society and senior functionaries of the Bank. **Shri Jatinderbir Singh, IAS, CMD along with Ms Nilam Sawhney, IAS, Secretary, CVC inaugurated the programme, being the Guest of Honour.** During the programme Vigilance News Letter " DOs & DONTs " was also released. Besides, different programmes were also organized at the Bank level across the country at **Gram Sabhas / schools and colleges** which were **attended by more than 68000 participants.**

इस वर्ष माननीय आयोग ने आम जनता की बहुलता में सहभागिता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ई-शपथ (एकता शपथ) गतिविधि को प्रस्तुत किया। इस संबंध में, बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हाईपर लिंक द्वारा ई-शपथ लेने के प्रति बैंक के ग्राहकों/स्टाफ को प्रोत्साहित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 10000 से अधिक व्यक्तियों ने सहभागिता की और संपूर्ण देश में ई-शपथ सुविधा का लाभ उठाया गया।

विमुद्रीकरण प्रक्रिया

विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान अर्थात् 09 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक सतर्कता अधिकारियों ने अनुवर्ती कार्रवाई और संबंधित विभाग तथा नियंत्रक के साथ निगरानी करने में प्रमुख भूमिका निभाई कि भारत सरकार/भारि. बैंक द्वारा विमुद्रीकरण के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का सत्य-निष्ठा के साथ अनुपालन किया जा रहा है। सतर्कता विभाग ने संबंधित नियंत्रक तथा प्रबंधन के साथ मामले को उठाया ताकि जहाँ कहीं भी गंभीर अनियमितताएं थी, उन पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जा सके।

दंडात्मक सतर्कता

सभी अनुशासनात्मक प्राधिकारियों/नियंत्रकों की सक्रिय सहभागिता और माननीय सी.वी.सी./अन्य सरकारी अभिकरणों के समन्वय से, हम अनिर्णीत सतर्कता (आरडीए) मामलों/शिकायतों आदि की स्थिति को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं जो निम्न से परिलक्षित है:

	2013 -14	2014 -15	2015 -16	2016 -17
अनिर्णीत सतर्कता (आरडीए) मामले	75	70	58	49
अनिर्णीत सीवीसी संदर्भित मामले	02	01	00	00
जारी आरोप पत्र	102	63	56	53
स्वीकृत सूची में अधिकारियों की संख्या	53	23	20	18
ओडीआई सूची में अधिकारियों की संख्या	135	120	98	81

सुरक्षा : बैंक की संगठनात्मक संरचना में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित है। भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध करवाई गई है।

सभी शाखा कार्यालयों एवं करेंसी चेस्टों में सुरक्षा अलार्म सिस्टम स्थापित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्टों के अनुरूप अधिकांश शाखाओं में स्ट्रांग रूम स्थापित किए गए हैं। सभी करेंसी चेस्टों में सी.सी.टी.वी. निगरानी पद्धति संस्थापित करवा दी गई है।

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को लागू करना : भारि. बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़ कर) को कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करने की सलाह दी है जोकि भारि. बैंक द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देशों अथवा निर्देशों के अधीन है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 अप्रैल, 2018 के बाद आरम्भ हो रही लेखा अवधि के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो रही अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों में इंड एस अनुपालन करना आवश्यक है। नियामक अनिवार्यताओं के अनुपालन में, बैंक ने इंड एस को लागू करने हेतु कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया है। संचालन समिति के कार्यक्षेत्र में निम्न क्षेत्रों के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्मिलित है:

- (क) इंड एस तकनीकी आवश्यकताएं
- (ख) प्रक्रिया एवं प्रणाली
- (ग) व्यवसाय प्रभाव
- (घ) जन-मानस
- (ङ) परियोजना प्रबंधन

बोर्ड की लेखा समिति इंड एस को लागू करने की प्रगति पर निगाह रखेगी और तिमाही आधार पर बोर्ड को अद्यतित करेगी।

इंड एस को लागू करने की योजना के तौर पर, बैंक वर्तमान लेखा फ्रेमवर्क और इंड एस के मध्य में भिन्नता का विश्लेषण पूर्ण करने की प्रक्रिया में है। बैंक भारि. बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त छः माह की वित्तीय विवरणी को भी तैयार करने की प्रक्रिया में है।

राजभाषा कार्यान्वयन : वर्ष 2016-17 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। जहाँ एक ओर बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को दिल्ली के सभी बैंकों के लिए बनाई गई समिति (दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) द्वारा लगातार दूसरे वर्ष 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया वहीं दूसरी ओर 24 मई 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर भी इस पत्रिका को राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई। दिल्ली बैंक नराकास द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरबैंक प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक को कुल 16 पुरस्कार प्राप्त हुए जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने के लिए बैंक को लुधियाना, बठिंडा, दिल्ली, पटना, बैंगलूरू, चैन्नै, जोधपुर, गुवाहाटी और पणजिम(गोवा) में भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

This year the Hon'ble Commission introduced E-Pledge (Integrity Pledge) activity to create greater awareness and participation of public at large. In this respect, **staff members / customers of the Bank were encouraged to have E-Pledge through hyper link provided on Bank's web site, which resulted in participation of more than 10000 people and availed E-Pledge facility across the nation.**

DEMONITISATION DRIVE

During the Demonetisation period i.e. **from 9th November, 2016 to 30th December, 2016**, Vigilance Officials played a key role in follow up and monitoring with the concerned Department and the Controllers that guidelines issued by the Govt. / RBI from time to time in respect of Demonitisation drive are being followed in the Bank in true spirit. The Vigilance Department took up the matter with the respective Controllers and Management to ensure that wherever there were serious irregularities; the same have been dealt with suitably and firmly.

PUNITIVE VIGILANCE

With the active involvement of all the Disciplinary Authorities (DAs) / Controllers and proper coordination with the Hon'ble CVC / other Govt. Agencies, pending vigilance (RDA) matters / complaints etc. were brought down to bare minimum level which is evident from following table:

	2013 - 14	2014 - 15	2015 - 16	2016 - 17
Vigilance (RDA) Cases pending	75	70	58	49
Pending CVC referred Complaints	02	01	00	00
Charge Sheet issued	102	63	56	53
No. of officials in the Agreed List	53	23	20	18
No. of officials in the ODI List	135	120	98	81

SECURITY: The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. All essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches. CCTV Surveillance System has been installed at all Currency chests.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARD (Ind AS): RBI vide circular dated February 11, 2016 had advised scheduled commercial banks (except RRBs) to follow the Indian Accounting Standards as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, subject to any guideline or direction issued by the RBI.

Scheduled commercial banks are required to comply with Ind AS for financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the period ending March 31, 2018.

In compliance with the regulatory requirements, the Bank has constituted a Steering Committee headed by Executive Director to oversee the implementation of Ind AS. The scope of the Steering Committee includes evaluating the impact on the following areas:

- Ind AS technical requirements
- Systems and processes
- Business impact
- People
- Project management

The Audit Committee of Board will oversee the progress of implementation of Ind AS and update to the Board on a quarterly basis.

As a part of the Ind AS implementation plan, the bank is currently in the process of completion of diagnostic analysis of differences between the current accounting framework and Ind AS. The Bank is also in the process of preparation of proforma financial statements for the six months ended 30 September 2016 to be submitted to RBI."

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE : 2016-17 was the year of achievements in the area of implementation of Official Language. On the one hand, Bank's Hindi Magazine 'RAJBHASHA ANKUR' was awarded 1st Prize continuously for the second year by Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) and on the other hand, the Magazine was awarded All India Level "Rajbhasha Shield" from Reserve Bank of India on 24th of May 2016. During the year, Delhi Bank TOLIC also awarded Punjab & Sind Bank with 16 Prizes which is a new record. Besides this, Bank was awarded Rajbhasha Shields in Ludhiana, Bhatinda, Delhi, Patna, Bengluru, Chennai, Jodhpur, Guwahati and Panjim (Goa) by respective TOLICs for better Implementation of Official Language in banking sector.

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। पोर्टल से हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन लाइन करने में सहायता मिलेगी और बैंक की पत्रिका, ई-पत्रिकाएं और राजभाषा संबंधी अन्य जानकारी/गतिविधियों को देखा जा सकेगा।

इस वर्ष एक बड़ी उपलब्धि यह रही है कि देश में पहली बार, भारत सरकार की गृह मंत्रालय स्तरीय नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) का गठन हमारे बैंक द्वारा किया गया है। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, बैंकों/उपक्रमों की इस समिति की अध्यक्षता फरीदकोट नगर में दिनांक 10.03.2017 को हमारे बैंक द्वारा की गई।

पत्रिका में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को प्रमुखता दी जा रही है जिसकी बैंकिंग उद्योग में भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। इस प्रयोग में अभी तक उड़िया, बंगला, संथाली, पंजाबी, तमिल और मराठी भाषाओं की सामग्री को उनके हिंदी रूप सहित प्रकाशित किया जा चुका है।

खेल-कूद

15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की हॉकी एकेडमी के अतिरिक्त, बैंक की एक स्पोर्ट एकेडमी भी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की हॉकी टीम तैयार करती है। बैंक की हॉकी टीम के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया:

श्री रमनदीप सिंह	श्री हरबीर सिंह	श्री सतबीर सिंह
श्री प्रबदीप सिंह	श्री हरजोत सिंह	

श्री रमनदीप सिंह ने अगस्त, 2016 में रियो ओलम्पिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है।

हॉकी इण्डिया द्वारा आयोजित इण्डियन प्रीमियर लीग 2017 में विविध टीमों की ओर से 9 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। इनमें से पांच खिलाड़ियों जिनका नाम श्री सिमरनजीत सिंह, श्री विक्रमजीत सिंह, श्री परविन्दर सिंह, श्री गुरविन्दर सिंह और श्री सन्ता सिंह ने भी लखनऊ में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया और भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2016-17 के लिए श्री बलजीत सिंह सैनी(ओलम्पियन), को भारतीय महिला हॉकी टीम और इंडियन प्रीमियर लीग हेतु दिल्ली वेव राईडर्स टीम का कोच नियुक्त किया गया।

बैंक ने अपनी हॉकी टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान 8 हॉकी के खिलाड़ियों की नियुक्ति की है। बैंक ने स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 22 हॉकी खिलाड़ियों को जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टीम के लिए पंजीकृत किया है।

सामान्य प्रशासन : बैंक अपने स्वामित्व के परिसर पर निर्माण कार्य/परियोजना कार्य करा रहा है और विनिर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं को क्रय करने से भी जुड़ा हुआ है। स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, रोहिणी, दिल्ली का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा दिनांक 06.02.2017 को एस.टी.सी. का उद्घाटन किया जा चुका है। बैंक के कॉर्पोरेट हाउस तथा पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली में आवासीय फ्लैटों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण होने की आशा है।

निदेशक मंडल का गठन

31 मार्च, 2017 के अनुसार, निदेशक मंडल में तीन पूर्ण कालिक निदेशकों अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यकारी निदेशकों के अतिरिक्त पाँच अन्य निदेशकों जिसमें वित्त-मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों, दो शेयरधारक निदेशकों तथा एक अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

समावेशन

- श्री फरीद अहमद को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 16.02.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 4/5/(6) 2016-बीओ-1 के माध्यम से नियुक्त किया गया।

सेवा समाप्ति

- श्री संजय वर्मा ने दिनांक 11.08.2016 को गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्रीमती अनिता कर्णावर ने दिनांक 29.01.2017 को गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री ए.के. जैन ने दिनांक 31.01.2017 को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया अर्थात महीने का अंतिम दिन जिस दिन उन्होंने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य-प्रणाली बैंक के पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं, जोखिम प्रबंधन कार्य-प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है।

Bank launched 'RAJBHASHA PORTAL' during the year. Portal will help in submitting online Quarterly Progress Report and will facilitate viewing of the Bank magazine, E- magazines & official language related other information / activities.

A remarkable achievement of this year was that our Bank has constituted a TOLIC for the first time under Ministry of Home Affairs, Govt. of India. On 10.03.2017 in the city of Faridkot, our Bank presided over the committee of Central Government offices, banks/undertakings etc. The innovative step such as publishing the writings in Regional Languages has been given importance in the Magazine which is richly complemented by banking industry. So far, stories/articles in Odiya, Bengali, Santhali, Punjabi, Tamil and Marathi languages have been published with their Hindi versions.

SPORTS

The Bank has a Sports Academy which nurtures Bank's Hockey Team at National Level, besides Hockey Academy for age group of 15-18 years.

Following players of the Bank's Hockey Team have represented the Country:

Sh. Ramandeep Singh	Sh. Harbir Singh	Sh. Satbir Singh
Sh. Prabdeep Singh	Sh. Harjot Singh	

Shri Ramandeep Singh has represented Indian Hockey Team in Rio Olympic in August 2016.

9 players represented Indian Premier League 2017 from different teams, which was organized by Hockey India. Out of these, five players namely Sh. Simranjeet Singh, Sh. Vikramjit Singh, Sh. Parvinder Singh, Sh. Gurinder Singh and Sh. Santa Singh also represented Junior World Cup Hockey Tournament held at Lucknow and Indian Team won GOLD MEDAL in the tournament.

Sh. Baljeet Singh Saini was appointed as Coach of Indian Junior Women Hockey Team for the year 2016-17 and Coach of Delhi Wave Riders Team for Indian Premier League.

The Bank has recruited eight hockey players during the year to strengthen its hockey team. The Bank has also enrolled 22 Hockey players for Bank's Junior Hockey Academy under Scholarship Scheme.

GENERAL ADMINISTRATION: The Bank is undertaking construction works/projects on its owned premises and is also involved in the procurement of assigned Goods/Services. Construction of Staff Training College (STC) at Rohini, Delhi has been completed and STC was inaugurated on 06.02.2017. Bank's Corporate house and residential flats at East Kidwai Nagar, New Delhi are likely to be completed in FY 2017-18.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2017, the Board comprised of three Whole Time Directors viz Chairman & Managing Director and two Executive Directors besides five other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, two Share Holder Directors and one Part Time Non Official Director.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2016-17:

INCLUSIONS

- Sh. Fareed Ahmed was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5/(6) 2016-BO.I dated 16.02.2017.

CESSATIONS

- Sh. Sanjay Verma completed his term as Non Official Director on 11.08.2016
- Smt. Anita Karnavar completed her term as Non Official Director on 29.01.2017
- Sh. A K Jain completed his term as Executive Director of the Bank on 31.01.2017, i.e., the last day of the month in which he attained the age of superannuation.

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

बैंक निगमित प्रशासन से संबंधित मामले में सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच केन्द्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में –

- लागू लेखा-मानकों के साथ-साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को नियमित रूप से लागू किया गया है।
- वित्तीय-वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लिए उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा खातों को अविरल प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षण : जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है, बैंक ने समाप्त वर्ष मार्च, 2017 के लेखांकन वर्ष हेतु मैसर्स डिल्लों एण्ड एसोशिएट, चंडीगढ़ मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएट, नई दिल्ली मैसर्स धवन एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली तथा मैसर्स दविंदर पाल सिंह एण्ड कम्पनी होशियारपुर, को केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।

अभिस्वीकृतियां : बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सदभावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ-सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 मई, 2017

जतिन्दरबीर सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

The Directors confirm that in preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2017:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2017.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

STAUTORY AUDIT : As approved by Reserve Bank of India, the Bank has appointed M/s Dhillon & Associates, Chandigarh; M/s Tiwari & Associates, New Delhi; M/s Dhawan & Co., New Delhi and M/s Davinder Pal Singh & Co., Hoshiarpur as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2017.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges of various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 16 May, 2017

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट (2016-17)

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के साथ शेर-धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंकारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंकारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोद्धित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोद्धित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2017 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात् बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	12	1	शून्य	+
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	शून्य	11	शून्य	शून्य	*
3.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	शून्य	10	शून्य	शून्य	**
4.	श्री एस.आर. मेहर	निदेशक-वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	10	शून्य	शून्य	***
5.	श्री पी.के. जेना	निदेशक-भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	5	शून्य	शून्य	@
6.	श्री सुखेन पाल बबूता	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेरधारक निदेशक)	500	7	3	शून्य	\$
7.	श्री एम.एस. सारंग	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेरधारक निदेशक)	1100	10	1	शून्य	#
8.	श्री अतनु सेन	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	7	6	शून्य	##

+ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 सं. एफ.नं. 4/7/2013-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) अर्थात् पदग्रहण करने की तिथि 01.02.2014 या बाद में और दिनांक 31.12.2017 तक यानि कि अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2016-17)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2017 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2017	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
1	Sh. Jatinderbir Singh, IAS	Chairman & Managing Director	NIL	12	1	NIL	+
2.	Sh. M K Jain	Executive Director	NIL	11	NIL	NIL	*
3.	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	NIL	10	NIL	NIL	**
4.	Sh. S R Mehar	Director – MOF Nominee Director	NIL	10	NIL	NIL	***
5.	Sh. P K Jena	Director – RBI Nominee Director	NIL	5	NIL	NIL	@
6.	Sh. S P Babuta	Non-Official Director (Shareholder Director)	500	7	3	NIL	\$
7.	Sh. M S Sarang	Non-Official Director (Shareholder Director)	1100	10	1	NIL	#
8.	Sh. Atanu Sen	Non-Official Director	NIL	7	6	NIL	##

+ Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2013-BO-I dated 31st January 2014 as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge on or after 01.02.2014 and upto 31.12.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

- * वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2013 सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप 05 वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् पदग्रहण करने की तिथि या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- ** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 सं. एफ.नं. 4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- *** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2014 सं. एफ.नं. 6/3/2012-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- \$ शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2014 से निदेशक नियुक्त।
- # शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2014 से निदेशक नियुक्त।
- ## वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2016 सं. एफ.नं. 6/24/2015-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए:

(क) नियुक्ति -

- » श्री फरीद अहमद को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 16.02.2017 संख्या एफ.नं. 4/5(6)/2016-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

- » श्री संजय वर्मा ने गैर आधिकारिक अंशकालीन निदेशक के रूप में दिनांक 11.08.2016 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- » श्रीमति अनिता कर्णावर ने गैर आधिकारिक अंशकालीन निदेशक के रूप में दिनांक 29.01.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- » श्री ए.के. जैन ने कार्यकारी निदेशक के रूप में दिनांक 31.01.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया अर्थात् महीने का अंतिम दिन जब उन्होंने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की।

2.3 वर्ष 2016-17 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

(क) श्री फरीद अहमद

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री फरीद अहमद
2.	पिता का नाम	श्री अब्दुल रहमान
3.	जन्म तिथि एवं आयु	16.07.1960 तथा 56 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ई.डी. कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ईमेल पता	Fareed.ahmed@psb.co.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एमएससी(कृषि), सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक
8.	अनुभव	भूतपूर्व महाप्रबंधक, कॉर्पोरेशन बैंक
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	-----

- * Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director for a period of five years from the date of his taking over charge of the post , or until further orders, whichever is earlier.
- ** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(6)/2016-BO.I dated 16th February 2017 as Executive Director for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever is earlier.
- *** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 24th September 2014 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2014.
- # Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2014.
- ## Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/24/2015-BO-I dated 28th January 2016 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

2.2 Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2016-2017:

[A] Appointment:

- Sh. Fareed Ahmed was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5(6)/2016-BO.I dated 16.02.2017.

[B] Outgoing Directors during the year:

- Sh. Sanjay Verma completed his term as Non Official Part Time Director on 11.08.2016
- Smt. Anita Karnavar completed her term as Non Official Part Time Director on 29.01.2017
- Sh. A.K. Jain completed his term as Executive Director of the Bank on 31.01.2017, i.e., the last day of the month in which he attained the age of superannuation.

2.3 Profile of Director appointed during 2016-17:

[A] Sh. Fareed Ahmed

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. FAREED AHMED
2.	FATHER'S NAME	Sh. ABDUL RAHMAN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	16.07.1960 & 56 Years
4.	PRESENT ADDRESS	ED Office, Bank House, 21 Rajendra place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	Fareed.ahmed@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MSc. (Agri), CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Ex. GM Corporation Bank
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 09 बैठकें हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित खण्ड 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध है।

10.05.2016	28.06.2016	10.08.2016	28.09.2016	09.11.2016
28.12.2016	21.01.2017	08.02.2017	29.03.2017	

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबंध है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की	दिनांक 28.06.2016 की ए.जी.एम. में उपस्थिति
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1.04.2016 से 31.03.2017	9	9	उपस्थित
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	1.04.2016 से 31.03.2017	9	9	उपस्थित
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	1.04.2016 से 31.01.2017	7	7	उपस्थित
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.2.2017 से 31.03.2017	1	1	---
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	6	अनुपस्थित
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	8	अनुपस्थित
श्री संजय वर्मा – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	3	2	उपस्थित
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	7	7	उपस्थित
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	9	उपस्थित
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	8	उपस्थित
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	9	उपस्थित

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 17(5) की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य वार्षिक बैठक:

शेयरधारकों के लिए आयोजित की गई अंतिम तीन सामान्य आम बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है:

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	सोमवार 30.06.2014	प्रातः 9.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	सोमवार 29.06.2015	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	मंगलवार 28.06.2016	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।

डाक मत के द्वारा विगत वर्ष में कोई विशेष प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।

डाक मत के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2016-17, total 9 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

10.05.2016	28.06.2016	10.08.2016	28.09.2016	09.11.2016
28.12.2016	21.01.2017	08.02.2017	29.03.2017	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 28.06.2016
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	9	9	Attended
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	9	Attended
Sh. A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	7	7	Attended
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1	-----
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	6	Absent
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	8	Absent
Sh. Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2016 to 11.08.2016	3	2	Attended
Smt. Anita Karnavar – Non Official Director	01.04.2016 to 29.01.2017	7	7	Attended
Sh. M S Sarang – Shareholders Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	9	Attended
Sh. S P Babuta – Shareholders Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	8	Attended
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	9	Attended

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. Annual General Meeting :

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Monday 30.06.2014	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Monday 29.06.2015	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Tuesday 28.06.2016	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

No Special Resolution was passed last year through postal ballot.

No Special Resolution is proposed to be conducted through postal ballot.

4. निदेशकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्न प्रकार हैं—

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	अंशधारक संपर्क समिति
9.	मानव संसाधन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
11.	कार्यपालकों की पदोन्नति पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	वसूली की निगरानी समिति
14.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान
15.	इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति
16.	नामांकन समिति

4.1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड – 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना इस प्रकार है—

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक
6.	श्री अतनु सेन – गैर-आधिकारिक निदेशक

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Stakeholders Relationship Committee
9.	HR Committee
10.	I T Strategy Committee
11.	Committee of the Board on Executives' Promotions
12.	Committee for dealing with the case of appeals and review
13.	Committee for Monitoring of Recovery
14.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
15.	Review Committee for Willful Defaulter
16.	Nomination Committee

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2017 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Sh. M K Jain – Executive Director
3.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director
5.	Sh M S Sarang – Shareholders Director
6.	Sh. Atanu Sen – Non-Official Director

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 11 बैठक का आयोजन हुआ:

10.05.2016	17.06.2016	28.06.2016	10.08.2016	03.09.2016
28.09.2016	09.11.2016	28.12.2016	08.02.2017	20.03.2017
29.03.2017				

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	11	11
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	11	11
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2016 से 31.01.2017	8	7
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	2	2
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	11	11
श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 28.06.2016	2	2
श्री संजय वर्मा – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 10.08.2016	4	3
श्री अतनु सेन – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 10.08.2016 30.01.2017 से 31.03.2017	7	6
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर आधिकारिक निदेशक	11.08.2016 से 29.01.2017	4	4
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	30.01.2017 से 31.03.2017	3	3

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना तथा इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

1.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक

During the Financial Year 2016-17, the Management Committee of the Board met on 11 occasions on the following dates:

10.05.2016	17.06.2016	28.06.2016	10.08.2016	03.09.2016
28.09.2016	09.11.2016	28.12.2016	08.02.2017	20.03.2017
29.03.2017				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	11	11
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	11	11
Sh. A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	8	7
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	2	2
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	11	11
Sh. S P Babuta – Shareholders Director	01.04.2016 to 28.06.2016	2	2
Sh. Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2016 to 10.08.2016	4	3
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2016 to 10.08.2016, 30.01.2017 to 31.03.2017	7	6
Smt. Anita Karnavar – Non Official Director	11.08.2016 to 29.01.2017	4	4
Sh. M S Sarang – Shareholders Director	30.01.2017 to 31.03.2017	3	3

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S P Babuta – Share Holder Director (Chairperson)
2.	Sh. M K Jain – Executive Director
3.	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director
4.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) की 09 अवसरों पर बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई:

10.05.2016	04.06.2016	10.08.2016	03.09.2016	29.09.2016	09.11.2016
14.12.2016	21.01.2017	08.02.2017			

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
1.	श्री सुरखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक (दिनांक 01.04.2016 से अध्यक्ष)	01.04.2016 से 31.03.2017	9	9
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	9
3.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	6
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	9	8
5.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 30.01.2017	8	8

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003-04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

- धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।
- धोखाधड़ी का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ के उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना।
- धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक

During the Financial Year 2016-17, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 9 occasions on the dates given below:

10.05.2016	04.06.2016	10.08.2016	03.09.2016	29.09.2016	09.11.2016
14.12.2016	21.01.2017	08.02.2017			

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Sh. S P Babuta – Share Holder Director (Chairperson w.e.f. 01.04.2016)	01.04.2016 to 31.03.2017	9	9
2.	Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	9
3.	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	6
4.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	9	8
5.	Sh. M S Sarang – Share Holder Director	01.04.2016 to 30.01.2017	8	8

4.3 Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
5.	Sh. S P Babuta - Share Holder Director

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है:

27.06.2016	28.09.2016	29.12.2016	20.03.2017
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री जतिन्दरबीरसिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	3	3
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री संजय वर्मा – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 11.08.2016	1	1
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 29.01.2017	3	3
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	30.01.2017 से 31.03.2017	1	0

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफ.आर.एम.सी. नं. 7/23.04.001/2009-10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

4.4 सतर्कता समिति :

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठक की:

28.06.2016	03.09.2016	14.12.2016	20.03.2017
------------	------------	------------	------------

The Committee met four times during the Financial Year 2016-17 as per the details below:

27.06.2016	28.09.2016	29.12.2016	20.03.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	3	3
Shri. Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri. Sanjay Verma – Non official Director	01.04.2016 to 11.08.2016	1	1
Smt. Anita Karnavar – Non official Director	01.04.2016 to 29.01.2017	3	3
Sh. S P Babuta - Share Holder Director	30.01.2017 to 31.03.2017	1	0

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI. .

4.4 Vigilance Committee

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director
5.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director

The Committee met four times during the Financial Year 2016-17 as per the details below:

28.06.2016	03.09.2016	14.12.2016	20.03.2017
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रकार है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एम.के. जैन — कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री ए.के. जैन — कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	3	2
श्री फरीद अहमद — कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	1	1
श्री पी.के. जेना — भा.रि. बैंक नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एस.आर. मेहर — वित्त मंत्रालय नामित	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन — कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद — कार्यकारी निदेशक
4.	श्री अतनु सेन — गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. सारंग — शेयरधारक निदेशक
6.	श्री एस.पी. बबूता — शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार पाँच अवसरों पर बैठक की:

10.05.2016	27.06.2016	28.09.2016	28.12.2016
28.03.2017			

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	5	5
श्री एम.के. जैन — कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	5	5
श्री ए.के. जैन — कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	4	4
श्री फरीद अहमद — कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	1	1
श्री संजय वर्मा — गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 11.08.2016	2	1
श्रीमति अनिता कर्णार — गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 29.01.2017	4	4
श्री अतनु सेन — गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	5	5
श्री एस.पी. बबूता — शेयरधारक निदेशक	11.08.2016 से 31.03.2017	3	3
श्री एम.एस. सारंग — शेयरधारक निदेशक	30.01.2017 से 31.03.2017	1	1

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढांचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से हैं। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक की सुरक्षा की भी देखभाल होती रहे।

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri M K Jain– Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri A K Jain– Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	3	2
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1
Shri P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required. The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri Atanu Sen – Non official Director
5.	Shri M S Sarang – Shareholder Director
6.	Shri S P Babuta - Shareholder Director

The Committee met five times during the Financial Year 2016-17 as per the details below:

10.05.2016	27.06.2016	28.09.2016	28.12.2016
28.03.2017			

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	4	4
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1
Shri Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2016 to 11.08.2016	2	1
Smt. Anita Karnavar –Non Official Director	01.04.2016 to 29.01.2017	4	4
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2016 to 31.03.2017	5	5
Sh. Shri S P Babuta – Shareholder Director	11.08.2016 to 31.03.2017	3	3
Shri M S Sarang – Shareholder Director	30.01.2017 to 31.03.2017	1	1

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2017 को समिति के निम्न सदस्य हैं -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री एम.एस. सारंग - शेयरधारक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक सेवा शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठक हुई:

27.06.2016	28.09.2016	14.12.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एम.के. जैन - कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री ए.के. जैन - कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	3	3
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	0	0
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एम.एस. सारंग - शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4

(ख) ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं-

- बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना।
- आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उस को बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति/प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.6 Customer Service Committee:

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2017:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri M S Sarang – Shareholder Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2016-17, the Committee met on the following dates:

27.06.2016	28.09.2016	14.12.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	3	3
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	0	0
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri M S Sarang- Shareholder Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

- To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.
- To get feedback from the Zonal Offices and put up the same on customer service committee of the Board for necessary Policy / Procedural action facilitate change on an ongoing basis.

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं.20/1/2005-बीओ। द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन एवं देए/अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री पी.के. जेना – भारि. बैंक नामित निदेशक
2.	श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)
3.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक
4.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक

4.8 शेयरधारक संबंध समिति

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 17.04.2014 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नंस से संबंधित सूचीकरण करार के प्रावधानों की समीक्षा की है और कार्पोरेट गवर्नंस से संबंधित सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 को अधिसूचित किया है जोकि दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। खण्ड 49(VIII)(E) के अनुसार गैर-आधिकारिक निदेशक की अध्यक्षता में "शेयरधारक संबंध समिति" का गठन किया जाएगा जो शेयरधारकों तथा निवेशकों की कोई शिकायत, यदि कोई है, का निवारण करेगी।

अंशधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के परिवादों के निवारण करने की प्रक्रिया के लिए शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
3.	श्री एम.के.जैन – कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	सदस्य
5.	श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई।

10.05.2016	10.08.2016	09.11.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2016 से 31.01.2017	3	3
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	0	0
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

The composition of the present Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director
2.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
3.	Shri M S Sarang – Shareholder Director
4.	Shri S P Babuta –Shareholder Director

4.8 Stakeholders Relationship Committee:

SEBI vide Circular dated 17.04.2014, has reviewed the provisions of the Listing Agreement relating to Corporate Governance as per provisions of Companies Act, 2013 and has notified revised Clause 49 of the Listing Agreement relating to Corporate Governance w.e.f. 01.10.2014. Clause 49(VIII) (E) provides that a Committee under the Chairmanship of a non-executive Director named as “Stakeholders Relationship Committee” shall be formed to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders. The composition of the Committee as on 31st March 2017 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Shri M S Sarang – Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director	Member
3.	Shri M K Jain – Executive Director	Member
4.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director	Member
5.	Shri S P Babuta – Shareholder Director	Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2016-17

10.05.2016	10.08.2016	09.11.2016	08.02.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	3	3
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	0	0
Shri M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri S P Babuta – Shareholder Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2016 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2017 को बकाया
शून्य	04	04	शून्य

दिनांक 31.03.2017 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। श्री अजीत सिंह आहूजा, कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 की शर्तों के अनुसार (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के तहत बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

4.9 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन दिनांक 05.05.2012 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एशोसिएसनों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य कोई सदस्यों के मध्य से कोई एक बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार की जानी आवश्यक है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री अतनु सेन – गैर-आधिकारिक निदेशक
6.	श्री एम.एस. सारंग – शेरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं:

27.06.2016	28.09.2016	29.12.2016	28.03.2017
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	3	3
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	4	3
श्री संजय वर्मा – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 11.08.2016	1	1
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 29.01.2017	3	3
श्री अतनु सेन – गैर-आधिकारिक निदेशक	11.08.2016 से 31.03.2017	3	3
श्री एम.एस. सारंग – शेरधारक निदेशक	30.01.2017 से 31.03.2017	1	1

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2016	Received during the year	Resolved during the	Pending as on 31.03.2017
NIL	04	04	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2017. Shri Ajit Singh Ahuja, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.9 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. CMD, ED and anyone among the other members is the quorum for meeting. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri Atanu Sen – Non official Director
6.	Shri M S Sarang – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2016-17

27.06.2016	28.09.2016	29.12.2016	28.03.2017
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	4
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	3	3
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	4	3
Shri Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2016 to 11.08.2016	1	1
Smt. Anita Karnavar – Non Official Director	01.04.2016 to 29.01.2017	3	3
Shri Atanu Sen – Non official Director	11.08.2016 to 31.03.2017	3	3
Shri M S Sarang – Shareholder Director	30.01.2017 to 31.03.2017	1	1

4.10 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है।

दिनांक 31.03.2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – आई.ए.एस.–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)
5.	श्री अतनु सेन – गैर-आधिकारिक निदेशक
6.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

23.05.2016	27.06.2016	10.08.2016	28.09.2016
29.12.2016	28.03.2017		

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	6	6
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	6	6
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	5	5
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	6	3
श्री संजय वर्मा – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 11.08.2016	3	3
श्रीमती अनिता कर्णावर – गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2016 से 29.01.2017	5	5
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	11.08.2016 से 31.03.2017	3	3
श्री एस.पी. बबूता – शेयर धारक निदेशक	30.01.2017 से 31.03.2017	1	1

4.11 कार्यपालकों की पदोन्नति पर बोर्ड की समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
3.	श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक

4.10 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri Atanu Sen – Non official Director
6.	Shri S P Babuta – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2016-17

23.05.2016	27.06.2016	10.08.2016	28.09.2016
29.12.2016	28.03.2017		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	6	6
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	6	6
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	5	5
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	6	3
Shri Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2016 to 11.08.2016	3	3
Smt. Anita Karnavar – Non Official Director	01.04.2016 to 29.01.2017	5	5
Shri Atanu Sen – Non official Director	11.08.2016 to 31.03.2017	3	3
Shri S P Babuta -Shareholder Director	30.01.2017 to 31.03.2017	1	1

4.11 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
3.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director

4.12 अपीलों तथा समीक्षाओं के मामलों पर कार्रवाई करने हेतु निदेशक मंडल की समिति:

अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा याचिका तथा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 10.08.2016 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22389 द्वारा बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31.03.2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
2.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
3.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 28.12.2016 को समिति की बैठक हुई।

निदेशकों की समिति की उक्त बैठक में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	10.08.2016 से 31.03.2017	1	1
श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक	10.08.2016 से 28.12.2016	0	0
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	10.08.2016 से 31.03.2017	1	1
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	28.12.2016 से 31.03.2017	1	1

4.13 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012–बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, बैंक में वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

03.09.2016	14.12.2016	28.03.2017
------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	3	3
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2016 से 31.01.2017	2	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	17.02.2017 से 31.03.2017	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2016 से 31.03.2017	3	2

4.12 Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director
2.	Shri Atanu Sen – Non official Director
3.	Shri M S Sarang – Shareholder Director

The Committee met on 28.12.2016 during the financial year 2016-17.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meeting of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	10.08.2016 to 31.03.2017	1	1
Shri P K Jena – RBI Nominee Director	10.08.2016 to 28.12.2016	0	0
Shri Atanu Sen – Non official Director	10.08.2016 to 31.03.2017	1	1
Shri M S Sarang – Shareholder Director	28.12.2016 to 31.03.2017	1	1

4.13 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain – Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
4.	Shri S R Mehar – MOF Nominee Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2016-17

03.09.2016	14.12.2016	28.03.2017
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2016 to 31.03.2017	3	3
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.03.2017	3	3
Shri A K Jain – Executive Director	01.04.2016 to 31.01.2017	2	1
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	17.02.2017 to 31.03.2017	1	1
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2016 to 31.03.2017	3	2

4.14 शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान:

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 05.05.2012 संख्या 19840 द्वारा किया गया।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक

4.15 इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पार्टी को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के आदेश की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतन्त्र निदेशकों के साथ किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
3.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की दिनांक 28.09.2016 को बैठक हुई।

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	18.06.2016 से 31.03.2017	1	1
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	18.06.2016 से 31.03.2017	1	1
श्रीमती अनिता कर्णावर – गैर-आधिकारिक निदेशक	18.06.2016 से 29.01.2017	1	1
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	30.01.2017 से 31.03.2017	0	0

4.16 नामांकन समिति

भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 'फिट एवं प्रोपर' के अनुसार जाँच, नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सावधानी बरतने हेतु दिनांक 29.03.2017 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22749 द्वारा तीन सदस्यों के साथ नामांकन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
2.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक
3.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक

4.14 Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri M K Jain– Executive Director
3.	Shri Fareed Ahmed– Executive Director
4.	Shri M S Sarang – Shareholder Director

4.15 Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee headed by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
2.	Shri Atanu Sen – Non official Director
3.	Shri M S Sarang – Shareholder Director

The Committee met on 28.09.2016 during the financial year 2016-17

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	18.06.2016 to 31.03.2017	1	1
Shri Atanu Sen – Non official Director	18.06.2016 to 31.03.2017	1	1
Smt. Anita Karnavar – Non Official Director	18.06.2016 to 29.01.2017	1	1
Shri M S Sarang – Shareholder Director	30.01.2017 to 31.03.2017	0	0

4.16 Nomination Committee

Nomination Committee with minimum three members has been constituted vide Board Resolution No. 22749 Dated 29.03.2017 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI

The composition of the Committee as on 31st March 2017 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Atanu Sen – Non official Director
2.	Shri M S Sarang – Shareholder Director
3.	Shri S P Babuta – Shareholder Director

4.17 शेयर अंतरण समिति:

चार कार्यपालकों की समिति जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं, एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन करने के लिए बैठक करती है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गईं। शेयर अंतरण समिति की कार्यवाही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के अंदर सभी शेयरों का अंतरण कर दिया जाए।

4.18 अन्य प्रकटन

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य पद्धति कार्यक्रम का विवरण "निवेशकों की सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर प्रकट किया गया है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन एवं बकायों का भुगतान:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28,02,024.46
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	23,61,700.80
3.	श्री ए.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	19,33,944.00 (01.04.2016 से 31.01.2017)
4.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	2,57,622.86 (17.02.2017 से 31.03.2017)

ख. वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार तथा भा.रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	श्री सुखेन पाल बबूता	3,50,000
2.	श्री संजय वर्मा	1,30,000
3.	श्रीमती अनिता कर्णावर	3,40,000
4.	श्री एम.एस. सारंग	4,00,000
5.	श्री अतनु सेन	3,70,000
	कुल योग	15,90,000

6. प्रकटीकरण :

- बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों में टकराव की संभावना बनती हो।
- बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com> पर Related Party Policy में संबंधित पार्टी प्रविष्टियां नीति उपलब्ध है।
- बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।
- बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर पार्टी लेन-देनों नीति संबंधित व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट उपलब्ध है।
- बसेल II तथा बसेल III प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।
- लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

4.17 Share Transfer Committee:

A committee of four officials comprising of three GMs, one DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2016-17. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

4.18. Other Disclosures:

- The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website www.psbindia.com under head of "Investors Information".

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2016-17:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	28,02,024.46
2	Shri M K Jain	Executive Director	23,61,700.80
3	Shri A K Jain	Executive Director	19,33,944.00 (01.04.2016 to 31.01.2017)
4	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	2,57,622.86 (17.02.2017 to 31.03.2017)

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2016-17 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh. S P Babuta	3,50,000
2	Sh. Sanjay Verma	1,30,000
3	Smt. Anita Karnavar	3,40,000
4	Sh. M S Sarang	4,00,000
5	Sh. Atanu Sen	3,70,000
	TOTAL	15,90,000

6. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at www.psbindia.com.
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.
- Business Responsibility Report is available on website of the Bank at www.psbindia.com.
- Basel-II and Basel-III Disclosures are available on website of the Bank at www.psbindia.com.
- Dividend Distribution Policy is available on website of the Bank at www.psbindia.com.

7. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं:

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची-II के पार्ट-ई [विनियमन 27(1)] (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र है।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	कंपनी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सी.ई.ओ. के पद पर नियुक्त कर सकती है।	भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों को सूचना हेतु, तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु/बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
4.	कंपनी को अपरिशोधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जा सकती है।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अप्रतिबन्धित होती हैं।
5.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

8. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाइट- <http://www.psbindia.com> पर उपलब्ध है।

बैंक के भारत में इक्वटी शेयर निम्न प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

1. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लि.

फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001

बीएसई कोड: 533295

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051

एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉन्डों के संबंध में डेबिट सूचीयन करार के खंड 2 तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के सेबी परिपत्र संख्या परि/आईएमडी/डीएफ/18/2013 की शर्तों के अनुसार डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन

बांड धारकों हेतु ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.

पंजीकृत कार्यालय

भूतल, एशियन बिल्डिंग, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई - 400001

दूरभाष संख्या: (022) 40807000

फैक्स संख्या: 91-22-66311776/40807080

ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

7. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary requirements	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Company may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Chairman & Managing Director is appointed by Govt. of India in terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Quarterly/Half Yearly/Yearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
5.	The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: <http://www.psbindia.com>.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001
BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS :

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

AsianBuilding, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,

Ballard Estate, Mumbai – 400 001

Tel No. (022) 40807000

Fax No. 91-22-66311776 / 40807080

E-mail: itsl@idbitrustee.com

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय तल 'E', एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर,
पन्डूरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025
दूरभाष: (022) 24252525, फ़ैक्स नं. 91-22-24252525
ई-मेल: debenturetrustee@taxistrustee-com

9.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण :

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2017 को बैंक के पास 400411027 इक्विटी शेयर हैं जिनमें से 400404403 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	6624	0.0017
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	7,18,79,482	17.9514
सी.डी.एस.एल.*	32,85,24,921	82.0469
कुल योग	40,04,11,027	100.0000

* इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 31,88,22,775 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

9.2 ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

9.3 शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायत निवारण करने की प्रणाली हेतु अंशधारकों संबंधों पर समिति का गठन किया है। समिति नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं। बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन भी किया है जो शेयरों के ट्रांसमिशन/ट्रांसफर/रिमेट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम एक पखवाड़े में बैठक करती है।

बैंक ने मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है:

मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I,

पी.वी.आर. नारायणा के पास, नई दिल्ली-110028

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फ़ैक्स: (011) 41410591

ई मेल: delhi@linkintime.co.in

Axis Trustee Services Limited

Registered Office

2nd Floor 'E', Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,
 Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025
 Tel No: (022) 24252525 Fax No: +91-22-24252525
 Email: debenturetrustee@axistrustee.com

9.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2017 the Bank has 40,04,11,027 Number of Equity Shares of which 40,04,04,403 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	6624	0.0017
Dematerialized		
NSDL	7,18,79,482	17.9514
CDSL *	32,85,24,921	82.0469
Grand Total	40,04,11,027	100.0000

* includes 31,88,22,775 equity shares held by the Government of India.

9.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

9.3 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances. The Board has also constituted Share Transfer Committee which meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares, dividend etc.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd**(Unit: Punjab & Sind Bank)**

44, Community Centre, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-I,
 Near PVR Naraina, New Delhi-110 028.

Phone : (011) 41410592 to 0594

Fax : (011) 41410591

E Mail : delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं -

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, (शेयर कक्ष) 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008

दूरभाष: (011) 25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 6(2)(क) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है)

10. निलंब खाते में आबंटियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट(31.03.2017)

क्र.सं.	विवरण	एनएसडीएल इन301330 -21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1272	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	2 शेयर धारकों 100 शेयरों के लिए	—
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मा द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017	
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	29.06.2017 (बृहस्पतिवार)
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय	10 बजे प्रातः काल
सातवीं सामान्य बैठक का स्थल	इंडिया इंटरनेशनल केंद्र, 40, मैक्स मूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
बहियों को बंद करने की तारीख	23.06.2017 से 29.06.2017
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	24.06.2017 (सायंकाल 5.00 बजे तक)

13. 31 मार्च, 2017 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	318822775	79.62
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	20	43149634	10.77
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	3	86003	0.02
4.	कॉर्पोरेट निकाय	564	2835778	0.71
5.	व्यैक्तिक निवासी	123582	25643279	6.41
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	7033	1258063	0.31
7.	अनिवासी भारतीय	1077	820372	0.22
8.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	22	6977719	1.74
9.	ट्रस्ट	9	280922	0.07
10.	समाशोधन सदस्य	213	536482	0.13
	कुल योग	132524	400411027	100.00

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office : Accounts & Audit Deptt.(Shares Cell), 21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.

Telephone : (011) 25782926, 25812922

E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

10. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.3.2017):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1272	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	2 shareholders; for 100 shares	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2016 to 31st March, 2017	
Date of Seventh Annual General Meeting.	29.06.2017 (Thursday)
Time of Seventh Annual General Meeting	10.00 A.M.
Venue of Seventh Annual General Meeting	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
Book Closure dates	23.06.2017 to 29.06.2017
Last Date for receipt of Proxy Forms	24.06.2017 (upto 5.00 pm)

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2017

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	318822775	79.62
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	20	43149634	10.77
3.	Foreign Institutional Investors	3	86003	0.02
4.	Bodies Corporate	564	2835778	0.71
5.	Resident Individuals	123582	25643279	6.41
6.	Hindu Undivided Family	7033	1258063	0.31
7.	Non Resident Indians	1077	820372	0.22
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	22	6977719	1.74
9.	Trusts	9	280922	0.07
10.	Clearing Members	213	536482	0.13
	Total	132524	400411027	100.00

14. 31 मार्च, 2017 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 — 500	125092	94.3920	10581766	2.6427
501 — 1000	4018	3.0319	3167650	0.7911
1001 — 2000	1783	1.3454	2612720	0.6525
2001 — 3000	558	0.4211	1419542	0.3545
3001 — 4000	253	0.1909	905059	0.2260
4001 — 5000	214	0.1615	1011570	0.2526
5001 — 10000	306	0.2309	2303649	0.5753
10001 और अधिक	300	0.2264	378409071	94.5052
कुल योग	132524	100.00	400411027	100.00

15. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)		
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम(रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2016	38.90	34.05	1770427	38.90	34.20	390019
मई, 2016	40.95	34.60	4274871	41.00	34.75	886488
जून, 2016	53.80	39.50	8381887	54.00	39.60	1721229
जुलाई, 2016	53.70	47.35	6237877	53.80	47.20	1203829
अगस्त, 2016	54.60	46.90	4354981	54.50	46.10	781348
सितम्बर, 2016	58.80	49.55	4160454	58.25	49.00	920916
अक्टूबर, 2016	55.00	50.35	3677081	56.00	50.00	459724
नवम्बर, 2016	55.30	46.20	3479768	55.00	46.30	523130
दिसम्बर, 2016	51.45	45.80	732888	50.15	46.00	175648
जनवरी, 2017	50.40	46.65	1328457	50.50	46.50	239118
फरवरी, 2017	58.50	49.15	6391891	58.50	49.00	1136105
मार्च, 2017	56.90	51.80	4687139	57.00	51.85	633127

14. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2017

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	125092	94.3920	10581766	2.6427
501 – 1000	4018	3.0319	3167650	0.7911
1001 – 2000	1783	1.3454	2612720	0.6525
2001 – 3000	558	0.4211	1419542	0.3545
3001 – 4000	253	0.1909	905059	0.2260
4001 – 5000	214	0.1615	1011570	0.2526
5001 – 10000	306	0.2309	2303649	0.5753
10001 & Above	300	0.2264	378409071	94.5052
TOTAL	132524	100.00	400411027	100.00

15. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges: (From 01.04.2016 to 31.03.2017)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2016	38.90	34.05	1770427	38.90	34.20	390019
MAY 2016	40.95	34.60	4274871	41.00	34.75	886488
JUN 2016	53.80	39.50	8381887	54.00	39.60	1721229
JUL 2016	53.70	47.35	6237877	53.80	47.20	1203829
AUG 2016	54.60	46.90	4354981	54.50	46.10	781348
SEP 2016	58.80	49.55	4160454	58.25	49.00	920916
OCT 2016	55.00	50.35	3677081	56.00	50.00	459724
NOV 2016	55.30	46.20	3479768	55.00	46.30	523130
DEC 2016	51.45	45.80	732888	50.30	46.00	175648
JAN 2017	50.40	46.65	1328457	50.50	46.50	239118
FEB 2017	58.50	49.15	6391891	58.50	49.00	1136105
MAR 2017	56.90	51.80	4687139	57.00	51.85	633127

16. 31 मार्च, 2016 को श्रेयधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	श्रेय	(श्रेयों की संख्या) %
1.	अंडमान एवं निकोबार	11	583	0.0001
2.	आंध्र प्रदेश	5209	1583403	0.3954
3.	अरुणाचल प्रदेश	101	20680	0.0052
4.	असम	491	103080	0.0257
5.	बिहार	1353	437983	0.1094
6.	चंडीगढ़	764	201544	0.0503
7.	छत्तीसगढ़	648	113361	0.0283
8.	दमन एवं दीप	7	985	0.0002
9.	दिल्ली	12671	323411811	80.7699
10.	गोवा	174	27085	0.0068
11.	गुजरात	25340	4239866	1.0589
12.	हरियाणा	4392	751209	0.1876
13.	हिमाचल प्रदेश	259	51138	0.0128
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	206	50169	0.0125
15.	झारखंड	1130	209147	0.0522
16.	कर्नाटक	5854	1403401	0.3505
17.	केरल	1347	477331	0.1192
18.	मध्यप्रदेश	3577	720507	0.1799
19.	महाराष्ट्र	26296	57098246	14.2599
20.	मणिपुर	6	998	0.0002
21.	मेघालय	22	4256	0.0011
22.	मिजोरम	1	109	0.0000
23.	नागालैंड	18	6880	0.0017
24.	उड़ीसा	822	187174	0.0467
25.	पांडिचेरी	63	10798	0.0027
26.	पंजाब	4464	1166037	0.2912
27.	राजस्थान	11898	1715872	0.4285
28.	सिक्किम	4	595	0.0001
29.	तामिलनाडू	6458	1619976	0.4046
30.	त्रिपुरा	24	5824	0.0015
31.	उत्तर प्रदेश	7253	1758093	0.4391
32.	उत्तराखण्ड	648	134703	0.0336
33.	पश्चिम बंगाल	9401	2276192	0.5685
34.	ए.पी.ओ. / अन्य	1612	621991	0.1553
	कुल योग	132524	400411027	100.00

16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2017

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	11	583	0.0001
2.	ANDHRA PRADESH	5209	1583403	0.3954
3.	ARUNACHAL PRADESH	101	20680	0.0052
4.	ASSAM	491	103080	0.0257
5.	BIHAR	1353	437983	0.1094
6.	CHANDIGARH	764	201544	0.0503
7.	CHATTISGARH	648	113361	0.0283
8.	DAMAN & DIU	7	985	0.0002
9.	DELHI	12671	323411811	80.7699
10.	GOA	174	27085	0.0068
11.	GUJARAT	25340	4239866	1.0589
12.	HARAYANA	4392	751209	0.1876
13.	HIMACHAL PRADESH	259	51138	0.0128
14.	JUMMU & KASHMIR	206	50169	0.0125
15.	JHARKHAND	1130	209147	0.0522
16.	KARNATAKA	5854	1403401	0.3505
17.	KERALA	1347	477331	0.1192
18.	MADHYA PRADESH	3577	720507	0.1799
19.	MAHARASHTRA	26296	57098246	14.2599
20.	MANIPUR	6	998	0.0002
21.	MEGHALAYA	22	4256	0.0011
22.	MIZORAM	1	109	0.0000
23.	NAGALAND	18	6880	0.0017
24.	ORISSA	822	187174	0.0467
25.	PONDICHERRY	63	10798	0.0027
26.	PUNJAB	4464	1166037	0.2912
27.	RAJASTHAN	11898	1715872	0.4285
28.	SIKKIM	4	595	0.0001
29.	TAMIL NADU	6458	1619976	0.4046
30.	TRIPURA	24	5824	0.0015
31.	UTTAR PRADESH	7253	1758093	0.4391
32.	UTTARAKHAND	648	134703	0.0336
33.	WEST BENGAL	9401	2276192	0.5685
34.	APO/ OTHERS	1612	621991	0.1553
	Total	132524	400411027	100.00

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सूचीबद्ध करने संबंधी करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 के पैरा (ई) के अनुसूची-V के अनुसार विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में है।

कृते तिवारी एण्ड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

(संदीप संदिल)

साझेदार

एम.नं. 085747

एफआरएन 002870एन

कृते धवन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(आई.जे. धवन)

साझेदार

एम. नं. 081679

एफआरएन 002864एन

कृते ढिल्लों एण्ड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

(राजेश मल्होत्रा)

साझेदार

एम.नं. 090661

एफआरएन 002783एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(दविन्दर पाल सिंह)

साझेदार

एम.नं. 0086596

एफआरएन 007601एन

दिनांक: 16 मई, 2017

स्थान: नई दिल्ली

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance
To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2017 in terms of Schedule V Para (E) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Tiwari & Associates

Chartered Accountants

(Sandeep Sandill)

Partner

M. No. 085747

FRN : 002870N

For Dhillon & Associates

Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)

Partner

M. No. 090661

FRN : 002783N

For Dhawan & Co.

Chartered Accountants

(I. J. Dhawan)

Partner

M. No. 081679

FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.

Chartered Accountants

(Davinder Pal Singh)

Partner

M. No. 086596

FRN : 007601N

May 16, 2017

New Delhi

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

**विषय: वर्ष 2016-17 हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं)
अधिनियमों, 2015 की अनुसूची-V के अंतर्गत घोषणा**

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची-V के प्रसंग में विनिर्दिष्ट आचार संहिता की बैंक द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मई, 2017

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2016-17 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

सेबी (LODR), 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनुसूची - II के अनुपालन प्रमाण-पत्र के पार्ट-बी की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि: क. हमने वर्ष 2016-17 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

1. इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
2. ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंधित कमियों की यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:

- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
- 3) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जी.एस. ढींगरा)
मुख्य वित्त अधिकारी
(महाप्रबंधक-लेखा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2017

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

**Reg: Declaration for 2016-17 as per Schedule-V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2017 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For Punjab & Sind Bank

Place : New Delhi
Dated : 16 May, 2017

(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2016-17

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank
(G.S.Dhingra)
Chief Financial Officer
(General Manager-Accounts)

Place : New Delhi
Dated : 16 May, 2017

For Punjab & Sind Bank
(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.)	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3.	पंजीकृत पता	बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
4.	वेबसाइट	www.psbindia.com
5.	ई-मेल आईडी	complianceofficer@psb.co.in
6.	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2016-17
7.	क्षेत्र(ओं) जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड अनुसार)	बैंकिंग एवं वित्त
8.	तीन मुख्य उत्पादों की सूची दें जिनका कंपनी उत्पादन/उपलब्ध कराती है (जैसा कि तुलन-पत्र में दिए गए हैं)	1. जमाएं 2. ऋण एवं अग्रिम 3. संग्रहण एवं विप्रेषण
9.	स्थानों की कुल संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 स्थानों का विवरण) ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य 1500
10.	कंपनी द्वारा बाजारों में प्रदान की जा रही सेवा-स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खण्ड ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (₹)	400.41 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (₹)	1,45,803.25 करोड़
3.	कराधान के बाद कुल लाभ (₹)	201.08 करोड़
4.	कर के पश्चात् लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	24.36 लाख (0.12%)
5.	गतिविधियों की सूची जिनमें उक्त 4 को व्यय किया गया है	
	क. बैंक ने लुधियाना और मोगा के आरएसईटीआई में आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु रुपये 24.36 लाख का योगदान दिया है।	

खण्ड ग: अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं	नहीं
2.	क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के व्यवसायिक दायित्व पहल में सहभागिता करती हैं ?, यदि हाँ तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या बताएं	लागू नहीं
	यदि हाँ, तो इस प्रकार की संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं। (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)	लागू नहीं

खण्ड घ: व्यवसायिक दायित्वों संबंधी सूचना

1. व्यवसायिक दायित्वों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) व्यवसायिक दायित्व पॉलिसी/पॉलिसियों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण/उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के नाम

1.	डीआईएन नं.	
2.	नाम	श्री मुकेश कुमार जैन
3.	पदनाम	कार्यकारी निदेशक

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	Corporate Identity Number(CIN) of the Company	NA
2.	Name of the Company	PUNJAB & SIND BANK
3.	Registered Address	Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
4.	Website	www.psbindia.com
5.	E-mail ID	complianceofficer@psb.co.in
6.	Financial Year reported	2016-17
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Finance
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Deposits 2. Loans & Advances 3. Remittances & Collections
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company a) Number of International Locations (Provide details of major 5) b) Number of National Locations	Nil 1500
10.	Markets served by the Company-Local/State/National/ International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	Paid up Capital (INR)	400.41 crores
2.	Total Turnover (INR)	1,45,803.25 crores
3.	Total profit after Taxes (INR)	201.08 crores
4.	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	Rs.24.36 lacs (0.12%)
5.	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	
	a) Bank has contributed Rs.24.36 lacs for providing infrastructure facilities at RSETI at Moga & Ludhiana.	

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/Companies?	No
2.	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	NA
	If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%)	NA

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/ policies

1.	DIN Number	N.A.
2.	Name	Shri Mukesh Kumar Jain
3.	Designation	Executive Director

ख) – व्यवसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन नं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री जी.एस.ढीगरा
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नं.	011-25818492
5.	ई-मेल आईडी	gmaccounts@psb.co.in

2. व्यवसायिक दायित्व नीति/नीतियों – सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क. अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	जी 1	जी 2	जी 3	जी 4	जी 5	जी 6	जी 7	जी 8	जी 9
1.	क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हित धारकों से परामर्श कर किया जाता है/	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं ? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या उस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5.	क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की विशिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6.	ऑनलाईन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं	**		**	**	हाँ		**	**	**
7.	क्या नीति के बारे में संबंधित समस्त आंतरिक व बाह्य हित धारकों को सूचित किया जाता है?	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
8.	क्या कंपनी की नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के हित-धारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी/व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से नीति की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन/लेखा परीक्षण करवाया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

बैंकों में जारी सभी नीतियां आर.बी.आई., वित्त मंत्रालय, भारतीय संविधान, कानूनी प्रक्रिया इत्यादि के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार, वे राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं।

** बैंक की नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं और ये सार्वजनिक नहीं हैं।

ख. यदि किसी भी सिद्धांत के क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया इसका कारण स्पष्ट करें (2विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	जी 1	जी 2	जी 3	जी 4	जी 5	जी 6	जी 7	जी 8	जी 9
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई	सिद्धांत 7 के लिए नीति नहीं होने का कारण								
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन कर सकें	हालांकि सिद्धांत 7 के लिए कोई लिखित नीति नहीं है, बैंक देश के बड़े बैंकों में से एक होने के नाते सार्वजनिक हित, विशेष रूप से संचालन एवं प्रशासन के क्षेत्र में आर्थिक सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, सम्मिलित विकास नीतियों इत्यादि की बेहतरी के लिए नीति निर्धारकों तथा नियामकों का सहयोगी है।								
3.	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति स्रोत उपलब्ध नहीं है									
4.	इसे अगले 6 महीने में संपन्न किए जाने की योजना है									
5.	इसे अगले 1 वर्ष में संपन्न किए जाने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया विवरण दें)									

b) Details of the BR Head

No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A.
2.	Name	Shri G.S.Dhingra
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	011-25818492
5.	E-Mail ID	gmaccounts@psb.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3.	Does the Policy conform to any national/international standards? If yes, specify (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5.	Does the Company have a specified committee of the Board/Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to viewed on line?	**	**	**	**	Y	**	**	**	**
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9.	Does the company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

All the policies are followed by Bank are in conformity with the guidelines issued by RBI, MOF, Constitutions of India, legal Acts etc. Hence they confirm to national standards.

** The policies of the Bank are internal documents and are not accessible to the public.

b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is "NO", please explain why: Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having policy for P7:- While there is no written policy for Principle 7, Bank being member of these associations works directly / indirectly with policymakers and associations for sustainable development of the banking industry								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next one year									
6.	Any other reason (please specify)									

1. व्यवसायिक दायित्वों से संबंधित संचालन

(क) निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यवसायिक दायित्व कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए संबंधित आवधिकता का उल्लेख करे: 3 माह के भीतर, 3 से 6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	यह प्रथम वर्ष है, निदेशक मंडल की एक बैठक की गई जिसमें नीति पर विचार करके अनुमोदित किया गया
(ख) क्या कंपनी व्यवसायिक दायित्व या प्रतिधारण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?	बैंक बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन करता है और इसका अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक www.psbindia.com है।

खण्ड ड: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत-I

कारोबारी को अपने आपको संव्यवहार नीतिपरक पारदर्शी तथा उत्तरदायी द्वारा नियंत्रित होना चाहिए

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या नैतिक मूल्य, रिश्तखोरी तथा भ्रष्टाचारी संबंधी नीति में केवल संख्या से जुड़े मामले केवल कंपनी को कवर करते हैं? हाँ/नहीं	जी हां, इसमें केवल बैंक से जुड़े मामले ही शामिल होते हैं। बैंक भारत सरकार, सी. वी.सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से नियंत्रित होता है। यह वर्ष 1908 था जब देश के गरीबों में गरीब के उत्थान के लिए भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार तरलोचन सिंह जैसे दिग्गजों के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक का जन्म हुआ था। बैंक की स्थापना सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर आर्थिक प्रयासों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए उनके जीवन के स्तर में वृद्धि करने हेतु की गई थी। हालांकि दशकों निकल गए हैं लेकिन आज भी पंजाब एंड सिंध बैंक संस्थापक जन्मदाताओं की सामाजिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए सतर्कता संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था है:- 1) अधिकारियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (एपीआर) भरी जाती है तथा इसकी 100% जांच पड़ताल की जाती है। 2) प्र.का.सतर्कता विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों, जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है, की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है। 3) मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशील जगहों पर न हो। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। क्या इसे समूह/संयुक्तउपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्यों पर लागू किया जाता है?
2.	पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में इसका विवरण दें.	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 4,569 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा इनमें से 4453 (98.10%) का संतोषजनक ढंग से समाधान कर दिया गया। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक पूर्ण निदेशित एक सुगठित ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। बैंक ग्राहक की संतुष्टि तथा उनकी आवश्यकताओं/अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति सजग एवं जागरूक है और बैंक इस धारणा के प्रति प्रतिबद्ध है कि तकनीक प्रक्रिया, उत्पाद और स्टाफ कौशल का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाए।

सिद्धांत 2

व्यवसाय के माध्यम से इस प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाएं जो उनके समग्र जीवन चक्र में सुरक्षित तथा सहायक हो

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
1.	अपने 3 ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों की दृष्टि से निरोपित किया गया है।	ग्राहकों की जरूरतों पर विचार करते हुए बैंक ने उत्पादों और सेवाओं को प्रदान किया है और यह सुनिश्चित किया है कि उत्पाद और सेवाएं सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों के प्रति दीर्घकालिक हैं। ग्रीन पहल: – बैंक ने कई उत्पादों की शुरुआत की है जैसे कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम। इसके अलावा, बैंक में ग्रीन पिन सुविधा उपलब्ध है जो ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए डुप्लिकेट पिन प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। इसके अलावा बैंक स्टाफ, विक्रेताओं और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए भुगतान करना भी सुनिश्चित करता है। ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs): हमारे बैंक में पीएसबी ट्रस्ट के तत्वावधान में तीन ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को मोगा, फरीदकोट और लुधियाना में स्थापित किया है। आरसेटी, कृषि और ग्रामीण रोजगार (डीएआरई के लिए पीएसबी ट्रस्ट), विकास के लिए बैंक के ट्रस्ट यानी पीएसबी ट्रस्ट के तत्वावधान में जो स्वरोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित/संचालित करते हैं। वित्तीय समावेशन:- बैंक ने वंचित और अनापेक्षित वर्गों को सशक्त करने के लिए वित्तीय समावेशन लागू किया है और बैंक इन व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का अर्थात् अपवर्जित का समावेश और उनको समाज की उत्पादक आस्ति बनाने का प्रयास रहा है। आधार आधारित खातों को खोलने के लिए बीसी बिंदुओं पर ई-केवाईसी को लागू किया गया है।
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में प्रति यूनिट उत्पाद का निम्नलिखित विवरण दें— (ए) इस संदर्भ में पिछले वर्ष से साधनों/उत्पादन/वितरण के दौरान उपयोगिता में लाई गई कमी. (बी) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा,जल) लाई गई कमी.	सेवा संस्था होने के कारण यह लागू नहीं
3.	क्या कंपनी की संसाधन प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित) (ए) यदि हाँ, तो आपने इनपुट्स का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक प्राप्त किया है?। 50 शब्दों में इसका विवरण भी दें.	लागू नहीं
4.	क्या कंपनी ने स्थानीय तथा लघु उत्पादकों, जिसमें उनके कार्य स्थल के आसपास के समुदाय भी शामिल है, से उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ? (ए) यदि हाँ, तो उनकी क्षमता तथा स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की क्षमताओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?	लागू नहीं

Principle 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

No.	Question	Reply
1.	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities	The Bank has delivered products and services considering the needs of the customers and ensured that the products and services are sustainable to social and environmental issues. • Green Initiative:- The Bank has introduced several products viz. core banking solution, internet banking, mobile banking, ATMs. Further, the Bank has Green PIN facility which enables the customers to obtain duplicate PIN for debit card. Bank ensures payment to staff, vendors and clients electronically. • Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):- Our Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana, established under the aegis of Bank's Trust i.e. PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. • Financial Inclusion:- Bank has implemented Financial Inclusion to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. E-KYC has been implemented at BC points for opening of Aadhaar based accounts.
2.	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): a) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	Being a service organization this section is not applicable.
3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof, in about 50 words or so.	Not Applicable
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Not Applicable

5.	क्या कम्पनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की पुनर्निर्माण की प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं के पुनर्निर्माण का प्रतिशत क्या है?(अलग-अलग जैसे <5%, 5-10%) साथ ही 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं	लागू नहीं
----	--	-----------

सिद्धांत 3

व्यवसाय से सभी कर्मचारियों के हित संवर्धन होने चाहिए

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर																
1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं	9400																
2.	कृपया अस्थायी /संविदा /आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं	1 (सीसीएसओ)																
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	2454																
4.	कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	160																
5.	क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन के द्वारा मान्य है	हां ऑल इंडिया पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्टाफ ऑर्गनाइजेशन																
6.	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्य कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं	ऑल इंडिया पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्टाफ ऑर्गनाइजेशन 67.54% (वर्कमैन)																
7.	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या दर्शाएं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया शिकायतों की स्थिति दर्शाएं	<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>श्रेणी</th><th>वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या</th><th>वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या</th></tr><tr><td>1.</td><td>बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>2.</td><td>यौन उत्पीड़न</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>आकस्मिक /अस्थायी / संविदा कर्मचारी</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr></table>	क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	1.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य	2.	यौन उत्पीड़न	2	1	3.	आकस्मिक /अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य	शून्य
क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या															
1.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य															
2.	यौन उत्पीड़न	2	1															
3.	आकस्मिक /अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य	शून्य															
8.	पिछले वर्ष नीचे दर्शाए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा तथा कौशल विकास उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया? (ए) स्थायी कर्मचारी (बी) स्थायी महिला कर्मचारी (सी) आकस्मिक /अस्थायी / संविदाकर्मचारी (डी) दिव्यांग कर्मचारी	38.31% 34.71% शून्य 23.75%																

सिद्धांत 4

“व्यवसाय में सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित और कमजोर हैं, उनके हितों का सम्मान होना चाहिए एवं उनके प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिए”

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को सुनिश्चित कर लिए हैं। हाँ/नहीं	जी हां, बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सुनिश्चित कर लिए हैं। बैंक ने वंचित कमजोर और हाशिए पर हितधारकों के लाभों को प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
2.	उपरोक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान कर ली है ?	जी हां, बैंक वंचित, सीमांत तथा कमजोर हितधारकों की वित्तीय सेवाओं और बीमा कवर पर पहुँच को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण, कमजोर वर्ग को ऋण, स्वयं सहायता समूह आदि को ऋण प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling or products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not Applicable
----	--	----------------

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

No.	Question	Reply																
1.	Please indicate the total number of employees	9400																
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/casual basis	1 (CCSO)																
3.	Please indicate the number of permanent women employees	2454																
4.	Please indicate the number of permanent employees with disabilities	160																
5.	Do you have an employee association that is recognized by Management	Yes All India PSB Staff organization																
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	All India PSB Staff organization: 67.54%																
7.	Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year.																	
	<table><tr><th>No.</th><th>Category</th><th>No. of complaints filed against during the financial year</th><th>No. of of complaints pending as on end of the financial year</th></tr><tr><td>1.</td><td>Child labour/forced labour/ involuntary labour</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sexual harassment</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Casual/Temporary/Contractual Employees</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr></table>	No.	Category	No. of complaints filed against during the financial year	No. of of complaints pending as on end of the financial year	1.	Child labour/forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL	2.	Sexual harassment	2	1	3.	Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL	NIL	
No.	Category	No. of complaints filed against during the financial year	No. of of complaints pending as on end of the financial year															
1.	Child labour/forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL															
2.	Sexual harassment	2	1															
3.	Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL	NIL															
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up- gradation training in the last year?																	
	a) Permanent Employees	38.31%																
	b) Permanent Women Employees	34.71%																
	c) Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL																
	d) Employees with Disabilities	23.75%.																

Principle 4

Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders especially those who are disadvantages

No.	Question	Reply
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	Yes, Bank has mapped its internal and external stakeholder. Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, the Bank adheres to the RBI guidelines on Priority Sector Lending, lending to small and marginal farmers, lending to weaker section, SHG etc., and government- led initiatives to improve access to financial services and insurance cover for reaching out to disadvantaged, marginalized and vulnerable stakeholders.

3.	क्या कम्पनी ने वंचित कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष पहल की है यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	बैंक ने आंतरिक वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने तथा उनको लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न पहल की हैं उनमें से कुछ निम्न हैं:- • बैंक ने बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त और समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने हेतु रु. 5.00 लाख तक के ऋण हथकरघा बुनकरों को देने अर्थात् लचीलेपन तथा कम लागत पर कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश के प्रयोजन हेतु "पी.एस.बी. बुनकर मुद्रा योजना" का शुभारंभ किया है। • पीएसबी फार्म मशीनीकरण योजना को फार्म के मशीनीकरण अर्थात् ट्रैक्टर/कंबाईन हार्वेस्टर/पॉवर ट्रिलर/रीपर/ट्रॉली/पुराने ट्रैक्टरों/उपकरणों आदि को वित्त पोषित करने हेतु आरंभ किया गया है। • कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ने दो योजनाओं के अंतर्गत 12% की सीमा समाप्त कर दी है जोकि एसयूवी/कार/जीप/दो पहिया वित्त पोषण योजना तथा पी.एस.बी. फार्म यंत्रोकरण योजना हैं। • बैंक ने के.सी.सी. योजना के अंतर्गत संस्वीकृति/नवीकरण के समय फसली ऋणों पर रु. 3.00 लाख तक प्रसंस्करण शुल्क समाप्त कर दिए हैं और के.सी.सी. के वार्षिक नवीकरण प्रभारों को औचित्यपूर्ण कर दिया है। • बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए सरल शर्तों पर छोटे ऋणियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा वित्तपोषित करने हेतु "पी.एस.बी. ईको-राइड योजना" आरंभ की है। • टर्न ओवर आधारित प्रक्रिया में एमएसई के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की लिमिट में आंकलन के समय अनुमानित टर्न ओवर की न्यूनतम 20% से 25% तक की वृद्धि कर दी गई है। • टर्न ओवर आधारित आंकलन के अंतर्गत डिजिटल लेन-देनों को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यक्तिगत मामलों में 5 करोड़ तक की ऋण सीमा हेतु अनुमानित टर्न ओवर के डिजिटल हिस्से में कार्यशील पूंजी के आंकलन में 20% से 30% तक की वृद्धि कर दी गई है। • पीएमएमवाई के अंतर्गत ब्याज दर को कम कर दिया गया है और बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत रु 2.00 लाख तक के ऋणों को एमसीएलआर पर प्रदान कर रहा है। • मुद्रा ऋणों के शिशु वर्ग के अंतर्गत (रु. 50,000/- तक) मार्जिन को 25% से घटा कर 10% कर दिया है। • आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 11 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भा.रि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। • बैंक की वेबसाइट को प्रसिद्ध करने तथा वित्तीय समावेशन में कार्यक्षेत्र कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु, बैंक ने बैंक वेबसाइट www.psbindinga.com पर एफ.एल.सी./आरसेटी के पोर्टल का शुभारंभ किया है। आंतरिक हितधारक i. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिक: बैंक अपने कर्मचारियों के साथ जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए एक समान व्यवहार की भावना की नीति का आचरण करता है। बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिकों हेतु कुछ विशिष्ट लाभ/सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराता है जैसे कि:
-----------	---	---

3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Bank has taken various initiatives to increase its lending to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders as under:- • Bank has launched a scheme “P&SB Weaver’s MUDRA Scheme” for extending loans upto Rs.5.00 lakhs to handloom weavers to provide adequate and timely assistance to the weavers to meet their credit requirements i.e. for investments need as well as for working capital, in a flexible and cost effective manner. • PSB Farm Mechanization Scheme has launched for financing of Farm Mechanization i.e. financing of Tractor/Combine Harvester / Power Tiller /Reaper /Trolley / Old Tractors/implements etc. • To boost investment credit in Agriculture Sector, Bank has remove the ceiling of minimum 12% rate of interest under two schemes namely PSB scheme of Financing Two Wheeler/Jeep/ Car/SUV to farmers and PSB Farm Mechanization Scheme. • Bank has waived the processing fee on crop loans under KCC scheme upto Rs.3.00 Lakh at the time of Sanction/Renewal and also rationalized the Annual renewal charges of KCC. • Bank has launched “PSB ECO-RIDE Scheme” for financing E-Rickshaw under MUDRA Scheme to Micro borrowers on easy terms to create employment opportunities for the poor strata of society. • In WC limits to MSEs under turnover based method, enhancement of the working capital limits from minimum 20% to 25 % of the projected turnover at the time of assessment. • To encourage digital transactions under turnover based assessment, working capital assessment enhanced from 20% to 30 % of the digital portion of projected turnover for credit limit in individual cases up to Rs 5 crore. • Rate of interest under PMMY has been reduced and the bank is offering Mudra loans upto Rs.2.00 lakh at MCLR. • Under the Shishu category of Mudra loan (upto Rs. 50,000/-), margin has been reduced from 25% to 10%. • With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at Block level. Presently, our bank has 11 FLCs Centre. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. • To popularize our website and motivate field functionaries to participate in financial inclusion activities, Bank has launched FLC/RSETI Web Portal at Bank’s website www.psbindia.com Internal stakeholders: i. SC/ST Employees: The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends special certain special benefits/facilities/ assistance employees belonging to SC/ST employees such as:
----	--	---

	क) दिनांक 31.03.2017 को पदोन्नति से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों जिनमें 105 अनुसूचित जाति, 50 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 125 कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ख) लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को आरक्षण प्रदान किया गया। ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें/विषयों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए बैंक का प्रधान कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के पद का अधिकारी समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त है। इसके अतिरिक्त, आंचलिक कार्यालय स्तर पर मानव संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों के समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ii. दिव्यांग व्यक्ति: बैंक, एक नियोक्ता के रूप में अपने सभी कार्मिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों के समान ही मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। विकलांग व्यक्ति को कार्य सौंपते समय इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी विकलांगता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य सरलता से कर सकें। विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से कुछ लाभ/अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं जैसे कि नियुक्ति का सुविधाजनक स्थान, ग्रामीण/अर्ध-शहरी नियुक्ति से छूट, वाहन भत्ते का भुगतान आदि।
--	---

सिद्धांत 5

‘व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा तथा संवर्धन करने हेतु प्रयास करना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/संयुक्त उद्घम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/अन्य शामिल है।	बैंक की मानवाधिकार नीतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल बैंक परिचालन से ही संबंध है। बैंक इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान हैं और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। बैंक रंग, राष्ट्रीयता, विश्वास, धर्म, पूर्वजों, वैवाहिक स्थिति, लिंग, अपंगता, उम्र या अन्य किसी आधार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षपात नहीं करता है। यौन उत्पीड़न की रोकथाम: बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को निषेद्ध करता है और महिला कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत एवं तेजी के साथ निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेद्ध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, बैंक ने प्रत्येक अंचल में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण बैंक की इंटरनेट साईट पर उपलब्ध है। प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक विशेष महिला कक्ष का सृजन किया गया है ताकि वे मुख्य धारा में सहभागिता कर सकें और उनको उच्च दायित्व ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकें।
2.	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया ?	वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हितधारकों से यौन उत्पीड़न से संबंधित 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका संतोषपूर्ण ढंग से निपटान कर दिया गया है।

		a) Pre-promotion training to SC/ST/OBC employees as on 31.03.2017, 105 SC, 50 ST & 125 OBC employees were imparted Pre- promotion trainings. b) The Reservations have been given to SC/ST employees in promotion process as per Government guidelines for promotions from Clerical Cadre to Officer Cadre. c) The Bank has Chief Liaison Officer of the rank of General Manager at Head Office for effectively addressing issues/ grievances of SC/ST employees. In addition to this Head of the HR Department at Zonal offices are working as liaison officer for SC/ST/OBC/PHC employees. ii. Persons with disabilities: The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability. Certain benefits/considerations are especially extended to persons with disabilities such as convenient place of posting, exemption from rural/semi-urban posting, payment of conveyance allowance etc.
--	--	---

Principle 5

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

No.	Question	Reply
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/ Others?	The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly cover operations of the Bank. The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank does not discriminate on the basis of color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age or any other basis. Prevention of sexual Harassment: The Bank prohibits sexual harassment at the work place and initiatives have been taken to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. In compliance of the Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Bank has constituted Internal Complaints Committee at every Zone. The details of the members of the Internal Complaints Committee at Head Office level are also uploaded on the Bank's intranet site. A special women cell has been created at Head Office to exclusively look after the problems of the women employees, with a view to encourage them to participate more in the mainstream and motivate them towards taking up higher responsibilities.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	04 complaints were received from the shareholders during FY 2016-17 which were duly resolved.

सिद्धांत 6

‘व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरुद्धार करने का प्रयास करना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी के सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/अन्य शामिल है।	जी हाँ, यह नीति केवल बैंक को कवर करती है।
2.	क्या कंपनी के पास भूमंडलीय पर्यावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन, भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति है/कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ तो वेब पेज इत्यादि के लिए हाईपरलिंक दें.	जी हाँ, बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में सम्मिलित हैं: • बैंक की ऋण देने की नीति के निर्देशों के अनुसार, बैंक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले/ओजोन को प्रभावित करने वाले पदार्थों का उत्पादन करने वाली नई ईकाइयों को ऋण नहीं देता है। • आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा ऋणियों को भुगतान/ऋणों का संवितरण किया जा रहा है ताकि कागज के उपयोग से बचा जा सके। • बैंक स्थावर संपदा परियोजनाओं को वित्त पोषित करते समय राष्ट्रीय निर्माण कोड 2005 के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और स्थानीय पर्यावरण में सुधार तथा सुरक्षा के साथ-साथ प्रदूषण में कमी, ईको-फ्रेंडली सामग्री का उपयोग, उचित पर्यावरण प्रचलन को प्रोत्साहित करता है। • बैंक पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन चक्की और हाइड्रो पॉवर परियोजनाओं को वरीयता देता है।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम का निर्धारण/आंकलन करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ, बैंक टी.ई.वी. अध्ययन/परियोजना मूल्यांकन में जोखिम और संस्वीकृति के समय विचार कर रहा है।
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है? अगर है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें, और यदि हाँ तो, क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?	बैंक द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों में ई-मेल के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आंतरिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम. आदि से कागज रहित बैंकिंग सम्मिलित हैं।
5.	क्या कम्पनी ने प्रदूषण रहित तकनीक, उर्जा दक्षता, नवीकरण उर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है, यदि हाँ तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें.	बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं है लेकिन बैंक ने कई ऊर्जा नवीकरण परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं जिनमें सौर ऊर्जा, पवन चक्की तथा जल विद्युत परियोजना शामिल हैं।
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी का अवशिष्ट उत्पादन/उत्सर्जन सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर है?	बैंक सेवा उद्योग में है और इसलिए किसी प्रकार के जहरीले/खतरनाक प्रदूषण को पैदा नहीं करता है। परियोजना ऋणों को वित्त पोषित करते समय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ऋण संस्वीकृति से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना हमारी प्रमुख शर्त है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या	शून्य

सिद्धांत 7

‘व्यवसाय जब जनता एवं न्यायमक नीतियों को प्रभावित करता हो, तो उसे उत्तरदायी पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड और चेम्बर या संगठन की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से सिर्फ प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय संबद्ध है.	जी हाँ 1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान(आईआईबीएफ) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान(आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान(एनआईबीएम) 5. भारत समाशोधन निगम लि.(सीसीआई) 6. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

Principle 6**Business should respect, protect and make efforts to restore the environment**

No.	Question	Reply
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/others	Yes, the policy covers only the Bank.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming etc.? Y/N, if yes, please give hyperlink for webpage etc.	Yes, various initiatives taken by Bank includes: • In terms of the Bank's Lending Policy guidance, the bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone depleting substances. • Payment to borrowers/ disbursement of loans is being made by RTGS/NEFT so as to save paper consumption. • Bank stipulates observance of national Building Code 2005 at the time of financing Real Estate Projects and promotes ecologically appropriate practices, use of eco- friendly materials, reduction of pollution, as well as protection and improvement of local environment. • Bank gives preference to environment friendly projects like solar Power, Wind Power and Hydro Power projects.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Yes/No	Yes, Bank is duly considering risk in TEV study project appraisal, and at the time of sanction.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?	Yes, various green initiatives undertaken by the bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internal banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on-clean technology, energy efficiency, renewable energy etc. Yes/No. If yes, please give hyperlink for web page etc.	The Bank has no such direct project, but the Bank has financed many renewable energy projects including Solar Power, Wind Power and Hydro Power projects.
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	The Bank is in the service industry and as such does not emit any toxic/hazardous pollutants. While financing project loans, NOC from Pollution control Boards and Ministry of Environment and Climate change is one of our prominent conditions of credit sanctions.
7.	Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7**Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**

No.	Question	Reply
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, name only those major ones that your business deals with.	Yes 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance(IIBF) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. The Clearing Corporation of India Ltd. (CCI) 6. National Payments Corporation of India (NPCI)

2.	क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र जैसे शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धांत, अन्य विनिर्दिष्ट करें।	बैंक, इन संगठनों के सदस्य होने के नाते नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों के साथ प्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और नियंत्रण संबंधी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास को शामिल करने वाली नीतियाँ तैयार करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत है।
----	---	---

सिद्धांत 8

“व्यवसाय से समावेशी वृद्धि तथा सामयिक विकास को बल मिलना चाहिए”

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें.	बैंक ने समाज की समग्र वृद्धि तथा समुचित विकास के लिए कई कार्यक्रमों/परियोजनाओं/पहलों को आरंभ किया है, जिनका विवरण निम्न है:- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) : हमारे बैंक की लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरसेटियाँ हैं जो बैंक के न्यास अर्थात् ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास हेतु पीएसबी ट्रस्ट (डेअर हेतु पीएसबी ट्रस्ट) के अधीन स्थापित हैं जोकि बेरोजगार युवकों हेतु स्व-रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। मोगा और फरीदकोट की आरसेटियाँ अपने परिसर में कार्य कर रही हैं तथा लुधियाना आरसेटी के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सभी तीनों आरसेटियों ने 70 कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें मार्च, 2017 तक 2063 आवेदकों को प्रशिक्षित किया गया है। 2053 आवेदकों में 1364 आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति, 279 बी.पी.एल. तथा 1456 आवेदक महिला लाभार्थी हैं। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित 2063 आवेदकों में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 838 आवेदक स्थापित हो गए हैं। हमारी शाखाओं द्वारा ऋण प्रदान कर 229 आवेदकों को स्थापित कर दिया गया है। आरसेटियों के प्रशिक्षण संबंधी व्ययों का वहन कृषि विकास एवं ग्रामीण रोजगार हेतु पीएसबी ट्रस्ट करता है। वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) - आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 11 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भा.रि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। एफ.एल.सी. ऋणियों को भी संकट के समय उनके ऋणों की पुनर्संरचना योजनाओं में भी सहायता करती है और पूर्ववर्ती वित्तीय संस्थानों से उनका अनुमोदन भी करती हैं। यद्यपि, एफ.एल.सी. किसी भी बैंक/बैंकों के उत्पाद हेतु निवेश सलाहकार केंद्रों/मार्केटिंग केंद्रों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। परामर्शदाता मार्केटिंग/बीमा पॉलिसियों में निवेश करने के संबंध में सलाह उपलब्ध कराने, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद, या केवल बैंक के अपने उत्पादों को प्रोत्साहित करने अथवा निवेश करने पर सलाह नहीं देता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना - किसानों को विस्तारित बीमे के भार से बचाने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने विस्तारित बीमे की शर्त को हटा दिया है। अब किसान बैंक की ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना की सदस्यता ले सकते हैं। ट्रैक्टर का केवल थर्ड पार्टी बीमा कराया जाए। किसान जिसने ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना की सदस्यता हेतु विकल्प दिया है, को प्रति वर्ष रु. 500/- का अंशदान ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना में देना होगा। गंभीर दुर्घटना के मामले में, जहाँ नुकसान की राशि रु. 10,000/- से अधिक है तो ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना से अनुमानित हानि का 50: उपलब्ध कराया जाता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना के सदस्य बनने के साथ, 9 वर्ष की अवधि में किसान रु. 15,000 से रु. 20,000 की बचत करता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना का रखरखाव “ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास हेतु पी.एस.बी. ट्रस्ट” द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना में एकत्रित निधियों का उपयोग किसान समुदाय के लिए किया जाता है।

2.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No. If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, others)	Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry.
----	--	--

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development

No.	Question	Reply
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If Yes details thereof.	The Bank has taken various initiatives/ projects to support inclusive growth and equitable development as under: 1. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)- Our Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana, established under the aegis of Bank's Trust i.e. PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. RSETIs at Moga & Faridkot are working in their own premises and construction work of RSETI building at Ludhiana is under progress. During the current financial year 2016-17, all our three RSETIs have conducted 70 training programs wherein 2063 candidates have been trained upto Mar. 2017. Out of 2063. candidates, 1364 candidates belong to SC/ ST category, 279 belong to BPL & 1456 candidates are women beneficiaries. Out of 2063 RSETI trained candidates, 838 candidates have settled during current financial year. 229 candidates have been settled through credit linkage from Bank Branches. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. 2. Financial Literacy Centres (FLCs)- With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at District level. Presently, our bank has 11 FLCs Centre. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. FLCs also help borrowers in distress by formulating their debt restructuring plans and recommend the same to formal financial institutions. FLCs, however, do not act as investment advice centres /marketing centres for products of any particular bank/ banks. Counselors refrain from marketing / providing advice regarding investment in insurance policies, investment in securities, value of securities, purchase/ sale of securities, etc., or promoting investments only in bank's own products. 3. Tractor Welfare Fund Scheme- To save the farmer from the burden of comprehensive insurance, Punjab & Sind Bank has waived the condition of comprehensive insurance. Now the farmer may opt for membership of Tractor Welfare Fund of the bank. Tractor is to be insured for Third party only. The farmer who has opted for Tractor Welfare Fund Scheme has to contribute only Rs.500/- per year in the Tractor Welfare Fund. In case of serious accident where the amount of loss is more than Rs.10,000, compensation to the extent of 50% of the assessed loss is provided from the Tractor Welfare Fund. By becoming member of Tractor Welfare Fund Scheme, the farmer saves Rs.15,000 to Rs.20,000 over a period of 9 years. The Tractor Welfare Fund is maintained by a Trust named "PSB Trust for Development of Agriculture & Rural Employment". The funds collected in Tractor Welfare Fund are utilized for the benefit of farming community.

	बैंक ने अंतरसमाहित सहायता और संपार्श्विक विकास करने हेतु विभिन्न पहलों/परियोजनाओं को निम्न प्रकार आरम्भ किया है। बैंक ने आबादी के वंचित और अनापेक्षित वर्गों को सशक्त करने के लिए वित्तीय समावेशन लागू किया है और बैंक का इन व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का अर्थात् अपवर्जित का समावेश और उनको समाज की उत्पादक आस्ति बनाने का प्रयास रहा है। बैंक के प्रमुख प्रयास निम्न प्रकार हैं – • बैंक को कुल 3192 गाँव आबंटित किए गए हैं। 3192 गाँवों तक पहुँच बनाने हेतु कुल 961 एस.एस.ए. बनाए गए हैं। बैंक द्वारा सभी एस.एस.ए. को या तो ईट और गाढे की शाखाओं अथवा सूचना संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) पर आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि (बी.सी.) मॉडल से कवर किया जा रहा है। 961 एस.एस.ए. में से 351 एस.एस.ए. को व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से तथा 610 एस.एस.ए. को वर्तमान शाखाओं द्वारा कवर किया गया है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कुल 12,86,841 घरों को फेज I के अंतर्गत कवर किया गया है (15.08.2014–26.01.2015)। • बैंक ने आज तक आंचलिक कार्यालयों/शाखाओं के माध्यम से 351 व्यवसाय प्रतिनिधियों को कार्य पर रखा है, उनको सूक्ष्म ए.टी.एम. उपलब्ध कराये हैं और मैसर्स टी.सी.एस. के माध्यम से एफआई गेटवे क्रियान्वित किया है। • शाखाओं के माध्यम से कुल 364.35 करोड़ के कुल बकाए के साथ 18.69 लाख बी.एस.बी.डी. खातों को खोला गया है और बैंक मित्रों के माध्यम से रु. 14.52 लाख की जमा के साथ 2.07 लाख खातों को खोला गया है। • 76759 बी.एस.बी.डी. खातों में रु. 63.21 लाख की ओवर ड्राफ्ट सुविधा ली गई। • रु. 7556.44 करोड़ के कुल बकाए के साथ 215832 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। • रु. 4.74 करोड़ के कुल बकाए के साथ 1730 जी.सी.सी. जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) वित्तीय समावेशन जोकि वित्तीय सेवाओं मुख्यतया: बैंकिंग/बचतों एवं जमा खातों, विप्रेषण, क्रेडिट, बीमा, सुविधाजनक रूप में पेंशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है। किसी भी बैंक की शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) की आउटलेट पर खाता खोला जा सकता है। पी.एम.जे.डी.वाई. खाते जीरो बैलेंस के साथ खोले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खाता खोलेगा, रुपए डेबिट कार्ड प्राप्त करेगा और रु. 1,00,000/- के दुर्घटना बीमा हेतु पात्र होंगे। खाते का 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन होने के बाद, वे रु. 5,000/- तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आगे, जिस ग्राहक ने दिनांक 15.08.2014 से 31.01.2015 के मध्य में खाता खोला है, भारतीय जीवन बीमा निगम से रु. 30,000/- का अतिरिक्त मीयादी बीमा कवर प्राप्त करेंगे। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अतिरिक्त, खाता धारकों को अन्य बीमा तथा पेंशन उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। • बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय के रूप में बीसी मॉडल बनाया है और प्रत्येक बी.सी. को लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। • सभी व्यवसाय प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म ए.टी.एम. मशीन उपलब्ध कराई गई है जिनके माध्यम से बीसी नामांकन (बचत खाते खोलना), लेन-देनों (ए.ई.पी.एस. ऑफ-यू.एस. एवं ऑन यू.एस.), नकदी जमा और आहरण, बैलेंस की पूछताछ, मिनी विवरणी, आधार प्रविष्टि, रुपए कार्ड आधारित पिन-पेड लेन-देनों (ऑनस एवं ऑफस) कर रहे हैं। ऑन-लाईन/रियल टाईम लेन-देनों को आफ-डे तथा ऑफ-टाईम किया जा रहा है। • व्यवसाय प्रतिनिधि सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं (पी.एम.जे.जे.बी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई. एवं ए.पी.वाई.) के अंतर्गत बीमा पॉलिसियों को भी कर रहे हैं। • बैंक सभी व्यवसाय प्रतिनिधियों को न्यूनतम रु. 5,000/-वाहन प्रभार परिवर्ती कमीशन का भुगतान कर रहा है। • दिनांक 31.03.2017 तक बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत 351 बैंक मित्रों तथा शाखाओं के माध्यम से 11.72 लाख खाते खोले हैं जिनमें कासा/एफडी/आरडी की रु. 610.82 करोड़ की राशि संग्रहित की है जो प्रति खाता औसतन रु. 5211 है। • बैंक ने पीएमजेडीवाई ओडी को सफलता पूर्वक ए.टी.एम./सूक्ष्म ए.टी.एम. के माध्यम से लागू किया है। वर्तमान में, शाखाओं द्वारा 76759 ओवर ड्राफ्ट संस्वीकृत की गई हैं। • पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में कुल आधार की प्रविष्टि 85% है। • हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शत-प्रतिशत व्यवसाय प्रतिनिधियों को आई.आई.बी.एफ. द्वारा प्रमाणित किया गया है और हमारे बैंक के 91% व्यवसाय प्रतिनिधियों को भारतीय बैंकर एवं वित्त संस्थान (सभी बैंकों में उच्चतम) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
--	---

	The Bank has also taken various initiatives/ projects to support inclusive growth and equitable development as under: Bank has implemented Financial Inclusion to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. “inclusion of the excluded” and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under: • Bank has been allotted total 3192 villages. Total 961 SSAs formed to cover all 3192 villages. All SSAs are being covered by the bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. Out of 961 SSAs, 351 SSAs have been covered through BC and 610 SSAs have been covered through existing Branches, therefore all allotted Households has been covered under the Phase-I (15.08.2014-26.01.2015) of PMJDY. • Bank has engaged 351 BC as on date through Zonal Offices/Branches, provide them micro-atm and implemented FI Gateway through M/s TCS. • 18.69 lac BSBD Accounts have been opened with a total outstanding of Rs. 364.35 crore through branches and 2.07 lac accounts with deposit of Rs. 14.52 crore were opened through Bank Mittr. • OD facility availed in 76759 BSBD Accounts with Rs. 63.21 lac. • 215832 KCCs have been issued with a total outstanding of Rs. 7556.44 crore. • 1730 GCCs have been issued with a total outstanding of Rs. 4.74 crore. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner. Account can be opened in any bank branch or Business Correspondent (Bank Mittr) outlet. PMJDY accounts are being opened with Zero balance. Every person who opens the account under PMJDY will get a Rupay Debit card and would be eligible for Rs. 1,00,000/- accidental insurance cover. After six month of satisfactory conduct of account, they would be able to get an overdraft facility up to Rs. 5,000/-. Further, the customer who opened account between 15.08.2014 to 31.01.2015 will get additional term insurance of Rs. 30,000/- from LIC. Besides the financial literacy programs, other insurance and pension products also would be made available to account holders. • Bank made BC model as banking business model & monthly targets are given to each BC. • All individual BC are provided with Micro ATM machines through which BC are doing Enrollments (opening of SB accounts), Transactions (AEPS OFF-US & ON-US), Cash Deposit & withdrawal, Balance enquiry, Mini statement, Aadhaar Seeding, Rupay card based Pin-Pad transactions (Onus & Offus). On-line/Real time transactions are happening on off-days & off-time. • BCs are also doing insurance Policies under Government social benefit schemes (PMJJBY, PMSBY & APY). • Bank is providing minimum remuneration of Rs.5000/- p.m. + conveyance charges + variable commissions to all BCs. • As on 31.03.2017 Bank has opened 11.72 lac accounts through Branches and 351 BCs and mobilized CASA/FD/RD deposit of Rs. 610.82 crore, with average per account Rs. 5211. • The Bank has successfully implemented PMJDY OD through ATMs/Micro ATMs. At present, 76759 ODs are sanctioned by the Branches. • Total Aadhaar seeding in active PMJDY Accounts is 85 %. • Our 100% BCs of RRB are certified through IIBF and 91% BCs of our Bank are certified through Indian Institute of Banking & Finance (highest among all Banks).
--	--

		• बैंक को 283 सूक्ष्म ए.टी.एम. हेतु रु. 42.45 लाख की आर्थिक सहायता मिली है जो 2000 ए.ई.पी.एस. (आधार युक्त) लेन-देनों को पार कर चुका है। हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में से एक है जिसको सूक्ष्म ए.टी.एम. हेतु यू.आई.डी.ए.आई. से ऐसी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। • बैंक द्वारा प्रथम एवं तीसरे शनिवार और दूसरे तथा चौथे शुक्रवार को आधार जोड़ने के विशेष ध्यान के साथ, नामांकन, रुपये कार्ड/पिन वितरण और क्रियाशील, खातों आदि के परिचालन पर वित्तीय साक्षरता करने के साथ कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। • व्यवसाय प्रतिनिधि के स्तर पर आधार आधारित खातों को खोलने हेतु ई-के.वाई.सी. को लागू किया गया है। • बैंक ने साधारण मोबाईल पर मोबाईल बैंकिंग लेन-देनों को करने हेतु यूएस एसडी सुविधा लागू की है। • सभी अंचलों तथा शाखाओं में वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री जैसे कि कॉमिक बुकलेट, ऑडियो विजुअल की आपूर्ति की गई है। • कार्यक्षेत्र स्तर की समस्या के समाधान तथा समन्वय के लिए व्यवसायिक प्रतिनिधियों के स्थल पर प्र.का. के अधिकारियों का दौरा। आंचलिक कार्यालय पर नियुक्त नामित अधिकारी का बीसी स्थल का दौरा और प्रत्येक तथा सभी बीसी के वास्तविक कार्यनिष्पादन की रिपोर्ट। आंचलिक कार्यालय में नियमित बैठक जहाँ बीसी को मंत्रालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों तथा उनके एमड सी तथा अन्य समस्याओं से संबंधित की जानकारी दी जाती है। • एफ.एल.सी.सी. के साथ समन्वय करते हुए बैंक ने ग्रामीण आबादी के मध्य में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने हेतु गाँवों में वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन कर पहल की है जहाँ आधुनिक बैंककारी सेवाओं के साथ अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे.जे.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई., ए.पी.वाई., ओडी आदि के संबंध में गाँव वालों से विचार-विमर्श किया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। एफ.एल.सी.सी., शाखा प्रबंधकों और व्यवसाय प्रतिनिधियों की सहायता से 31.03.2017 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 418 कैंपों का आयोजन किया गया।
2.	क्या इस कार्यक्रम/परियोजना को आंतरिक टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है ?	बैंक की आंतरिक टीम द्वारा वित्तीय समावेशन परियोजना का कार्य किया जा रहा है। बैंक ने इस प्रयोजन हेतु अलग से महाप्रबंधक के नेतृत्व में विभाग का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों हेतु कल्याण गतिविधियों को ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास हेतु पी.एस.बी. न्यास (डेयर हेतु पीएसबी न्यास) करता है। डेयरी फार्मिंग में नवीनतम तकनीक से किसानों को प्रशिक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को जैसे ड्रेस डिजायनिंग एवं कढ़ाई-कटाई एवं डाई कार्यक्रम, ब्यूटी पॉलर, जैम और आचार बनाने आदि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पीएसबी डेयर द्वारा पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय वहन किए जा रहे हैं।
3.	क्या आपने कभी अपनी पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है?	जी हाँ, हमारे बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत की गई पहल से समाज के एक बड़े तबके को लाभ पहुँचा है जो बैंककारी सुविधाओं से वंचित था जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश मिला। हमने प्रति परिवार एक खाता खोल कर सभी घरों को सम्मिलित किया है। यह देखा गया कि अपनी अतिरिक्त निधि को बचत करने हेतु भरोसेमंद स्रोत जैसे बैंक खाता प्राप्त करने के बाद, जो पहले बचत करने में समर्थ नहीं थे, ने बचत करने की आदत विकसित कर ली है। यह तथ्यों में देखा गया है कि बी.एस.बी.डी.ए. खातों में औसत निधि निरंतर वृद्धि कर रही है। दिनांक 31.03.2017 को ऐसी निधि लगभग रु. 610.82 करोड़ थी। बैंक खाता नहीं होने पर या तो इस निधि को बैंकिंग की मुख्य धारा में नहीं लाया गया होता अथवा उपभोग में ही यह समाप्त हो गई होती। बैंक मित्रों के माध्यम से लगभग 2 लाख लेन-देनों को किया गया जो दर्शा रहा है कि ग्रामीण व्यक्तियों ने बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेना शुरू कर दिया है। बैंक ने ए.टी.एम. के माध्यम से ऑन लाईन ओडी सुविधा क्रियान्वित कर दी है। इन-बिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा की उपलब्धता से उन्हें सहूलियत ही नहीं हुई है अपितु साहूकारों के चंगुल से उनको धीरे-धीरे छुटकारा भी मिला है। इस प्रकार, यह उक्त आबादी की बचत करने की आदतों पर सकारात्मक प्रभाव और उनके संपूर्ण विकास हेतु मुख्य वित्तीय धारा में सम्मिलित होने को दर्शाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में, हमारे आरसेटी ने 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 31.03.2017 तक 2063 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। 2063 उम्मीदवारों में, 1364 उम्मीदवार अनुसूचित जाति, बी.पी.एल. के 279 और 1456 महिला लाभार्थी हैं। 2063 आरसेटी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 838 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर 229 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं।

		- Bank has received subsidy amount of Rs. 42.45 lacs for 283 microATMs which have crossed 2000 AEPS(Aadhaar enabled) transactions. Our bank is one of few Public Sector Bank to receive such subsidy from UIDAI for MicroATMs. - Camps are being organized by bank on the first and third Saturday and second and fourth Friday with a special focus on Aadhaar seeding, enrolment, RuPay card/PIN distribution and activation, financial literacy on use of account etc. - E-KYC has been implemented at BC points for opening of Aadhaar based accounts. - Bank has implemented USSD facility for carrying out mobile banking transactions on ordinary mobiles. - Standardized Financial Literacy material such as comic booklet, audio visual has been supplied to all zones and Branches for spreading Financial Literacy. - Visit by HO officials to BC point to increase coordination and resolve field level issue. Monthly visit of BC location done by nodal officer appointed at Zonal Office and report the actual performance of each and every BCs. Regular meetings at Zonal Office where recent guidelines of Ministry communicated to BCs and also resolution of their M/c related or other problems. - Bank in coordination with the FLCCs took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD etc are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. Total 418 Camps is organized in FY 2016-17 with the help of FLCCs, Branch Managers & BCs.
2.	Are the programmes / projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/ any other organization?	The financial inclusion project has been undertaken through in-house team. Bank has set up separate department headed by General Manager for this purpose. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment (PSB Trust for DARE) undertake a number of welfare activities for farmer in rural areas. Special camps are being organized to train farmers about latest technology in Dairy Farming, Women Entrepreneurship in rural areas like Dress designing & embroidery work, tie & dye training programme, Beauty Parlor, Jam & pickle making etc. The entire expenses of such training programme are borne by PSB TDARE.
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	Yes. The initiatives taken by our bank under PMJDY benefited a large segment of society who was deprived of banking facility thereby bringing the unbanked population into the formal financial sector. We have covered all household by opening at least one A/c per family. It is observed that after getting the reliable sources for saving of their surplus funds like bank account, the people who were earlier not able to save have started developing habits of saving money. It can be seen from the fact that average aggregate funds in BSBDA accounts are continuously increasing. As on 31.03.2017 such funds were around Rs. 610.82 crores. In the absence of bank account, these funds either would not have brought in mainstream banking or would have been lost in consumption. Approx. 2 lac transactions per month have been processed through Bank Mitras, thereby indicating that rural people have started using banking facilities. Bank has also implemented online OD through ATM. The availability of in-built overdraft facility is not only giving them comfort but removing them slowly out of clutches of private money lenders. Thus it shows positive impact on savings habit of above said population and joining main financial stream for their overall development. During the current financial year 2016-17, all our three RSETIs have conducted 70 training programs wherein 2063 candidates have been trained upto Mar. 2017. Out of 2063. candidates, 1364 candidates belong to SC/ ST category, 279 belong to BPL & 1456 candidates are women beneficiary. Out of 2063 RSETI trained candidates, 838 candidates have settled during current financial year. 229 candidates have been settled through credit linkage from Bank Branches.

		बैंक ने 11 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के सहयोग के साथ ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता फैलाने हेतु गाँवों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों का आयोजन कर पहल की है जहाँ आधारिक बैंककारी सेवाओं के साथ अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे.जे.वाई., पी.एम.एस. बी.वाई., ए.पी.वाई., ओडी आदि के संबंध में गाँव वालों से विचार-विमर्श किया है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। मार्च, 2017 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 418 केंद्रों का आयोजन किया गया जिनमें 13380 व्यक्तियों ने सक्रियता से सहभागिता की।
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? (राशि: में एवं प्रारंभ की गई योजनाओं का विवरण)	बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण गतिविधियों को करने के लिए अपनी सी.एस.आर. निधि से पीएसबी टीडैअर को अंशदान देता है। बैंक ने लुधियाना में आरसेटी के भवन का निर्माण करने हेतु रु. 49.62 लाख तथा ग्रामीण बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु रु. 24.36 लाख का सहयोग दिया है। सी.एस.आर के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा फंड को खर्च करने हेतु भारत सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया है। यद्यपि, हमारे बैंक की अपनी सीएसआर नीति है जो कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगो ने सफलतापूर्वक अपनाया है.यदि हाँ तो,कृपया 50 शब्दों में विवरण दें	बैंक ने आरसेटी से प्रशिक्षित आवेदकों को स्थापित करने के लिए स्वरोजगार अथवा ऋण प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए हैं। ग्रामीण व्यक्तियों में बैंक के प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल को अद्यतित करने के प्रयास प्रसिद्ध हुए हैं

सिद्धांत 9

“अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े रह कर उनको जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से व्यवसाय को महत्व देना चाहिए”

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	दिनांक 31.03.2017 तक केवल 1.90% शिकायतें लंबित थी।
2.	क्या कंपनी ने उत्पाद लेबर पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की है	बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं और उत्पादों के विषय में जानकारी शाखाओं में पर्चों/डिस्पले बोर्ड और ब्रासर के माध्यम से तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है
3.	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कम्पनी के विरुद्ध अवैध व्यापार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और यह इस वित्तीय वर्ष तक लंबित है ? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें	लागू नहीं
4.	क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति/उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया है ?	बैंक ने बोर्ड की उप-समिति का गठन किया है जिसको बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के नाम से जाना जाता है जोकि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नवोन्मेषी उपाय करने और सलाह देने के लिए मंच का सृजन करने तथा हर समय सभी वर्गों के ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि करने हेतु है। समिति शिकायतों और अवाडों की स्थिति की समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, समिति की दिनांक 27/06/2016, 28/09/2016 तथा 14/12/2016 को बैठकें हुई। बोर्ड की उप-समिति के अतिरिक्त, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की स्थाई समिति का भी गठन किया है। समिति के मुख्य कार्य निम्न हैं— i. बैंक द्वारा लिए गए ग्राहक केन्द्रित उपायों की जानकारी ii. कार्यान्वयन हेतु लंबित अवाडस और शिकायतों की स्थिति। iii. समस्त मौजूद एटीएम को बातचीत करने वाले एटीएम में बदलने का रोडमैप और बैंकों के विभिन्न शाखाओं में इंस्टालेशन की स्थिति। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की दिनांक 13/04/2016, 08/07/2016, 21/10/2017 और 11/01/2017 को बैठकें हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण करवा कर बैंक ने ग्राहक सेवा को बढ़ाने हेतु नई पहल की है।

		Bank in coordination with 11 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD etc are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 418 camps were organized in FY 2016-17 upto March'17 wherein 13380 people actively participated.
4.	What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Bank's looks contribution out of its CSR fund to PSB TDARE for carrying welfare activities in rural areas. Bank contributed Rs. 49.62 lac for construction of RSETI building at Ludhiana and Rs. 24.36 lac for providing various infrastructure facilities at RSETI at Moga and Ludhiana. The Government has not fixed any norms for spending the funds by various Public Sector Banks (PSBs) under the Corporate Social Responsibilities (CSR). However, our bank has its own CSR policy duly approved by its Board of Directors.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Bank has taken a number of steps for settlement of RSETI trained candidates either through self employment or through credit linkage. Bank's initiatives to impart training & skill up gradations have been popular among rural people.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year	1.90% complaints were pending as on 31-03-2017.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA. Remarks (additional information)	The information about the products and services offered by the bank are made available in the branches through pamphlets/Display boards and brochures and is also made available on the Bank's website.
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, if about 50 words or so.	Not Applicable
4.	Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?	The Bank has constituted a sub-committee of Board known as Customer Service Committee of the Board for creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times. The committee reviews the status of the complaints and awards. During the financial year 2016-17, the Committee met on 27/06/2016, 28/09/2016, 14/12/2016 & 08.02.2017. Besides, the sub-committee of the Board, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI). Main functions of Committee are – i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank. ii) Status of complaints and awards pending for implementation. iii) Roadmap for converting all existing ATMs as talking ATMs and status of installation of ATMs at various branches of the Bank. During the FY 2016-17, the Committee met on 13/04/2016, 08/07/2016, 21/10/2016 and 11/01/2017. Bank has also taken another initiative in enhancing customer service by carrying out Annual survey of Depositors Satisfaction during the year 2016-17.

बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष

तलिका डी एफ-1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गई है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण	लागू नहीं
क) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	
ख) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित है, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 - पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टीयर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देसी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

- » बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- » ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।
- इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।
- गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने 19.10.2016 को 500 करोड़ रुपये के लिए बेसेल III संवर्धित टियर द्वितीय बॉन्ड राशि का भुगतान किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

	रु. करोड़
क) टियर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
— प्रदत्त अंश पूंजी;	400.41
— आरक्षितियाँ;	4813.32
— न्वोन्मेषी प्रपत्र ;	0.00
— अन्य पूंजी प्रपत्र ;	0.00
— उप योग	5213.73
— घटाएं: टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	223.10
कुल टीयर I पूंजी	4990.63

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	The Bank does not belong to any group
(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I Capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has issued Basel III Compliant Tier II Bonds amounting to Rs. 500.00 Crore on 19.10.2016.

Quantitative Disclosures

	Amt. - Rs/ Crores
(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	400.41
- Reserves;	4813.32
- Innovative instruments;	0.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	5213.73
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	223.10
TOTAL TIER I CAPITAL	4990.63

ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	1882.21
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
– कुल बकाया राशि	लागू नहीं
– इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
– पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
– कुल बकाया राशि	1675.00
– इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	500.00
– पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1110.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतिया, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	6872.84

तालिका डी एफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का कार्यान्वयन करते समय उच्च-कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आँकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर, कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है:-

- » ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- » परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- » बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि-रूपए/करोड़
» 9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4615.46
» प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रूपए/करोड़
» ब्याज-दर जोखिम	309.16
» विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
» इक्विटी जोखिम	58.07

(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1882.21
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1675.00
- Of which amount raised during the current year.	500.00
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	1110.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	6872.84

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY**Qualitative disclosures**

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

Quantitative Disclosures**Capital requirements for credit risk:**

	Amt. - Rs/ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4615.46
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. - Rs/ Crores
- Interest rate risk	309.16
- Foreign exchange risk (including gold)	2.25
- Equity risk	58.07

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	360.03

बैंक हेतु कुल तथा टियर I पूंजी अनुपात:

बासेल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.57%
बासेल II के अनुसार टियर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.40%

तालिका डी एफ 4 ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा (वार्षिक समापन 2016-17 के लिए लागू)

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।
- यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकोती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं / कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

- बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs/ Crores
Basic indicator approach	360.03

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	11.57%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.40%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES**Qualitative Disclosures****A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED (applicable for annual closing 2016-17) :**

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

- ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आसित माना जायगा।
- उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.

- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि-रूप / करोड़
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	60263.09
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	5082.32

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि-रूप / करोड़
1	विदेशी	शून्य
	निधि आधारित ऋण जोखिम	
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	60263.09
	निधि आधारित ऋण जोखिम	
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	5082.32

एक्सपोजर का उद्योग वार वितरण

उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
1. खाद्यान एवं उत्खनन	495.19	139.90	635.09
2. खाद्य प्रसंस्करण	920.68	12.45	933.12
3. बेवरेज एवं तम्बाकू	467.09	34.38	501.47
4. कपड़ा उद्योग	1475.46	13.59	1489.05
5. चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	165.80	14.25	180.05
6. काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	87.83	19.73	107.56

राशि - ₹. करोड़

- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	60263.09
2	Non Fund Based Credit Exposures	5082.32

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	60263.09
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	5082.32

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Industry	Amt. - Rs/ Crores		
	Fund Based	Non- Fund Based	Total
A. MINING & QUARRYING	495.19	139.90	635.09
B. FOOD PROCESSING	920.68	12.45	933.12
C. BEVERAGES & TOBACCO	467.09	34.38	501.47
D. TEXTILES	1475.46	13.59	1489.05
E. LEATHER & LEATHER PRODUCTS	165.80	14.25	180.05
F. WOOD & WOOD PRODUCTS	87.83	19.73	107.56

7. कागज तथा कागज उत्पाद	259.59	0.26	259.85
8. पेट्रो / कोयला / नाभकीय ईंधन	458.63	1.28	459.91
9. रसायन & रसायन उत्पाद.	179.33	2.82	182.14
10. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद.	168.94	30.42	199.36
11. कांच एवं इसके बने उत्पाद	10.57	3.43	13.99
12. सीमेंट & सीमेंट उत्पाद.	105.34	79.18	184.52
13. मूल धातु & धातु उत्पाद.	1913.62	28.40	1942.03
14. समस्त इंजीनियरिंग	426.12	60.77	486.89
15. वाहन / वाहन कलपूर्ज एवं टीपीटी औजार	206.85	154.52	361.37
16. रतन और आभूषण	75.32	1461.35	1536.68
17. निर्माण	662.67	458.05	1120.73
18. बुनियादी सुविधायें	13240.57	816.04	14056.61
19. अन्य उद्योग	129.76	10.76	140.52
20. अवशिष्ट	38813.73	1740.73	40554.46
कुल योग	60263.09	5082.31	65345.40

उल्लेखनीय एक्सपोजर

उद्योग जहां कुल एक्सपोजर, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5% से अधिक है:

राशि रु. करोड़ में

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण
1.	बुनियादी सुविधायें	14056.61
2.	अवशिष्ट	40554.46

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :-

राशि रु. करोड़ में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एवं अग्रिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमाराशियाँ	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	988.03	0.00	23.50	228.86	4358.68	0.00
2 दिन से 7 दिन	1698.49	108.90	2.87	13.83	7495.43	1199.43
8 दिन से 14 दिन	214.45	0.00	3.26	14.61	3353.58	0.00
15 दिन से 30 दिन	294.87	0.00	13.47	45.70	5142.02	0.00
31 दिनों से 2 माह	830.36	0.00	22.28	69.25	7122.20	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	1072.02	31.00	10.48	66.82	5351.06	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	3282.42	30.10	28.44	33.68	11051.15	0.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	6014.54	751.98	54.67	18.16	12946.82	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	10571.94	4704.98	216.61	0.00	13638.52	84.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	12877.55	2600.96	12.09	192.60	7675.98	0.00
5 वर्षों से अधिक	20489.86	19720.59	0.00	0.00	7404.72	0.00
कुल	58334.53	27948.51	387.67	683.51	85540.16	1283.43

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि रु. करोड़
1	अवस्तरीय	2628.51
2	संदिग्ध 1	1681.50
3	संदिग्ध 2	1784.34
4	संदिग्ध 3	195.73
5.	हानि	7.51
	कुल	6297.59

G. PAPER & PAPER PRODUCTS	259.59	0.26	259.85
H. PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	458.63	1.28	459.91
I. CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	179.33	2.82	182.14
J. RUBBER, PLASTIC & ITS PROD.	168.94	30.42	199.36
K. GLASS & GLASSWARE	10.57	3.43	13.99
L. CEMENT AND CEMENT PROD.	105.34	79.18	184.52
M. BASIC METAL & METAL PROD.	1913.62	28.40	1942.03
N. ALL ENGINEERING	426.12	60.77	486.89
O. VEHICLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	206.85	154.52	361.37
P. GEMS & JEWELLARY	75.32	1461.35	1536.68
Q. CONSTRUCTIONS	662.67	458.05	1120.73
R. INFRASTRUCTURE	13240.57	816.04	14056.61
S. OTHER INDUSTRIES	129.76	10.76	140.52
T. RESIDUARY	38813.73	1740.73	40554.46
Grand Total	60263.09	5082.31	65345.40

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - Rs/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	14056.61
2	Residuary	40554.46

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS**Amt. - Rs/ Crores**

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
Next 1 Day	988.03	0.00	23.50	228.86	4358.68	0.00
2 Days To 7 Days	1698.49	108.90	2.87	13.83	7495.43	1199.43
8 Days To 14 Days	214.45	0.00	3.26	14.61	3353.58	0.00
15 Days To 30 Days	294.87	0.00	13.47	45.70	5142.02	0.00
31 Days To 2 Months	830.36	0.00	22.28	69.25	7122.20	0.00
Over 2 Months To 3 Months	1072.02	31.00	10.48	66.82	5351.06	0.00
Over 3 Months To 6 Months	3282.42	30.10	28.44	33.68	11051.15	0.00
Over 6 Months To 1 Year	6014.54	751.98	54.67	18.16	12946.82	0.00
Over 1 Year To 3 Years	10571.94	4704.98	216.61	0.00	13638.52	84.00
Over 3 Years To 5 Years	12877.55	2600.96	12.09	192.60	7675.98	0.00
Over 5 Years	20489.86	19720.59	0.00	0.00	7404.72	0.00
GRAND TOTAL	58334.53	27948.51	387.67	683.51	85540.16	1283.43

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Substandard	2628.51
2	Doubtful 1	1681.50
3	Doubtful 2	1784.34
4	Doubtful 3	195.73
5	Loss	7.51
	Total	6297.59

निवल एन.पी.ए

राशि रु. करोड़ में

निवल.एन.पी.ए	4375.08
--------------	---------

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	10.45%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	7.51%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
अथशेष	4229.05
जमा	2900.06
कमी	831.52
इति शेष	6297.59

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
अथशेष	1266.71
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1135.20
बट्टे खाते डालना	518.98
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	
इतिशेष	1882.93

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि रु. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	30.85

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि रु. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	24.43

निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
अथशेष	5.30
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	24.64
बट्टे खाते डालना	5.26
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	
इतिशेष	24.68

तालिका डी.एफ. 5 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

Net NPAs

	Amt. - Rs/ Crores
Net NPAs	4375.08

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	10.45%
2	Net NPAs to Net advances	7.51%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	4229.05
Additions	2900.06
Reductions	831.52
Closing Balance	6297.59

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	1266.71
Provisions made during the period	1135.20
Write-off	518.98
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	1882.93

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	30.85

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs/ Crores
Provisions held for non-performing investments	24.43

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	5.30
Provisions made during the period	24.64
Write-off	5.26
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	24.68

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है। इसके अलावा, जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की दीर्घकालिक श्रेणी के साथ दीर्घकालिक ऋण, के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्तें पर जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशि

राशि-रु./करोड़

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर
100% जोखिम भार से कम	42041.20
100% जोखिम भार	17763.77
100% जोखिम भार से अधिक	6360.02
कटौती	7904.37
कुल	58260.63

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

Further, a revised mapping matrix of internal ratings of Long term loans with Long Term Ratings of External Credit Rating Agencies, has been approved by the Board.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - Rs/ Crores

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	42041.20
100 % risk weight	17763.77
More than 100 % risk weight	6360.02
Deducted	7904.37
TOTAL	58260.63

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं:-

- ◆ संपार्श्विक संचालन
- ◆ ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- ◆ गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाराशियाँ जिनमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।
- 2.) सोना रु 99.99% की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ: शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।
- 9.) पुनः प्रतिभूतिकरण, किसी भी क्रेडिट रेटिंग के बगैर, वित्तीय जमानत हेतु पात्र नहीं हैं।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जाँच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

- I) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं।
- II) अन्य इकाइयाँ, जिनको बाह्य रेटिंग दी गई है जब एक प्रतिभूतिकरण जोखिम को ऋण सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें मूल, अनुशंगी और जुड़ी हुई कंपनियों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा सम्मिलित होंगी जब बाध्यताधारी की तुलना में उनका कम जोखिम भार होगा।
- III) जब प्रतिभूतिकरण जोखिम को ऋण सुरक्षा प्रदान की जाती है, अन्य इकाइयाँ जिनको वर्तमान में बाह्य बीबीबी रेटिंग या उससे बेहतर और उनको बाह्य ए रेटिंग दी गई थी – या उससे भी बेहतर जब उनको ऋण सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसमें मूल, अनुशंगी और जुड़ी हुई कंपनियों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा सम्मिलित होगी जब बाध्यताधारी की तुलना में उनका कम जोखिम भार होगा।

बैंक एक्सपोजर के एवज सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES**Qualitative Disclosures**

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- (i) Cash and Certain Deposits.
- (ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- (iii) Securities issued by Central and State Governments
- (iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- (v) Life insurance policies
- (vi) Debt securities -Rated subject to conditions.
- (vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- (viii) Units of mutual funds subject to conditions
- (ix) Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत— रु 3000.79 करोड़

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों की प्रकटीकरण संबंधी नीति का अद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन:** पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुद्देशन. : रु 144.10 करोड़

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि करोड़ों में
ब्याज दर जोखिम	253.31
शेयर स्थिति जोखिम	27.25
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts –Rs. **3000.79 Crores**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Bank has Assignment of Standard Pool Assets- Rs. 144.10 crores (balance o/s)

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - Rs/ Crores
Interest rate risk;	253.31
Equity position risk;	27.25
Foreign exchange risk;	NIL

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक-मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोनल ऑफिस/हेड ऑफिस से हानि आंकड़ों एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है।

परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) गठित की गई है। ओआरएमसी की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साइट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग संपन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजीप्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

एक वर्ष अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	रु. 4.52 करोड़
---	----------------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.) -9.13%

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and the “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF-8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures
a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	Rs. 4.52 Crores
---	------------------------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 9.13%

बासल- III के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक-प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक-प्रकटीकरण	लागू नहीं
ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी.एफ 2- पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोखिम प्रबंधन की व्यापक संरचना कार्यरत है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में वृद्धि के आसार के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा-बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रु/ लाखों में
9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	466886.56
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2017

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

<u>Qualitative Disclosures</u>	The Bank does not belong to any group
(a) List of group entities considered for consolidation	
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
<u>Quantitative Disclosures</u>	
(c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lakhs
- Portfolios subject to standardized approach @ 9%	466886.56
- Securitisation exposures	Nil

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं-मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रु/ लाखों में
— ब्याज दर जोखिम	31250.48
— विदेशी विनिमय जोखिम (सोने सहित)	200.00
— इक्विटी जोखिम	5624.61

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि-रु/ लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	36002.82

बैंक हेतु कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात :

बासल III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.05%
बासल III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.14%
बासल III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.14%

तालिका डी.एफ. 3 - ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा (वार्षिक समापन 2016-17 के लिए लागू)

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।

ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ङ) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकोती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं/कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. in Lakhs
- Interest rate risk	31250.48
- Foreign exchange risk (including gold)	200.00
- Equity risk	5624.61

Capital requirements for operational risk:

	Amt. in Lakhs
Basic indicator approach	36002.82

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	11.05%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.14%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.14%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES**Qualitative Disclosures**

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं :

- i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

- ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणीयों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्मयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इविक्टि सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है :-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.

- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण.उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन—बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन — शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्ति पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल सकल ऋण जोखिम का एक्सपोजर

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	6026308.86
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	508231.50

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	विदेशी	शून्य
	— निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	
	— गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी	6026308.86
	— निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	
	— गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	508231.50

- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	Fund Based Credit Exposures	6026308.86
2	Non Fund Based Credit Exposures	508231.50

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	- Fund Based Credit Exposures	6026308.86
	- Non Fund Based Credit Exposures	508231.50

एक्सपोजर का उद्योगवार वितरण

राशि रु./लाखों में

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	49519.29	13989.56	63508.85
क.1 कोयला/हार्ड लिगनाईट/पीट	2830.17	9394.77	12224.94
क.2 अन्य खाद्यान्न	46689.12	4594.79	51283.91
ख. खाद्य प्रसंस्करण	92067.54	1244.91	93312.445
ख.1 चीनी	16016.6	146.12	16162.72
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	9368.14	17.73	9385.874
ख.3 चाय	1825.35	0	1825.35
ख.4 कॉफी	1.63	0	1.632
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	64855.81	1081.06	65936.87
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	46709.27	3438.48	50147.75
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	99.8	0	99.8
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	46609.47	3438.48	50047.95
घ. कपड़ा उद्योग	147545.86	1358.78	148904.64
घ.1 कॉटन	88818.51	396.04	89214.55
घ.1.1 स्पिनिंग	83047.45	393.86	83441.31
घ.2 जूट	202.71	0	202.71
घ.2.1 स्पिनिंग	82.33	0	82.33
घ.3 हैंडीक्राफ्ट/खादी (एनपीएस)	2443.57	2.68	2446.25
घ.3.1 स्पिनिंग	584.78	0	584.78
घ.4 सिल्क	5501.03	487.98	5989.01
घ.4.1 स्पिनिंग	3584.63	0	3584.63
घ.5 वूलन	428.64	2.23	430.87
घ.5.1 स्पिनिंग	4.92	2.23	7.15
घ.6 कपड़ा उद्योग अन्य	50151.39	469.86	50621.25
ङ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	16579.56	1425.28	18004.84
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	8783.28	1973.48	10756.76
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	25958.73	25.99	25984.72
ज. पेट्रो/कोयला/नाभकीय ईंधन	45862.52	128.16	45990.68
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद	17932.56	281.66	18214.22
झ.1 फर्टीलाइजर	3421.19	0	3421.192
झ.2 ड्रग्स एवं फार्मा	4024.62	6.6	4031.223
झ.3 पेट्रो-रसायन	847.36	34.34	881.7
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	9639.38	240.72	9880.1
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	16894.12	3041.615	19935.735
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	1055.70	343.695	1399.39

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. in Lakhs

INDUSTRY	FUNDED	NON FUNDED	TOTAL
A.MINING & QUARRYING	49519.29	13989.56	63508.85
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	2830.17	9394.77	12224.94
A.2 MINING OTHERS	46689.12	4594.79	51283.91
B.FOOD PROCESSING	92067.54	1244.91	93312.445
B.1 SUGAR	16016.6	146.12	16162.72
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATI	9368.14	17.73	9385.874
B.3 TEA	1825.35	0	1825.35
B.4 COFFEE	1.63	0	1.632
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	64855.81	1081.06	65936.87
C.BEVERAGES & TOBACCO	46709.27	3438.48	50147.75
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	99.8	0	99.8
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	46609.47	3438.48	50047.95
D.TEXTILES	147545.86	1358.78	148904.64
D.1 COTTON	88818.51	396.04	89214.55
D.1.1 Out of above SPINNING	83047.45	393.86	83441.31
D.2 JUTE	202.71	0	202.71
D.2.1 Out of above SPINNING	82.33	0	82.33
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	2443.57	2.68	2446.25
D.3.1 Out of above SPINNING	584.78	0	584.78
D.4 SILK	5501.03	487.98	5989.01
D.4.1 Out of above SPINNING	3584.63	0	3584.63
D.5 WOOLEN	428.64	2.23	430.87
D.5.1 Out of above SPINNING	4.92	2.23	7.15
D.6 TEXTILE-OTHERS	50151.39	469.86	50621.25
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	16579.56	1425.28	18004.84
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	8783.28	1973.48	10756.76
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	25958.73	25.99	25984.72
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	45862.52	128.16	45990.68
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	17932.56	281.66	18214.22
I.1 FERTILISERS	3421.19	0	3421.192
I.2 DRUGS AND PHARMA.	4024.62	6.6	4031.223
I.3 PETRO-CHEMICALS	847.36	34.34	881.7
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL PROD.- OTHERS	9639.38	240.72	9880.1
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	16894.12	3041.615	19935.735
K.GLASS & GLASSWARE	1055.70	343.695	1399.39

उद्योग	निधि	गैर-निधि	कुल
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	10534.30	7917.84	18452.135
ढ. मूल धातू-धातू उत्पाद	191362.49	2840.31	194202.8
ढ.1 लोहा और स्टील	160871.75	451.08	161322.83
ढ.2 अन्य धातू तथा धातू उत्पाद	30490.75	2389.23	32879.98
ण. समस्त इंजीनियरिंग	42612.39	6076.82	48689.21
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	1460.89	32.21	1493.1
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग -अन्य	41151.51	6044.61	47196.12
त. वाहन/वाहन कलपुर्ज/टीपीटी औजार	20685.34	15451.68	36137.015
थ. रतन और आभूषण	7532.43	146135.23	153667.655
द. निर्माण	66267.47	45805.13	112072.595
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1324057.20	81603.66	1405660.86
ध.1 ट्रांसपोर्ट	269485.47	53857.28	323342.75
ध.1.1 रेलवे	15505.96	26410.95	41916.91
ध.1.2 रोडवेज	191903.41	27001.63	218905.04
ध.1.3 अन्य	2380.65	382.36	2763.01
ध.1.4 वाटरवेज	12.15	55.85	68
ध.1.5 अन्य	59683.3	6.49	59689.79
ध.2 ऊर्जा	736052.11	19960.52	756012.63
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा./टीआरएमएन/डीटीबी)	735986.89	19711.7	755698.59
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी/पाइपलाईन)	65.22	248.82	314.04
ध.3 टेली कम्यूनिकेशन	31144.06	126.35	31270.41
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व-अन्य	287375.57	7659.51	295035.08
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	46865.79	1055.33	47921.12
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	240509.77	6604.18	247113.95
न. अन्य उद्योग	12976.25	1075.84	14052.09
प. अवशिष्ट	3881372.60	174073.37	4055445.97
प. क. शिक्षा ऋण	29746.1	33.91	29780.01
प.ख. उड्डयन क्षेत्र	54795.5	0	54795.5
अन्य	3796831	174039.46	3970870.46
कुल योग	6026308.86	508231.49	6534540.35

उल्लेखनीय एक्सपोजर

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोजर, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

राशि- रु/लाखों में

क्रम सं०	उद्योग	एक्सपोजर
1	बुनियादी सुविधाएं	1405660.86
2	अवशिष्ट	4055445.97

INDUSTRY	FUNDED	NON FUNDED	TOTAL
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	10534.30	7917.84	18452.135
M.BASIC METAL & METAL PROD.	191362.49	2840.31	194202.8
M.1 IRON & STEEL	160871.75	451.08	161322.83
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	30490.75	2389.23	32879.98
N.ALL ENGINEERING	42612.39	6076.82	48689.21
N.1 ELECTRONICS	1460.89	32.21	1493.1
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	41151.51	6044.61	47196.12
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	20685.34	15451.68	36137.015
P.GEMS & JEWELLARY	7532.43	146135.23	153667.655
Q.CONSTRUCTIONS	66267.47	45805.13	112072.595
R.INFRASTRUCTURE	1324057.20	81603.66	1405660.86
R.1 TRANSPORT	269485.47	53857.28	323342.75
R.1.1 -RAILWAYS	15505.96	26410.95	41916.91
R.1.2 -ROADWAYS	191903.41	27001.63	218905.04
R.1.3 -OTHERS	2380.65	382.36	2763.01
R.1.4 -WATERWAYS	12.15	55.85	68
R.1.5 -OTHERS	59683.3	6.49	59689.79
R.2 ENERGY	736052.11	19960.52	756012.63
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	735986.89	19711.7	755698.59
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	65.22	248.82	314.04
R.3 TELECOMMUNICATION	31144.06	126.35	31270.41
R.4 INFRA-OTHERS	287375.57	7659.51	295035.08
R.4.1 -WATER SANITATION	46865.79	1055.33	47921.12
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	240509.77	6604.18	247113.95
S.OTHER INDUSTRIES	12976.25	1075.84	14052.09
T.RESIDUARY	3881372.60	174073.37	4055445.97
T.a EDUCATION LOAN	29746.1	33.91	29780.01
T.b AVIATION SECTOR	54795.5	0	54795.5
T.c OTHERS	3796831	174039.46	3970870.46
GRAND TOTAL	6026308.86	508231.49	6534540.35

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. in Lakhs

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	1405660.86
2	Residuary	4055445.97

आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि- रु/लाखों में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप: समयावधि	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	98803	000	2350	22886	435868	0.00
2 दिन से 7 दिन	169849	10890	287	1383	749543	119943
8 दिन से 14 दिन	21445	000	326	1461	335358	0.00
15 दिन से 30 दिन	29487	000	1347	4570	514202	0.00
31 दिनों से 2 माह	83036	000	2228	6925	712220	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	107202	3100	1048	6682	535106	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	328242	3010	2844	3368	1105115	0.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	601454	75198	5467	1816	1294682	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	1057194	470498	21661	0.00	1363852	84.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	1287755	260096	1209	19260	767598	0.00
5 वर्षों से अधिक	2048986	1972059	0.00	0.00	740472	0.00
कुल योग	5833453	2794851	38767	68351	8554016	128343

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि-रूपएं/-लाखों में
1.	अवस्तरीय	262851.48
2.	संदिग्ध 1	168150.24
3.	संदिग्ध 2	178434.07
4.	संदिग्ध 3	19572.93
5.	हानि	750.62
	कुल	629759.34

निवल:- एन.पी.ए.

राशि- रु./लाखों में

निवल:- एन.पी.ए.	437508
-----------------	--------

एन.पी.ए.अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	10.45%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	7.51%

एन.पी.ए. (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि. रु/लाखों में
अथशेष	422905
जमा	290006
कमी	83152
इतिशेष	629759

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. in Lakhs

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
Next 1 Day	98803	000	2350	22886	435868	0.00
2 Days To 7 Days	169849	10890	287	1383	749543	119943
8 Days To 14 Days	21445	000	326	1461	335358	0.00
15 Days To 30 Days	29487	000	1347	4570	514202	0.00
31 Days To 2 Months	83036	000	2228	6925	712220	0.00
Over 2 Months To 3 Months	107202	3100	1048	6682	535106	0.00
Over 3 Months To 6 Months	328242	3010	2844	3368	1105115	0.00
Over 6 Months To 1 Year	601454	75198	5467	1816	1294682	0.00
Over 1 Year To 3 Years	1057194	470498	21661	0.00	1363852	8400
Over 3 Years To 5 Years	1287755	260096	1209	19260	767598	0.00
Over 5 Years	2048986	1972059	0.00	0.00	740472	0.00
GRAND TOTAL	5833453	2794851	38767	68351	8554016	128343

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. in Lakhs
1	Substandard	262851.48
2	Doubtful 1	168150.24
3	Doubtful 2	178434.07
4	Doubtful 3	19572.93
5	Loss	750.62
	Total	629759.34

Net NPAs

Amt. in Lakhs

Net NPAs	437507.72
----------	-----------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	10.45%
2	Net NPAs to Net advances	7.51%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	422905.04
Additions	290005.69
Reductions	83151.39
Closing Balance	629759.34

एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि: ₹/लाखों में

क्रम संख्या	प्रावधान	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
	प्रारंभिक शेष	126671.09
जमा:	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान:	113520.05
घटाएं: (ए)	अपग्रेड किए गए खाते	2833.28
(बी)	अतिरिक्त प्रावधानों को वापिस लेना/बढ़े खाते में डालना	49064.49
	उप-योग (बी)	51897.77
	इतिशेष	188293.37

बढ़े खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

रूपए लाखों में

तकनीकी रूप से बढ़े खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	1658
विविध आय-तकनीकी रूप से बढ़े खाते में डाले गए खातों में वसूली	2555
कुल	4213

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि- ₹/लाखों में
गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	3085.03

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

राशि- ₹/लाखों में

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	2442.66
---------------------------------------	---------

निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि: ₹/लाखों में

अथ शेष	530.23
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2463.94
बढ़े खाते खोलना	0.00
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	526.23
इतिशेष	2467.94

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

राशि- ₹/लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
5 शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियां	555847.95	158884.02

गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भूगोल वार वितरण

राशि- ₹/लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	629759.35	188293.37	37587.00
विदेशी	0.00	0.00	0.00

Movement of Provisions for NPAs

		Amt. in Lakhs
Sl.No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance	126671.09
Add	Provisions made during the period (A)	113520.05
Less:	Upgraded Accounts	2833.28
	Write-off/ Write-back of excess provisions	49064.49
	Sub- Total (B)	51897.77
	Closing Balance	188293.37

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement

	Amt. in Lakhs
Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	1658.13
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	2554.94
TOTAL	4213.07

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. in Lakhs
Amount of Non-Performing Investments	3085.03

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. in Lakhs
Provisions held for non-performing investments	2442.66

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	530.23
Provisions made during the period	2463.94
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	526.23
Closing Balance	2467.94

Major Industry Breakup of NPA

	Amt. in Lakhs	
Industry	Gross NPA	Provision for NPA
NPA in Top 5 Industries	555847.95	158884.02

Geography wise Distribution of NPA & Provision

	Amt. in Lakhs		
Industry	Gross NPA	Provision for NPA	Provision for Standard Advances
Domestic	629759.34	188293.37	37587.00
Overseas	0.00	0.00	0.00

तालिका डी.एफ.- 4 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।
2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है। इसके अलावा, जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की दीर्घकालिक श्रेणी के साथ दीर्घकालिक ऋण, के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई हैं जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चातर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर-निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

Further, a revised mapping matrix of internal ratings of Long term loans with Long Term Ratings of External Credit Rating Agencies, has been approved by the Board.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

राशि: ₹/लाखों में

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100 % जोखिम भार से कम	4204120.40
100 % जोखिम भार	1776377.79
100 % जोखिम भार से अधिक	636002.76
कटौती	790437.51
कुल	5826063.44

तालिका डी.एफ. 5.

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात् पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II तथा बेसल-III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- सम्पाशिवक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय सम्पाशिवक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पाशिवकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पाशिवक निम्नलिखित हैं:-

- नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- सोना रु 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।
- पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपाशिवक के पात्र नहीं।

सांपाशिवक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पाशिवक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पाशिवक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सांपाशिवक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

- गारंटियाँ :** जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-II तथा बासल-III के अनुसार पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में ये शामिल हैं :

- सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी. बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिम युक्त हैं।

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lakhs

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	4204120.40
100 % risk weight	1776377.79
More than 100 % risk weight	636002.76
Deducted	790437.51
TOTAL	5826063.44

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES
Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. **Guarantees** Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.— अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए— अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल—III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्वकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा—निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त रु. 300079.47 लाख

तालिका डी.एफ.- 6- प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय—विक्रय।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) रु. 14410.00 लाखों में।

तालिका डी.एफ.- 7- ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहाँ तक हो सके ये विनियामक दिशा—निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा—निर्देशों के अनुसार की जाती है।

- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs.300079.47lakhs**

Table DF 6 - SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets - **Rs 14410.00 Lakhs**

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से है :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	राशि. रू.लाखों में
ब्याज दर जोखिम	31250.48
ईक्विटी स्थिति जोखिम	5624.61
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी.एफ.- 8- परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक-मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोनल ऑफिस/हेड ऑफिस से हानि आंकड़ों एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है।

परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग संपन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजीप्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ.- 9- बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।

Market risk management objectives:
The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. in Lakhs
Interest rate risk;	31250.48
Equity position risk;	5624.61
Foreign exchange risk;	NIL

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK
Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and the “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 - INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

राशि- रु./लाखों में

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	451.68
--	--------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)- 9.13 प्रतिशत

तालिका डी.एफ. 10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन-देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(रूपएं/-लाखों में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	694929.70	27500.70

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति (एक्सपोजर)/लेन -देन नहीं है।

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(रूपएं/-लाखों में)

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के दौरान (31 मार्च 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक) बासल III के अंतर्गत आम प्रकटीकरण हेतु टेम्पलेट			राशि बासल III के लागू होने से पूर्व	संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत व आरक्षित			
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूंजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	171845.28		
2	प्रतिधारित उपार्जन	185727.48		
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	203099.12		
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूंजी)	0		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह हेतु स्वीकृत राशि)	0		
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	560671.88		

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

Amt. in Lakhs

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	451.68
---	--------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 9.13 %

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting

Amt. in Lakhs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	694929.70	27500.70

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lakhs

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject To Pre Basel III Treatment	Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	171845.28		
2	Retained earnings	185727.48		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	203099.12		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	n.a.		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	n.a.		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	560671.88		

	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	20.00	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00	
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00	
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूँजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	3217.51	
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार (आरम्भिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं	
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	0.00	यह जोखिम भारित किया गया है।
22	आरम्भिक 15 प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं	
23	जिसका: वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं	
24	जिसका: बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं	
25	जिसका: अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	0.00	
26ए	असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कम्पनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0	
26बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के ईक्विटी पूँजी में कमी	0	
26सी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0	
	बासल III लागू होने से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	0	
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अमूर्त हानि हटाने के बाद (भारतीय संदर्भ में लागू नहीं)	—	
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ,	—	
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अमूर्त आस्तियाँ,	—	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य ईक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	0	

	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	20.00		
10	Deferred tax assets (associated with accumulated losses (net of eligible DTL) to be deducted in full from CET1)	0		
11	Cash-flow hedge reserve	0.00		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13	Securitisation gain on sale	0.00		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	3217.51		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) ³	0.00		
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	Not Relevant		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00		The same has been risk weighted.
22	Amount exceeding the 15% threshold	n.a.		
23	of which: significant investments in the common stock of financials	n.a.		
24	of which: mortgage servicing rights	n.a.		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	n.a.		
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries ⁸	n.a.		
26b	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank ⁹	n.a.		
26c	Unamortised pension funds expenditures	n.a.		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. intangible assets]	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			

28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	3237.51		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)	557434.37		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत			
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (3132)	0.00		
31	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन ईक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0.00		
32	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में परिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0.00		
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00		
35	जिसका: सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00		
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता ना होए की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00		
41ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियों जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के अतिरिक्त टियर1 पूँजी में कमी	0.00		
41बी	बासल III लागू होने से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
	जिसका समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ डीटीए,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50 प्रतिशत की दर से टियर-1 से काटा गया है,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
43	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	0.00		
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	0.00		
44ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया अतिरिक्त टियर-1 पूँजी	0.00		
45	(टियर-1 पूँजी (टी1. सीईटी1 एटी1) (पंक्ति 29 पंक्ति 44ए)	557434.37		
	टियर-2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान ग			
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00		
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	80500		सबार्डीनेट ऋण

28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	3237.51		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	557434.37		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions ¹⁰)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments	0.00		
41a	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
41b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	0		0
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	0.00		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]	0.00		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	0.00		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	557434.37		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	80500		Subordinate Debt

48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00		
49	जिसका: निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00		
50	प्रावधान	38001.65		
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी	118501.65		
	टियर-2 पूँजी: विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0.00		
53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	2000.00		
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कम्पनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के टियर-2 पूँजी में कमी	0.00		
56बी	बासल III लागू होने से पूर्व टियर 2 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर-2 से काटा गया है,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
57	टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	2000.00		
58	टियर-2 पूँजी (टी2)	116501.65		
58ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया टियर-2 पूँजी	116501.65		
58बी	टियर-2 के रूप में रखी गयी अन्य अतिरिक्त टियर-1 पूँजी	0.00		
58सी	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकृत कुल टियर-2 पूँजी (पंक्ति 58ए+पंक्ति 58बी)	116501.65		
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)	673936.02		
	बासल. III लागू होने से पूर्व जोखिम भारित आस्तियां से संबद्ध राशि			
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,			
	जिसका:			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	6101102.38		
60ए	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	5187628.49		
60बी	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	463438.63		
60सी	जिसका: कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	450035.26		
	पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.14%		
62	टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.14%		
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.05%		

48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	n.a.		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	n.a.		
50	Provisions	38001.65		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	118501.65		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	2000.00		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions ¹³)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
56b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE BASEL III TREATMENT	0.00		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0.00		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT	0.00		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	2000		
58	Tier 2 capital (T2)	116501.65		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy ¹⁴	116501.65		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	116501.65		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)	673936.02		
	RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]			
	OF WHICH: ...			
60	Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	6101102.38		
60a	of which: total credit risk weighted assets	5187628.49		
60b	of which: total market risk weighted assets	463438.63		
60c	of which: total operational risk weighted assets	450035.26		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.14%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.14%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.05%		

64	संस्था विषयक बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.75%		
65	जिसका: पूँजी अभिरूपता बफर आवश्यकता	1.25%		
66	जिसका: बैंक विषयक प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	—		
67	जिसका: जी.एस.आई.बी बफर आवश्यकता	—		
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	3.64%		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)				
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	7.00%		
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9.00%		
कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)				
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	44625.82		
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	65.37		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	भारत में लागू नहीं		
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	22257.06		
टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु प्राप्त प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	38001.65		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	64845.36		
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्राप्त प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
फेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)				
80	फेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
82	फेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
84	फेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			

तालिका डी.एफ.-12 - पूँजी का संयोजन दृष्टमाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.25%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67	of which: G-SIB buffer requirement	-		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.64%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00 %		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financials	44625.82		
73	Significant investments in the common stock of financials	65.37		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	22257.06		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	38001.65		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	64845.36		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	n.a.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	n.a.		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India		
81	Amount excluded from CET1 due to ca6p (excess over cap after redemptions and maturities)			
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements			
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements			
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

डी.एफ.13. विनियामक पूंजी लिखतों मुख्य विशेषताएं

क्रम संख्या	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिक्लोजर टेम्पलेट)	टियर-2 बाण्ड्स (सबडीनैट ऋण लिखत)					सीरीज - XIV = 500 करोड़
		सीरीज - IX = 100 करोड़	सीरीज - X = 400 करोड़	सीरीज - XI = 175 करोड़	सीरीज - XII = 200 करोड़	सीरीज - XIII = 300 करोड़	
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता (अर्थात सी.यू.एस.आई. पी., आई.एस.आई.एन. अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्यूम्बर्ग पहचानकर्ता)	आई.एन.ई. 608090980	आई.एन.ई. 60809098	आई.एन.ई. 608090914	आई.एन.ई. 6080909122	आई.एन.ई. 60809130	आई.एन.ई. 608090817
3.	लिखत के शासी विधान	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, संवैधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं/अथवा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, संवैधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं/अथवा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, संवैधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं/अथवा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, संवैधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं/अथवा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, संवैधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं/अथवा उल्लिखित उपबंध	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण) अधिनियम, 2012 तथा (संशोधित) अधिनियम, 2014 के दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण) अधिनियम, 2014
विनियामक व्यवहार							
4.	ट्रांजिशनल बासल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बेसल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2
6.	एकल/समूह/समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7.	लिखत स्वरूप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि- (करोड़ रुपये में)	रुपए-18 करोड़	रुपए 128 करोड़	रुपए-56 करोड़	रुपए-84 करोड़	रुपए 144 करोड़	रुपए-500 करोड़
9.	लिखत का सममूल्य	1000000 रुपए	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)
11.	जारी करने की मूल तिथि	15-02-2008	22-09-2008	26-06-2009	11-01-2010	24-06-2011	19-10-2016
12.	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिष्कृतता तिथि	15-05-2018	22-04-2019	26-04-2019	11-04-2020	24-10-2021	19-10-2026
14.	जारीकर्ता की कौल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हां	जी नहीं
15.	ऑथनाल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मौखन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24-06-2017, सम मूल्य पर मौखन	लागू नहीं
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

S. N	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Series- IX= 100 crore	Series- X =400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII =200 crore	Series- XIII =300 crore	Series- XIV =500 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09080	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130	INE608A08017
3	Governing law(s) of the instrument	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) Regulations, 2008 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2008/13/127878 Dated June 06, 2008, As Amended And Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2012-13/19/5392 Dated October 12, 2012, As Amended And Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2013-14/43/207 Dated January 31, 2014, As Amended
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	Rs 18 Crores	Rs 128 Crores	Rs 56 Crores	Rs 84 Crores	Rs 144 Crores	Rs 500 Crores
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	15.02.2008	22.09.2008	26.06.2009	11.01.2010	24.06.2011	19.10.2016
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	15.05.2018	22.04.2019	26.04.2019	11.04.2020	24.10.2021	19.10.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	Yes	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	NA	24.06.2017 redemption at par	NA

क्र.सं.	कृपया लाभांश	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश / कूपन	9.10%	11.05%	8.70%	8.70%	8.70%	9.73%	7.99%	निर्धारित
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	7.99%
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	जी नहीं
20.	पूर्णरूप विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
22.	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)								
25.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखित में परिवर्तनीय है उसका प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखित के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	लागू नहीं
32.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	अवलेखन की दशा में स्थायी है अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	यदि अस्थायी अवलेखन है तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
36.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखित का प्रकार (इस लिखित के एकदम आगे के लिखित के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।))	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन
37.	संक्रमणकालीन अनुपालन स्वरूप	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन
38.	यदि हाँ तो अनुपालन का स्वरूप विहित करें।	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन	अवलेखन

16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends									
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.10%	11.05%	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%	7.99%
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Write-off feature is applicable
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PONV Trigger as per RBI Guidelines
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	claims of all depositors and general creditors of the bank
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NA
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	NA

तालिका डी.एफ.14 - विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1. बाण्ड निर्गमन - IX 100 करोड़ रूपए

वर्तमान इश्यू की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबॉडिनेटेड बाण्ड (सीरीज -IX) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000/- रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आवंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबॉडिनेटेड बाण्ड (सीरीज-IX) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बाण्डों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

इश्यू का उद्देश्य

बैंक के टियर-II पूंजी में वृद्धि के लिए वर्तमान बाण्डों को जारी किया जा रहा है ताकि बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता सुदृढ़ हो सके और बैंक के दीर्घावधिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके। वर्तमान इश्यू पर होने वाले व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा। जिन गतिविधियों को करने के लिए वर्तमान इश्यू के माध्यम से निधियाँ संचित की जा रही हैं उनके लिए एवं बैंक द्वारा इश्यू की तिथि तक की जा रही गतिविधियों के लिए बैंक के संस्थापन प्रलेख का मुख्य उद्देश्य खंड सामर्थ्य प्रदान करता है। इस इश्यू से जुटाई गयी धनराशि का बैंक द्वारा अपनी नियमित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

लिखत एवं जारी करने के विवरण पर एक नजर

इश्यू का आकार	100 करोड़ रूपए
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर-II पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबॉडिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज -IX)
लिखत का रूप	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई सी आर ए-ए.ए" रेटिंग -इक्रा (आई.सी.आर.ए.) द्वारा तथा "क्रिसिल ए.ए नेगटिव" रेटिंग-क्रिसिल द्वारा
अंकित मूल्य	10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम अभिदान	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	10 वर्ष तथा 3 महीने (123 महीने)
पूट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता	सम मूल्य पर - आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष तथा 3 महीने के अंत में।
कूपन दर	9.10 % प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	अर्ध-वार्षिक
ब्याज भुगतान की तिथियां	प्रत्येक वर्ष की 15 मई तथा 15 नवम्बर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-) पर।
न्यासी	बैंक की ओर से आई-डी-बी-आई- ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर अर्थात् 9.10% वार्षिक दर से - बैंक/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।

* स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments**1. BOND ISSUE – IX RS. 100 CRORE****TERMS OF THE PRESENT ISSUE**

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-IX) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards payment of interest and repayment of principal by the Bank out of its own funds. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

OBJECTS OF THE ISSUE

The present issue of bonds is being made for augmenting the Tier-II Capital of the Bank for strengthening its Capital Adequacy and for enhancing the long-term resources of the Bank. The expenses of the present issue would be borne by the Bank. The Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Bank enables it to undertake the activities for which the funds are being raised through the present issue and also the activities which the Bank has been carrying on till date. The proceeds of this Issue would be used by the Bank for its regular business activities.

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resource base of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes (Series-IX)
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and “CRISIL AA Negative” by CRISIL
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year and 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption	At par at the end of 10 Year and 3 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate*	9.10% p.a.
Interest Payment	Semi-Annual
Interest Payment dates	May 15 and November 15 each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate i.e. @ 9.10% p.a. from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

2. बाण्ड निर्गमन - X 400 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबॉडिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज X)
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई- सी आर- ए -ए-ए-"-इक्रा (आई- सी आर-ए) द्वारा तथा "केयर ए-ए-" - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने (10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आवंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	15 अप्रैल, 2019
कूपन दर [^]	11.05 % वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	बैंक की ओर से आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज [^]	कूपन दर पर (अर्थात 11.05 % वार्षिक दर से) - चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली के माध्यम से
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि [^]	10-09-2008
इश्यू के बंद होने की तिथि [^]	12-09-2008
पे-इन डेटस [^]	10-09-2008 से 12-09-2008
आवंटन की मानी गई तिथि [^]	15-09-2008

[^] स्ट्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

[^] बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

2. BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 15, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " Punjab & Sind Bank " and crossed " Account Payee Only " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " Punjab & Sind Bank RTGS Account " IFSC Code: " PSIB 0000385 " for Mumbai and " PSIB 0000001 " for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008
Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

3. बाण्ड निर्गमन - XI 175 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 175 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड्स) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉडिनेटेड टियर-II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भारि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई. सी आर.ए. ए.ए" - आई. सी आर.ए. द्वारा तथा "केयर ए.ए." - केयर (सी.ए.आर.ई.) द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने (9 वर्ष तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आवंटन की मानी गई तिथि से 9 वां तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	8.70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई-डी-बी-आई- ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70% वार्षिक दर से) - बैंक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी बैंक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(ओ)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- /ई-सी-एस-प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित बैंक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि*	15-06-2009
इश्यू के बंद होने की तिथि*	19-06-2009
पे-इन डेटस*	15-06-2009 से 19-06-2009
आवंटन की मानी गई तिथि*	26-06-2009

*स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

*बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलन/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

3. BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "Punjab & Sind Bank" and crossed "Account Payee Only" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB 0000385" for Mumbai and "PSIB 0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

4. बाण्ड निर्गमन - XII - 200 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 200 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई सी आर ए.-ए.ए" रेटिंग-इक्रा (आई.सी.आर.ए.) द्वारा तथा "क्रिसिल ए.ए. नेगटिव" रेटिंग-क्रिसिल द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने (10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीने (123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर [^]	8.70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिंस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज [^]	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70 % सर्विसेज दर से) - चैक/ डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस-की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी. एस. प्रणाली/ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि [^]	06.01.2010
इश्यू के बंद होने की तिथि [^]	13.01.2010
पे-इन डेटस [^]	06.01.2010 से 13.01.2010
आवंटन की मानी गई तिथि [^]	15.01.2010

[^]स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

[^]बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4. BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE

VII. SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and “CRISIL AA Negative” by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of “ Punjab & Sind Bank ” and crossed “ Account Payee Only ” payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of “ Punjab & Sind Bank RTGS Account ” IFSC Code: “ PSIB 0000385 ” for Mumbai and “ PSIB 0000001 ” for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2009
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

5. बाण्ड निर्गमन - XIII 300 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सर्बोडिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भारि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई- सी-आर-ए ए.ए" - आई- सी आर- -ए- द्वारा तथा "केयर ए-ए" - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000 / - प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000 / - प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000 / - प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छटे वर्ष के अंत में (भारि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	9.73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर - आवंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों) डिमांड ड्राफ्ट(टों) / आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9.73 % वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों) / ब्याज / प्रतिदेय वारंट(स) / डिमांड ड्राफ्ट / आर-टी-जी-एस- प्रा.ाली / ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रानिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर-टी-जी-एस- खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000001" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि*	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि*	24.06.2011
पे-इन डेट्स*	20.06.2011 से 24.06.2011
आवंटन की मानी गई तिथि*	24.06.2011

*स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

*बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

5. BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"AA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6 th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24 th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	20 th June 2011
Issue Closes on ^	24 th June 2011
Pay-In Date ^	20 th June 2011 to 24 th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24 th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

6. बाण्ड निर्गमन- XIV 500 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्युकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 500 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूंजी को बढ़ाया जाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बेसल III कॉप्लाएंट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बाँडधारकों के दावों में यह होगा कि : (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जो कि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
जारी करना / क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"क्रिसिल ए.ए. नेगटिव" रेटिंग-क्रिसिल द्वारा तथा "केयर ए-ए" - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा"
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बाँड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (10,00,000 रुपये / - प्रति बाँड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु 10,00,000 / - प्रति बाँड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बाँड तथा उसके बाद 1 (एक) बाँड के गुणकों में
कार्यकाल	आवंटन की डीमड दिनांक से 10 साल
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता / परिपक्वता	आवंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	19 अक्टूबर 2026
कूपन दर*	7.99% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बाँड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्टूबर वार्षिक
न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	इश्यू में जिन आवेदकों को बांड आवंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जो कि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बाँड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आवंटन की डीमड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आवंटित को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आवंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ब्याज या प्रतिदेयता वारंट/मांग ड्राफ्ट/खाते में सीधे जमा/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक एकाउंट" के पक्ष में" केवल अदाता के खाते में" रेखांकित किया गया हो और जिस स्थान/केंद्र में आवेदन पत्र जमा करवाया गया हो वहाँ पर सममूल्य पर देय अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक IFSC कोड PSIB0000606, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फंड ट्रांसफर/आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
इश्यू के खुलने की तिथि	05.10.2016
इश्यू के बंद होने की तिथि	05.10.2016
पे-इन डेट्स	19.10.2016
आवंटन की मानी गई तिथि	19.10.2016

6. **BOND ISSUE – XIV Rs 500 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 500 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	“CRISIL AA with Negative Outlook” by CRISIL and “CARE AA with Stable Outlook” by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	October 19, 2026
Coupon Rate	7.99% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
Trustee	Axis Trustee Services Limited
Depository	National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer’s account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Mode of Subscription	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of “Punjab & Sind Bank A/c” and crossed “Account Payee Only” payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi.
Issue Opens on	05.10.2016
Issue Closes on	05.10.2016
Pay in Date	19.10.2016
Deemed Date of Allotment	19.10.2016

तालिका डी.एफ. 15. पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डी.एफ. 16 : इक्विटी - बैंकिंग बही खातों की स्थिति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है।	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नीतिगत उद्देश्य से आरआरबी में रखा गया है। बैंक पूँजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।
2. बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओं तथा इन प्रथाओं में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकों और मूल्यांकन प्रणालियां शामिल होनी चाहिए।	ऐसे निवेश, जिसे परिकल्पना तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्य में अस्थायी ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ-हानि खाता में की जाती है तथा उसे भारि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात् "आरक्षित पूँजी" से समायोजित किया जाता है।

राशि लाखों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलन-पत्र में निवेशों का प्रकटित मूल्य, इसके अतिरिक्त निवेशों के उचित मूल्य, प्रस्तुत प्रतिभूतियों हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत शेयर मूल्य से तुलना, जहाँ शेयर मूल्य, वास्तविक मूल्य से वस्तुतः भिन्न है।	प्रकटित मूल्य - 65.37 वास्तविक मूल्य 1406.36 (तुलन-पत्र के अनुसार)
2	निवेशों के प्रकार और स्वरूप, जिसमें निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: • सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए तथा • निजी रूप से धारित।	शून्य 65.37
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानियाँ)	शून्य
4	कुल अप्राप्त्य लाभ (हानियाँ)	शून्य
5	कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	1340.99
6	उपर्युक्त में से टीयर-I तथा/या टीयर-II में शामिल की गयी राशियाँ	शून्य
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहों द्वारा विभाजित पूँजी अपेक्षाएँ और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूँजी अपेक्षाओं के संबंध में किन्ही पर्यवेक्षी सक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश, को मास्टर परिपत्र बासल-III पूँजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

तालिका डी.एफ. 17. लेखा आस्तियाँ बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक संक्षिप्ति

मदें	(रु. लाखों में)
1. प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	9664343.71
2. बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यापारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।	
3. लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र में मान्य प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन।	
4. डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	
5. प्रतिभूति वित्तीय लेन-देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	57500.00
6. तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन-पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्य राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	670999.93
7. अन्य समायोजन	
8. लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	10335343.64

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions**Qualitative Disclosures**

Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons.	Equity investment in the banking book is in RRB, held for strategic purpose. Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.
Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to “Capital Reserves” in accordance with RBI guidelines.

Amount in Lacs

Quantitative Disclosures		
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Value disclosed- 65.37 Fair Value –1406.36 (as per Balance sheet)
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: - Publicly traded; and - Privately held.	Nil 65.37
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealised gains (losses)	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)	1340.99
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	Nil
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(Rs. in Lakhs)
1.	Total consolidated assets as per published financial statements	9664343.71
2.	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3.	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4.	Adjustments for derivative financial instruments	-
5.	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	57500.00
6.	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	670999.93
7.	Other adjustments	
8.	Leverage ratio exposure	10335343.64

तालिका डी.एफ.18. लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		
लीवरेज अनुपात मद संरचना		(रु. लाखों में)
तुलन-पत्र एक्सपोजर		
1.	तुलन-पत्र की मदे (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	9606843.71
2.	(निर्धारक बेसल III टियर 1 पूँजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(3237.51)
3.	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	9603606.20
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4.	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	—
5.	सभी डेरिवेटिव लेन-देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि	—
6.	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र आस्तियों से कटौती की गई है।	—
7.	(डेरिवेटिव लेन-देनों में दर्शाए गये नकदी घट-बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)	—
8.	(ग्राहक- समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग	—
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	—
10.	लिखित ऋण डेरिवेटिव हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ	—
11.	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	—
प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर		
12.	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखाकन लेन-देनों के समायोजन उपरांत	57500.00
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	—
14.	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	—
15.	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	—
16.	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)	57500.00
अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर		
17.	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	1883030.40
18.	(ऋण समतुल्या राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	(1212030.48)
19.	तुलनपत्रेतर मदे (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)	670999.93
पूँजी तथा कुल एक्सपोजर		
20.	टीयर 1 पूँजी	557434.19
21.	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)	10332106.13
लीवरेज अनुपात		
22.	बेसल III लीवरेज अनुपात	5.40%

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template		
	Leverage ratio Item framework	(Rs. in Lakhs)
On-balance sheet exposures		
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	9606843.71
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(3237.51)
3.	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	9603606.20
Derivative exposures		
4.	Replacement cost associated with all <i>derivatives</i> transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	-
5.	Add-on amounts transactions for PFE associated with <i>all</i> derivatives	-
6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7.	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)	-
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9.	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11.	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	-
Securities financing transaction exposures		
12.	Gross SFT <i>assets</i> (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	57500.00
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14.	CCR exposure for SFT assets	-
15.	Agent transaction exposures	-
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	57500.00
Other off-balance sheet exposures		
17.	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1883030.40
18.	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(1212030.48)
19.	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	670999.93
Capital and total exposures		
20.	Tier 1 capital	557434.19
21.	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	10332106.13
Leverage ratio		
22.	Basel III leverage ratio	5.40%

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नई दिल्ली।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2017 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 549 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 931 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 10.19 प्रतिशत, जमा राशियों का 28.50 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 6.78 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 23.81 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग कानून के अनुसार तथा भारत में स्वीकार्य है। उत्तरदायित्व में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।
- एक लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकटन और राशियों संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का परीक्षण सम्मिलित है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विषय में दी गई गलत सूचना का आकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल रहता है।
- हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं सामान्यतया पूर्ण हैं और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

विषय का महत्व:

- हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.5, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।
 - बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल-II तथा बेसल-III अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में प्रकट किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा- नीतियों और उक्त परिच्छेद 6(i) से (iii) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।
 - नोट सं. 10.9.6 जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा खराब ऋणों के दावे की स्वीकार्यता में अनिश्चितता का वर्णन करता है, की तुलना में स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय के आधार पर बैंक ने निर्णय लिया है।
- हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि:-

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The President of India

Report on the Financial Statements of Punjab & Sind Bank

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2017, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 549 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 931 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 10.19 per cent of advances, 28.50 per cent of deposits, 6.78 per cent of interest income and 23.81 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India and applicable banking laws. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of matter:

6. Without qualifying our report, we draw attention to:
 - (i) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable
 - (ii) Note no. 10.9.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable
 - (iii) Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (i) to (iii) above.
 - (iv) Note No.10.9.6 regarding allowability of claim of bad debts by the Income Tax Authorities vis-a-vis stand taken by the bank based on expert independent opinion.
7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us we further report that:

- (i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन-पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2017 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है;
- (ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है;
- (iii) नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष तक की नकदी प्रवाह विवरणी के सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।
9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
 - ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

कृते तिवारी एण्ड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

(संदीप संदिल)

साझेदार

एम.नं. 085747

एफआरएन 002870एन

कृते धवन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(आई.जे. धवन)

साझेदार

एम. नं. 081679

एफआरएन 002864एन

कृते दिल्ली एण्ड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

(राजेश मल्होत्रा)

साझेदार

एम.नं. 090661

एफआरएन 002783एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(दविन्दर पाल सिंह)

साझेदार

एम.नं. 0086596

एफआरएन 007601एन

दिनांक: 16 मई, 2017

स्थान: नई दिल्ली

- (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- 10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For Tiwari & Associates

Chartered Accountants

(Sandeep Sandill)

Partner

M. No. 085747

FRN : 002870N

For Dhawan & Co.

Chartered Accountants

(I. J. Dhawan)

Partner

M. No. 081679

FRN : 002864N

May 16, 2017

New Delhi

For Dhillon & Associates

Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)

Partner

M. No. 090661

FRN : 002783N

For Davinder Pal Singh & Co.

Chartered Accountants

(Davinder Pal Singh)

Partner

M. No. 086596

FRN : 007601N

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

पूँजी तथा देयताएं	अनुसूची	रूपए 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	रूपए 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूँजी	1	4004110	4004110
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	57420579	55698068
जमाराशियाँ	3	855401613	912499639
उधार	4	29584377	28390136
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	20023692	25222233
जोड़		966434371	1025814186

आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में इतिशेष	6	43646772	38225590
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7	2250993	10800119
निवेश	8	279485019	276450374
अग्रिम	9	583345334	639160737
स्थिर आस्तियाँ	10	10954287	11334398
अन्य आस्तियाँ	11	46751966	49842968
जोड़		966434371	1025814186
आकस्मिक देयताएं	12	97296773	149244638
वसूली के लिए बिल		5970694	11060694
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	अनुसूची	रूपए 31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	रूपए 31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	81728719	87443409
अन्य आय	14	5780982	4784857
जोड़		87509701	92228266
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	60135376	65685540
परिचालन व्यय	16	14955547	13843774
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		10407936	9339228
जोड़		85498859	88868542
III. लाभ/हानि			
अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (-)		2010842	3359724
अग्रानीत लाभ/हानि (-)		18127770	16791869
सामान्य आरक्षितियों से आहरण		0	104
जोड़		20138612	20151697
मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर		5.02	8.39

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2017

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
		[Audited]	[Audited]
Capital	1	4004110	4004110
Reserves & Surplus	2	57420579	55698068
Deposits	3	855401613	912499639
Borrowings	4	29584377	28390136
Other liabilities & Provisions	5	20023692	25222233
TOTAL		966434371	1025814186

ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	43646772	38225590
Balances with banks & money at call and short notice	7	2250993	10800119
Investments	8	279485019	276450374
Advances	9	583345334	639160737
Fixed Assets	10	10954287	11334398
Other Assets	11	46751966	49842968
TOTAL		966434371	1025814186
Contingent Liabilities	12	97296773	149244638
Bills for Collection		5970694	11060694
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE	YEAR ENDED 31.03.17	YEAR ENDED 31.03.16
		[Audited]	[Audited]
I. INCOME			
Interest earned	13	81728719	87443409
Other income	14	5780982	4784857
TOTAL		87509701	92228266
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	60135376	65685540
Operating expenses	16	14955547	13843774
Provisions and contingencies		10407936	9339228
TOTAL		85498859	88868542
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit/ Loss (-) for the period		2010842	3359724
Profit/ Loss(-) brought forward		18127770	16791869
Withdrawal from General Reserve		0	104
TOTAL		20138612	20151697
Basic & Diluted Earning per share (EPS)		5.02	8.39

IV.	विनियोजन			
	अंतरण:			
	सांविधिक आरक्षित निधियाँ		505000	840000
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		337670	211511
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		723194	177239
	आरक्षित निवेश		0	0
	आस्थगित कर देयताएं		0	0
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	0
	प्रस्तावित लाभांश: (ईक्विटी)		0	660678
	लाभांश वितरण कर		0	134499
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		18572748	18127770
	जोड़		20138612	20151697
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

जतिंदरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर.मेहर
निदेशक

एस.पी.बबूता
निदेशक

जी.एस.ढल्ल
महाप्रबंधक

एस.सी. क्वात्रा
महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
उप महाप्रबंधक

मुकेश कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

पी.के.जेना
निदेशक

एम.एस.सारंग
निदेशक

डी.डी.शर्मा
महाप्रबंधक

आर.के.बंसल
महाप्रबंधक

ए.एस.अहूजा
सहायक महाप्रबंधक

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

वरिंदर गुप्ता
महाप्रबंधक

जी.एस.ढींगरा
महाप्रबंधक

चन्द्र मोहन सिंह
मुख्य प्रबंधक

समितिधि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002870एन

(संदीप संदिल)
एम.नं. 085747

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002864एन

(आई.जे.धवन)
एम.नं. 081679

नई दिल्ली
दिनांक: 16.05.2017

कृते ढिल्लोंप एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002783एन

(राजेश मल्होत्रा)
एम.नं. 090661

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007601एन

(दविन्दरपाल सिंह)
एम.नं. 0086596

IV.	APPROPRIATIONS			
	Transfer to: Statutory Reserve		505000	840000
	Capital Reserve [Investment]		337670	211511
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		723194	177239
	Investment Reserve		0	0
	Deferred Tax Liability		0	0
	Corporate Social Responsibility Fund		0	0
	Proposed Dividend (Equity)		0	660678
	Dividend Distribution Tax		0	134499
	Balance carried over to Balance Sheet		18572748	18127770
	TOTAL		20138612	20151697
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

JATINDERBIR SINGH
CHAIRMAN & MG.DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

S.R. MEHAR
DIRECTOR

P.K. JENA
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

S.P.BABUTA
DIRECTOR

M.S. SARANG
DIRECTOR

G.S. DHALL
GENERAL MANAGER

D.D.SHARMA
GENERAL MANAGER

VARINDER GUPTA
GENERAL MANAGER

S.C. KWATRA
GENERAL MANAGER

R.K. BANSAL
GENERAL MANAGER

G.S. DHINAGA
GENERAL MANAGER

V.K. MEHROTRA
DY. GEN.MANAGER

A.S. AHUJA
ASSTT GEN. MANAGER

C.M. SINGH
CHIEF MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE.

FOR TIWARI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002870N

FOR DHILLON & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002783N

[SANDEEP SANDILL]
M.No. 085747

[RAJESH MALHOTRA]
M.No. 090661

FOR DHAWAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002864N

FOR DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 007601N

[I.J.DHAWAN]
M.No. 081679

[DAVINDER PAL SINGH]
M.No. 086596

NEW DELHI
DATED 16.05.2017

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 1 - पूँजी	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	प्राधिकृत पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10/- के 75,00,00,000 शेयर	7500000	7500000
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) प्रत्येक रु. 10/- के 225,00,00,000 शेयर	22500000	22500000
		30000000	30000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10/- के 40,04,11,027 शेयर (पिछले वर्ष 40,04,11,027) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु.10/- के 31,88,22,775 शेयर (पिछले वर्ष 31,88,22,775) सम्मिलित हैं।	4004110	4004110
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
	कुल [I+II]	4004110	4004110

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.	सांविधिक आरक्षित निधि		
	अथशेष	10331906	9491906
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	505000	840000
	उप-योग- I	10836906	10331906
II.	पूँजी आरक्षित निधि --		
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
	अथशेष	9021393	7845513
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	1344944
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-288331	-169064
	उप-योग II क	8733062	9021393
	ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	2934240	2722729
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	337670	211511
	उप-योग II ख	3271910	2934240
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथ शेष	13180418	13180418
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	जमा: सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	0
	उप-योग - III	13180418	13180418
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
	क) सामान्य आरक्षित		
	अथ शेष	1089003	1089107
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	-104
	उप-योग- IV. क	1089003	1089003

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
		[Audited]	[Audited]
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 40,04,11,027 (Previous Year 40,04,11,027) shares of Rs.10/- each [including 31,88,22,775 (Previous Year 31,88,22,775) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	4004110	4004110
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
	TOTAL [I+II]	4004110	4004110

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
		[Audited]	[Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	10331906	9491906
	Addition during the year	505000	840000
	Sub Total I	10836906	10331906
II.	Capital Reserves:		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	9021393	7845513
	Add: Addition during the year	0	1344944
	Less:Deduction during the year	-288331	-169064
	Sub Total II.a	8733062	9021393
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	2934240	2722729
	Add: Addition during the year	337670	211511
	Sub-Total II.b	3271910	2934240
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	13180418	13180418
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Share Issue Expenses	0	0
	Sub-Total III	13180418	13180418
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089107
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	-104
	Sub-Total IV.a	1089003	1089003

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	105700	105700
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप-योग IV.ख	105700	105700
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत		
	अथशेष	870821	693582
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	723194	177239
	उप-योग IV ग	1594015	870821
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	36817	36817
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप-योग IV घ	36817	36817
V	लाभ-हानि खाते में शेष	18572748	18127770
	कुल योग (I-V)	57420579	55698068

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 3 - जमा राशियाँ	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क.	I) 1.) क. मांग जमा		
	i) बैंकों से	238202	275159
	ii) अन्य से	44636014	49816761
	II. बचत बैंक जमा राशियाँ	190720973	157199251
	III. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	16183593	41366332
	ii) अन्य से	603622831	663842136
	जोड़ (I+II+III)	855401613	912499639
ख)	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	855401613	912499639

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 4 -- उधार	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	I.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	7950000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	12834377	7190136
	iv) गौण ऋण	16750000	13250000
	II.) भारत से बाहर उधार	0	0
	जोड़ (I+II)	29584377	28390136
	उपरोक्त जोड़ (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	0	7950000

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	105700	105700
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	105700	105700
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	870821	693582
	Add: Addition during the year	723194	177239
	Sub-Total IV.c	1594015	870821
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	36817	36817
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.d	36817	36817
V.	Balance in Profit & Loss Account	18572748	18127770
	Total [I to V]	57420579	55698068

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
		[Audited]	[Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	238202	275159
	ii. From others	44636014	49816761
	II. Savings Bank Deposits	190720973	157199251
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	16183593	41366332
	ii. From others	603622831	663842136
	TOTAL [I+II+III]	855401613	912499639
B	Deposits of branches in India	855401613	912499639

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
		[Audited]	[Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	0	7950000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	12834377	7190136
	iv) Subordinated Debt	16750000	13250000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	29584377	28390136
	Secured borrowings Included in I & II above	0	7950000

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. देय बिल	2317397	2463064
II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	451327	663316
III. प्रोद्भूत ब्याज	8357393	9209871
IV. आस्थगित कर देयता	0	2007552
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	8897575	10878430
जोड़	20023692	25222233

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2524634	2507299
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	35372138	35718291
ii) अन्य खातों में	5750000	0
जोड़ (I तथा II)	43646772	38225590

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.) भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	311185	559486
ख) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
क) बैंकों से	0	7000000
ख) अन्य संस्थाओं से	0	1000000
उप योग- (I)	311185	8559486
II.) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1939808	2240633
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन	0	0
उप-योग (II)	1939808	2240633
जोड़ (I+II)	2250993	10800119

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
	[Audited]	[Audited]
I. Bills Payable	2317397	2463064
II. Inter-office adjustments [net]	451327	663316
III. Interest accrued	8357393	9209871
IV. Deferred Tax Liability	0	2007552
V. Others (including provisions)	8897575	10878430
TOTAL	20023692	25222233

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
	[Audited]	[Audited]
I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2524634	2507299
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	35372138	35718291
ii) in Other Account	5750000	0
TOTAL [I & II]	43646772	38225590

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.17	AS ON 31.03.16
	[Audited]	[Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		
a) in Current Accounts	311185	559486
b) in other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	0	7000000
b) with other institutions	0	1000000
SUB-TOTAL [I]	311185	8559486
II. Outside India		
i) In Current Accounts	1939808	2240633
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	1939808	2240633
TOTAL [I & II]	2250993	10800119

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 8 - निवेश	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.) भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	**212710502	**210920097
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	106863	106863
iii) शेयर	2310952	1344994
iv) डिबेंचर तथा बांड्स	60944401	62451034
v) सहायक इकाईयाँ, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	6537	6537
vi) अन्य		
क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	3324660	1476516
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड	81104	144333
उप-योग (I)	279485019	276450374
II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल योग (I+II)	279485019	276450374
सकल मूल्य	279976079	276933963
मूल्य ह्रास का प्रावधान (-)	491060	483589
निवल निवेश	279485019	276450374

** इनमें रु.1202.51 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु.1413.34 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु.1018.38 करोड़ (अंकित मूल्य रु.1042.68 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 9 - अग्रिम	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	3744960	3442908
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	192694025	211463237
iii) मीयादी ऋण	386906349	424254592
जोड़	583345334	639160737
ख) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित)	515478652	552458512
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	18279956	15894633
iii) प्रतिभूति रहित	49586726	70807592
जोड़	583345334	639160737
ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	213093499	208537378
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	70177428	102329140
iii) बैंक	517604	3500299
iv) अन्य	299556803	324793920
जोड़	583345334	639160737

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.17 [Audited]	AS ON 31.03.16 [Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities	**212710502	**210920097
ii) Other approved securities	106863	106863
iii) Shares	2310952	1344994
iv) Debentures & Bonds	60944401	62451034
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
vi) Others:		
a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	3324660	1476516
b) Units of UTI, other MF	81104	144333
SUB-TOTAL [I]	279485019	276450374
II. Investments outside India	Nil	Nil
TOTAL [I + II]	279485019	276450374
Gross Value	279976079	276933963
Provision for Depreciation [-]	491060	483589
Net Investments	279485019	276450374
** Includes encumbered securities of Rs.1202.51 crore [Face Value Rs.1413.34 crore] previous year Rs.1018.38 crore [Face Value Rs.1042.68 crore]		

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.17 [Audited]	AS ON 31.03.16 [Audited]
A i) Bills purchased & discounted	3744960	3442908
ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	192694025	211463237
iii) Term Loans	386906349	424254592
Total	583345334	639160737
B i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	515478652	552458512
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	18279956	15894633
iii) Unsecured	49586726	70807592
Total	583345334	639160737
C ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	213093499	208537378
ii) Public Sector	70177428	102329140
iii) Banks	517604	3500299
iv) Others	299556803	324793920
Total	583345334	639160737

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियाँ	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) परिसर		
परिसर का मूल्य (अथ शेष)	1154799	867252
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	9190459	8545280
उप- योग	10345258	9412532
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	1219	288923
पुनर्मूल्यन लागत पर	0	9190459
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	0	-1376
पुनर्मूल्यन लागत पर	0	-8545280
घटाएँ- अद्यतित दिनांक को मूल्यह्रास		
वास्तविक लागत पर	-346529	-287941
पुनर्मूल्यन लागत पर	-457395	-169064
जोड़ ।	9542553	9888253
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अथ शेष)	4139992	3801357
वर्ष के दौरान परिवर्धन	344040	394298
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56207	-57213
अद्यतन मूल्यह्रास	-3016091	-2692297
जोड़ 2	1411734	1446145
कुल जोड़ (1+2)	10954287	11334398

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. प्रोद्भूत ब्याज	4732624	5113047
II. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	600630	1828363
III. लेखन सामग्री और स्टाम्प	37290	41274
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
V. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2225706	0
VI. अन्य \$\$	39155716	42860284
जोड़	46751966	49842968

\$\$ आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि रु.2797.69 करोड़ (पिछले वर्ष यह रु.2978.07 करोड़ थी) सम्मिलित है।

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.17 [Audited]	AS ON 31.03.16 [Audited]
I. Premises		
Cost [Opening Balance]	1154799	867252
Appreciation in cost on account of revaluation	9190459	8545280
Sub-Total	10345258	9412532
Additions during the year		
Original Cost	1219	288923
Revaluation Cost	0	9190459
Deductions during the year on		
Original Cost	0	-1376
Revaluation Cost	0	-8545280
Less Depreciation to date on		
Original cost	-346529	-287941
Revaluation cost	-457395	-169064
Total-I	9542553	9888253
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
Cost [Opening Balance]	4139992	3801357
Additions during the year	344040	394298
Deductions during the year	-56207	-57213
Depreciation to date	-3016091	-2692297
Total II	1411734	1446145
TOTAL I & II	10954287	11334398

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.17 [Audited]	AS ON 31.03.16 [Audited]
I. Interest accrued	4732624	5113047
II. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	600630	1828363
III. Stationery & Stamps	37290	41274
IV. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
V. Deferred Tax asset (Net)	2225706	0
VI. Others \$\$	39155716	42860284
TOTAL	46751966	49842968

\$\$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.2797.69 crore [Previous Year Rs.2978.07 crore]

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची- 12 - आकस्मिक देयताएं	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	107686	30853
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	69492966	123302179
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
क) भारत में	24980662	21679075
ख) भारत के बाहर		
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1866905	1658383
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	848554	2574148
जोड़	97296773	149244638

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल	56814951	66553489
II. निवेशों पर आय	22555907	18965071
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	437301	216607
IV अन्य	1920560	1708242
जोड़	81728719	87443409

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 14 - अन्य आय	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	898565	810132
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	2619745	1401155
III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	-1860	397
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	325636	375701
V. विविध आय	1938896	2197472
जोड़	5780982	4784857

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 15 - अपचित ब्याज	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I जमाराशियों पर ब्याज	58214711	63123639
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	517674	658960
III अन्य	1402991	1902941
जोड़	60135376	65685540

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.17 [Audited]	AS ON 31.03.16 [Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	107686	30853
II. Liability for partly paid investments	0	0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	69492966	123302179
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	24980662	21679075
b) Outside India		
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1866905	1658383
VI. Other items for which the bank is contingently liable	848554	2574148
TOTAL	97296773	149244638

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.17 [Audited]	Year Ended 31.03.16 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	56814951	66553489
II. Income on investments	22555907	18965071
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	437301	216607
IV. Others	1920560	1708242
TOTAL	81728719	87443409

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.17 [Audited]	Year Ended 31.03.16 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	898565	810132
II. Profit on sale of Investments [net]	2619745	1401155
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	-1860	397
IV. Profit on exchange transactions [net]	325636	375701
V. Miscellaneous Income	1938896	2197472
TOTAL	5780982	4784857

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.17 [Audited]	Year Ended 31.03.16 [Audited]
I. Interest on deposits	58214711	63123639
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	517674	658960
III. Others	1402991	1902941
TOTAL	60135376	65685540

(000 को छोड़कर)

	रुपए	रुपए
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	9901435	8940267
II किराया, कर और रोशनी	1320205	1267535
III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	76218	88433
IV विज्ञापन और प्रचार	14843	14368
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	712925	626420
घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	288331	169064
	424594	457356
VI निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	3072	2714
VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	102987	93479
VIII विधि प्रभार	118386	175947
IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	100843	87772
X मरम्मत और अनुरक्षण	131711	123838
XI बीमा	863652	793475
XII अन्य व्यय	1897601	1798590
जोड़	14955547	13843774

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.17 [Audited]	Year Ended 31.03.16 [Audited]
I. Payments to and provisions for employees	9901435	8940267
II. Rent, taxes and lighting	1320205	1267535
III. Printing and stationery	76218	88433
IV. Advertisement & publicity	14843	14368
V. Depreciation on Bank's property	712925	626420
Less: Transfer from Revaluation Reserve	288331	169064
	424594	457356
VI. Directors' fees, allowances and expenses	3072	2714
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	102987	93479
VIII. Law Charges	118386	175947
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	100843	87772
X. Repairs & maintenance	131711	123838
XI. Insurance	863652	793475
XII. Other expenditure	1897601	1798590
TOTAL	14955547	13843774

अनुसूची - 17

प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राकल्लन का उपयोग

प्रबंधन को रिपोर्ट की गई विचाराधीन आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट किए गए आय तथा व्यय और वित्तीय विवरणियों की तिथि के अनुसार, को बनाने में अनुमान और कल्पना करनी पड़ती है। प्रबंधन विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को बनाने में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनियम दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनियम व्यापारी संघ (फ़ैडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनियम दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फ़ैडआई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फ़ैडआई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनियम लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख-पत्र का मूल्यांकन फ़ैडआई द्वारा वार्षिक संवर्ण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

- I. सरकारी प्रतिभूतियां
- II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- III. शेयर
- IV. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
- V. सहायक ईकाइयों/संयुक्त उपक्रम तथा
- VI. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

- I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- IV. निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

SCHEDULE 17**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. General****BASIS OF PREPARATION**

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - i. Government Securities
 - ii. Other approved securities
 - iii. Shares
 - iv. Debentures
 - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
 - vi. Others

3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

- 3.4 प्रतिभूतियां, जिन्हे “परिपक्वता तक रखना है” को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में “निवेशों पर आय” शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थाई तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
- 3.5 “बिक्री हेतु उपलब्ध” खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।
- 3.6 “व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों” का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 लेखा पद्धति - लेखा निपटान तिथि

लेखा निपटान तिथि का अभिप्राय (क) संस्था द्वारा प्राप्त की गई आस्ति जिस दिन इसकी पहचान हुई, और (ख) संस्था द्वारा इसके निस्तारण किए जाने वाले दिन पर होने वाले लाभ अथवा हानि की पहचान करना और आस्ति की पहचान समाप्त करना।

तदनुसार, संपूर्ण संविभाग के लिए बैंक लेखा निपटान तिथि का, एस.एल.आर. अथवा गैर एस.एल.आर. हेतु अनुपालन करता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति वर्ग के अनुसार आधारित है।

- 3.9 “बिक्री हेतु उपलब्ध” एवं “व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति” श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष “बाजार दर” निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है। अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्न है।:

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्ड्स पर लाभ:	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिम्डा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	इक्विटी शेयर्स	नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य आधार पर जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र पुनः पूँजीगत बाण्ड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान:	शुद्ध लागत पर।

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

- 3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, “परिपक्वता तक रखना” श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूँजी में विनियोजित किया गया है।

3.12 अनर्जक निवेश:

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

- 3.13 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments— Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 Method of Accounting – Settlement Date Accounting

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the derecognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

- 3.9 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities: and State Government securities.	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

- 3.10 In determining acquisition cost of investments:
- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
 - Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
 - Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.
- 3.11 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.
- 3.12 **Non Performing Investments**
- In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.
- 3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.14 यदि किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों पर किसी भी वर्ष में मूल्य-ह्रास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातों में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातों – "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया है:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर-आरक्षित ऋणों का 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य, ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात् बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बड़े खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बड़े खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती है:-

- जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
- यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किया जाता है।
- यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों को अलग से निर्माण और उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थायी प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियां:

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पुनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास:

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है:

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

- 3.14 In the event, provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. Advances

- 4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

- * Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.
- 4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.
- 4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.
- 4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.
- 4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-
- When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
 - If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
 - If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6. Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7. Depreciation on Fixed Assets

- 7.1 Depreciation is provided for on -

- 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

7.1.2 आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्रित मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटवाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

8.4 भा.रि. बैंक द्वारा शुरु की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मामलों हेतु अर्थात् दबाव में आस्तियों की धारणीय भुगतान की अनुसूची पुनः बनाने की योजना (एस4ए), नीतिगत ऋण पुनःसंरचना, लंबी अवधि के परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनःसंरचना योजना के बाहर), जहाँ उसके बाद खाता अनर्जक हो जाता है, तो किसी भी वसूली को पहले ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाएगा। उसके बाद वसूली को खाते में बकाया मूल धन में समायोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आ रहे सभी खातों में लेखा प्रक्रिया एक समान एक सी बनी रहेगी।

8.5 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण, म्यूचुअल फंड उत्पाद के यूनितों की आय तथा ए.टी.एम. परिचालन शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

8.7 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.9 टीयर – II पूँजी में उन्मूलन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8.10 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ:

9.1 ग्रेच्युटी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।

9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का ह्रास

स्थायी आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई है) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों का ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ एवं हानि खाते को नामे की जाती है।

11. आय पर कर:

11.1 चालू आय कर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

11.2 ए.एस. 22 – आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.

7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8. Revenue Recognition

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.

8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9. Staff Retirement Benefits

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11. Taxes on Income

11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर. डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान, जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 31.03.2017 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
- 1.3 ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है, तो नगण्य होगा।

- 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30.09.2016 की अवधि तक तथा 31.03.2017 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक के अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

अंतर्शाखा खाता में निवल जमा है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- 1.5 बकाया नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.70 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.78 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 4.81 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 4.75 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।
- 2.1 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. 193.35 लाख की वास्तविक लागत की बैंक की संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 6 संपत्तियां 4.17 करोड़ की थीं)

3. पूंजी

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2016-17	2015-16
(i)	सी.आर.ए.आर. टीयर-1 पूंजी (बासल-II)	8.40%	8.77%
(ii)	सी.आर.ए.आर. टीयर-II पूंजी (%) (बासल- II)	3.17%	2.98%
(iii)	कुल सी.आर.ए.आर. (बासल- II)	11.57%	11.75%
(iv)	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (बासल-III)	9.14%	9.29%
(v)	अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी अनुपात (बासल-III)	0.00%	0.00%
(vi)	सी.आर.ए.आर.-टीयर-1 पूंजी अनुपात (बासल III)	9.14%	9.29%
(vii)	सी.आर.ए.आर.-टीयर-II पूंजी अनुपात (बासल III)	1.91%	1.62%
(viii)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (बासल-III)	11.05%	10.91%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की प्रतिशतता	79.62%	79.62%
(x)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	180
(xi)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पी.एन.सी.पी.एस.: आई.पी.डी.आई.:	शून्य शून्य	शून्य शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर-II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखत अधिमानी शेयर पूंजी लिखत बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर(आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर(आरसीपीएस)	500.00 500.00 शून्य	शून्य शून्य शून्य

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation.

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.03.2017 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2016 and remained outstanding as on 31.03.2017 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- 1.5 Aggregate net credit position in respect of outstanding NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs. 3.70 Crores (previous year Rs 3.78 Crores) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs. 1.77 Crores for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs. 4.81 Crores (previous year Rs.4.75 Crores) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.
- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of 3 Bank's properties having original cost of Rs.193.35 Lacs as on 31.03.2017 (Previous year 6 properties costing Rs.4.17 crore).

3. Capital

(Rupees. in crore)

Items		2016-17	2015-16
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.40%	8.77%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	3.17%	2.98%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	11.57%	11.75%
(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	9.14%	9.29%
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	0.00%	0.00%
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	9.14%	9.29%
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	1.91%	1.62%
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	11.05%	10.91%
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	79.62%	79.62%
(x)	Amount of equity capital raised	NIL	NIL
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	NIL NIL	NIL NIL
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	500.00 500.00 NIL	NIL NIL NIL

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

मर्दे		2016-17	2015-16
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	27997.61	27693.40
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)		
	(क) भारत में	49.11	48.36
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	27948.50	27645.04
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)		
(i)	अथ शेष	48.36	39.99
(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	32.36	44.10
(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बड़े खाते में डालना/पुनरांकन	31.61	35.73
(iv)	ह्रास	49.11	48.36

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.2.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन प्रविष्टियों (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2017 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	1065	62.42	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	4575	451.61	575

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन प्रविष्टियों (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2017
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

	2016-17	2015-16
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य	शून्य

4. Investments

4.1 Value of Investments

(Rupees in crore)

Items			2016-17	2015-16
(1)	(i)	Gross Value of Investments		
	(a)	In India	27997.61	27693.40
	(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)		
	(a)	In India	49.11	48.36
	(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments		
	(a)	In India	27948.50	27645.04
	(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)			
	(i)	Opening balance	48.36	39.99
	(ii)	Add: Provisions made during the year	32.36	44.10
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	31.61	35.73
	(iv)	Closing balance	49.11	48.36

4.2 Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)

4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2017
Securities sold under Repos	-	1065	62.42	NIL
Securities purchased under Reverse Repos	-	4575	451.61	575

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2017
Securities sold under Repos	-	-	-	-
Securities purchased under Reverse Repos	-	-	-	-

4.3 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :

	2016-17	2015-16
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	NIL	NIL
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	NIL	NIL

4.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची: 31.03.2017 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रु. करोड़ में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापना की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
1)	2	3	4	5	6	7
i.	सार्वजनिक उपक्रम	5536.11	5575.53	0	5452.41	1277.68
ii.	वित्तीय संस्थान	180.91	39.60	0	47.12	14.60
iii.	बैंक	444.09	106.00	0	5.62	332.47
iv	निजी कम्पनी	545.73	407.60	0	186.27	133.11
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	0	0.65	0.65
vi.	अन्य	8.39	7.89	0	0	7.89
vii.	मूल्यह्रास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	-49.11				
	कुल*	6666.77				

नोट: *कॉलम 3 का जोड़ तुलन-पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के जोड़ से मेल खाना चाहिए :

क. शेयर

ख. डिबेंचर व बॉण्ड

ग. सहायक/संयुक्त उपक्रम

घ. अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य न हो।

4.5 अनुप्रयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
अथ शेष	56.26	53.91
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.94	36.57
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	26.35	34.22
इति शेष	30.85	56.26
कुल प्रावधान	24.43	43.06

4.6 व्युत्पत्तियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेन-देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज-दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेन-देन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 916 करोड़ की (अंकित मूल्य) परिपक्वता तक रखने से बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी में प्रतिभूतियों को अंतरित किया है।

4.4 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2017

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	5536.11	5575.53	0	5452.41	1277.68
ii.	FIs	180.91	39.60	0	47.12	14.60
iii.	Banks	444.09	106.00	0	5.62	332.47
iv.	Private Corporate	545.73	407.60	0	186.27	133.11
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	0	0.65	0.65
vi.	Others	8.39	7.89	0	0	7.89
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	-49.11				
	Total *	6666.77				

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

- a) Shares
- b) Debentures & Bonds
- c) Subsidiaries / joint ventures
- d) Others

(2) Amounts reported under column 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance	56.26	53.91
Additions during the year	0.94	36.57
Reductions during the year	26.35	34.22
Closing balance	30.85	56.26
Total Provisions held	24.43	43.06

4.6 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2016-17. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.7 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

- 4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs. 916 crore (face value) from "Held till Maturity" to "Available for Sale Category".

4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी का/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

5 आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुप्रयोज्य आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2016-17	2015-16
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	7.51	4.62
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	46.69	48.26
(iii)	सकल एनपीए में घट-बढ़		
	(क) अथ शेष	4229.05	3082.19
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2900.06	1959.92
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	831.52	813.06
	(घ) इति शेष	6297.59	4229.05
(iv)	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	2949.47	2266.00
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2381.90	1557.02
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	956.29	873.55
	(घ) इति शेष	4375.08	2949.47
(v)	एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	1266.71	792.02
	(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	1135.20	854.74
	(ग) घटा: अधिक किए प्रावधानों को बड़े खाते डालना/पूर्णांकन	518.98	380.05
	(घ) इति शेष	1882.93	1266.71

5.2 डी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

5.3 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए प्रावधानन में अंतर

(रु हजार में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	दिनांक 31.03.2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	42290504
2	दिनांक 31.03.2016 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किया गया सकल एनपीए	47676504
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	5386000
4	दिनांक 31.03.2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	29494684
5	दिनांक 31.03.2016 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किया गया निवल एनपीए	32541684
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	3047000
7	दिनांक 31.03.2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	12667109
8	दिनांक 31.03.2016 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	15006109
9	प्रावधानन में अंतर (8-7)	2339000
10	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ (पीएटी)	3359724
11	प्रावधानन में अंतर को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद समायोजित (अनुमानिक) शुद्ध लाभ	1020724

* 31 मार्च, 2016 संदर्भित अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में अंतरों का निर्धारण किया गया।

- 4.9 The value of shifting/ sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items		2016-17	2015-16
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	7.51	4.62
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	46.69	48.26
(iii)	Movement of Gross NPAs		
(a)	Opening Balance	4229.05	3082.19
(b)	Additions during the year	2900.06	1959.92
(c)	Reductions during the year	831.52	813.06
(d)	Closing balance	6297.59	4229.05
(iv)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	2949.47	2266.00
(b)	Additions during the year	2381.90	1557.02
(c)	Reductions during the year	956.29	873.55
(d)	Closing balance	4375.08	2949.47
(v)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening Balance	1266.71	792.02
(b)	Add: provisions made during the year	1135.20	854.74
(c)	Less: write off, write back of excess provisions	518.98	380.05
(d)	Closing balance	1882.93	1266.71

- 5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

- 5.3 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Rs in thousands)

Sr.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2016* as reported by the bank	42290504
2	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	47676504
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	5386000
4	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	29494684
5	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	32541684
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	3047000
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	12667109
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	15006109
9	Divergence in provisioning (8-7)	2339000
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	3359724
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	1020724

* March 31, 2016 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed

5.4 पुनर्संचित किए गए खातों का विवरण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक																		
31.03.2017 को पुनः संरचित खातों का प्रकीर्ण																		
(राशि करोड़ों में)																		
क्र. सं.	पुनः संरचना का प्रकार	सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था				एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनः संरचना व्यवस्था				अन्य				कुल				
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल		
आस्टि वर्गीकरण																		
विवरण																		
1.	वित्तीय-वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	ऋणियों की सं.	6		1	7	103						103	127			1	237
		बकाया राशि	565.01		1.48	586.49	34.66						34.66	3418.21			21.48	4039.36
		प्रावधान	32.45		1.13	33.58	2.42						2.42	188.08			1.13	224.08
2.	वर्ष के दौरान नए पुनः संरचित खाते	ऋणियों की सं.												4				4
		बकाया राशि												352.91				352.91
		प्रावधान												17.51				17.51
3.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक का उन्नयन	ऋणियों की सं.																
		बकाया राशि																
		प्रावधान																
4.	अग्रिम पुनः संरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा / या वित्त-वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त-वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनःसंरचित मानक को दिखाने की आवश्यकता नहीं है	ऋणियों की सं.					59					59	83			83	142	142
		बकाया राशि					6.36					6.36	151.33			151.33	157.69	157.69
		प्रावधान					0.11					0.11	0.08			0.08	0.19	0.19
5.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का उन्नयन	ऋणियों की सं. (-)	4		1	5	25					25	23			23	52	53
		बकाया राशि (-)	545.24		19.93	565.17	7.23					7.23	496.31			496.31	1048.87	1068.71
		प्रावधान (-)	144.78		7.97	152.75	1.09					1.09	83.43			83.43	229.30	237.27
6.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की अपरलिखित	ऋणियों की सं.					15					15	7			7	22	22
		बकाया राशि	-57.88		1.55	-56.33	3.84					3.84	1731.72			1731.72	1677.68	1679.23
		प्रावधान																
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खाते (अंतिम आंकड़े,*)	ऋणियों की सं.	2			2	4					4	18			18	24	24
		बकाया राशि	77.65			77.65	17.23					17.23	1391.76			1391.76	1391.76	1486.64
		प्रावधान	10.41			10.41	1.31					1.31	131.68			131.68	143.40	143.40

5.4 Details of Accounts Restructured:

STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2016																					
Sl. No.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				TOTAL						
	Asset Classification →		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Total			
	Details ↓																				
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*		No. of Borrower	6	1	7	103					103	127					127	236	1	237
	Amt.O/s		565.01		21.48	586.49	34.66					34.66	3418.21					3418.21	4017.88	21.48	4039.36
	Prov. thereon		32.45		1.13	33.58	2.42					2.42	188.08					188.08	222.95	1.13	224.08
2	Fresh Restructuring during the year		No. of Borrower										4					4	4		4
	Amt.O/s												352.91					352.91	352.91		352.91
	Prov. thereon												17.51					17.51	17.51		17.51
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY		No. of Borrower																		
	Amt.O/s																				
	Prov. thereon																				
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY		No. of Borrower				59					59	83					83	142		142
	Amt.O/s						6.36					6.36	151.33					151.33	157.69		157.69
	Prov. thereon						0.11					0.11	0.08					0.08	0.19		0.19
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY		No. of Borrower(-)	4	1	5	25					25	23					23	52	1	53
	Amt.O/s (-)		545.24		19.93	565.17	7.23					7.23	496.31					496.31	1048.78	19.93	1068.71
	Prov. Thereon (-)		144.78		7.97	152.75	1.09					1.09	83.43					83.43	229.30	7.97	237.27
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY		No. of Borrower				15					15	7					7	22		22
	Amt.O/s (-)		-57.88		1.55	-56.33	3.84					3.84	1731.72					1731.72	1677.68	1.55	1679.23
7	Restructured accounts as on Mar'31 of the FY (Closing figures*)		No. of Borrower	2		2	4					4	18					18	24		24
	Amt.O/s		77.65			77.65	17.23					17.23	1391.76					1391.76	1486.64		1486.64
	Prov. thereon		10.41			10.41	1.31					1.31	131.68					131.68	143.40		143.40

5.5 वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना को लागू करना

(रु. करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की भारित औसत जोखिम अवधि	
		मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पूर्व	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
विगत वित्तीय वर्ष (2015-16)	9	785.46	761.54	8.72	19.34
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17	2	271.16	.	10.77	18.74

5.6 अनुकूल ऋण पुनः संरचना योजना (खाते जो वर्तमान में जकड़ी हुई अवधि में हैं)

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर को इनवोक किया गया	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
3 (*)	233.21	—	—	—	233.21	
1	—	110.17	—	110.17	—	

* वित्तीय वर्ष 2016-17 में तीन खातों में से दो खाते परिशिष्ट एए-1 (लचीला) में भी सम्मिलित हैं

5.7 एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू कर दिया गया है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ प्रवर्तकों की ईक्विटी की बिक्री या जारी किए गए नए शेयरों से स्वामित्व में परिवर्तन उल्लिखित है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
4	238.18							

5.8 दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनः संरचना हेतु योजना (एस4ए)

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रावधान
		पार्ट A में	पार्ट B में	
मानक वर्गीकृत 2 (*)	289.78			
एनपीए वर्गीकृत	—			

* वित्तीय वर्ष 2015-16 में, यह खाते अनुबंध 11-1 (लचीला संरचना) में सम्मिलित हैं।

5.5 Application of Flexible Structuring to Existing Loans

(Amt. in INR Crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year (2015-16)	9	785.46	761.54	8.72	19.34
Current Financial Year (2016-17)	2	271.16	-	10.77	18.74

5.6 Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Amt. in INR Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
3 (*)	233.21	-	-	-	233.21	
1	-	110.17	-	110.17	-	

(*) Out of 3 accounts two accounts are also included in appendix AA-1 (flexible) in FY 2016-17.

5.7 Change in Ownership outside SDR Scheme

(Amt. in INR Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
4	238.18							

5.8 Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

(Amt. in INR Crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard – 2 (*)	289.78			
Classified as NPA	-			

* These accounts were also included in appendix AA-1 (flexible structuring) in FY 2015-16.

5.9 क. आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2016-17	2015-16
(i)	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

ख. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2016-17	2015-16
(i)	बैंक द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	0.00001	0.00001
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संगठनों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां		
	कुल	0.00001	0.00001

5.10 खरीदी/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) क्रय की गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2016-17	2015-16
1.	क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2016-17	2015-16
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.11 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

मर्दे	2016-17	2015-16
मानक आस्तियों पर प्रावधान	375.87	466.25
अंकित मूल्य में छस हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	45.62	94.43

5.12 धोखाधड़ी संबंधी खातों में प्रावधान

(रु. करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	सम्मिलित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित राशि	आज की तिथि में अपरिशोधित राशि
2016-17*	16	17878.29	17876.29	शून्य	शून्य
2015-16#	12	13193.85	13066.72	शून्य	शून्य

* वर्ष 2016-17 में वसूली गई राशि रु. 2.06

दिनांक 31.03.2017 तक वसूली गई राशि रु. 4.92

धोखाधड़ी राशि में सम्मिलित मेमोरेन्डा ब्याज रु. 122.21

5.9 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction**A. Details of Sales**

(Rupees in crore)

Item		2016-17	2015-16
(i)	Number of Accounts	Nil	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	Nil

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Rupees in crore)

Item		2016-17	2015-16
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	0.00001	0.00001
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	-	-
	Total	0.00001	0.00001

5.10 Details of non-performing financial assets purchased / sold:**A. Details of non-performing financial assets purchased:**

(Rupees in crore)

Particulars			2016-17	2015-16
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars			2016-17	2015-16
1.	No. of accounts sold		Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding		Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received		Nil	Nil

5.11 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item		2016-17	2015-16
Provisions towards Standard Assets		375.87	466.25
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances		45.62	94.43

5.12 Provisioning pertaining to Fraud Accounts

(Rs in Lakhs)

Year	No of Frauds Reported	Amount Involved	Provision made	Unamortized Amount	Unamortized Amount As on Date
2016-17*	16	17878.35	17876.29	Nil	Nil
2015-16#	12	13193.85	13066.72	Nil	Nil

* Amount Recovered in 2016-17 Rs. 2.06

Amount Recovered upto 31/03/2017 Rs. 4.92

Memoranda Interest included in Fraud Amount- Rs. 122.21

6. कारोबार अनुपात

	मर्दे	2016-17	2015-16
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	8.17%	8.91%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.58%	0.49%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.24%	1.29%
(iv)	आस्तियों से आय	0.20%	0.34%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ+अग्रिम)	15.34	16.20
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोड़ में)	0.02	0.04

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2017 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियाँ	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियाँ
1 दिन	4358.68	988.03	0	0.00	23.50	228.86
2-7 दिन	7495.43	1698.49	108.90	1199.43	2.87	13.83
8-14 दिन	3353.58	214.45	-	0.00	3.26	14.61
15-30 दिन	5142.02	294.87	-	0.00	13.47	45.70
31 दिन से 2 माह तक	7122.20	830.36	-	0.00	22.28	69.25
2 माह से 3 माह तक	5351.06	1072.02	31.00	0.00	10.48	66.82
3 माह से अधिक व 6 माह तक	11051.15	3282.42	30.10	0.00	28.44	33.68
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	12946.82	6014.54	751.98	0.00	54.67	18.16
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	13638.52	10571.94	4704.98	84.00	216.61	0
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	7675.98	12877.55	2600.96	0.00	12.09	192.60
5 वर्ष से अधिक	7404.72	20489.86	19720.59	0.00	0	0
कुल	85540.16	58334.53	27948.51	1283.43	387.67	683.50

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2017	31.03.2016
1)	प्रत्यक्ष जोखिम		
	(क) रिहायशी बंधक		
	i. ऐसी संपत्तियाँ जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई है, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	4660.22	4054.43
	ii. व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	3610.07	3303.84
	(ख) व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहु-आयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.)के ऋण भी शामिल हैं।	4623.82	3441.81
	(ग) बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क. रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख. व्यावसायिक-वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष ऋण {राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण}	4549.34*	5378.66*
वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी		13833.38	12874.91

*एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 529.81 करोड़ के निवेश शामिल हैं।

6 Business Ratios

Items		2016-17	2015-16
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	8.17%	8.91%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.58%	0.49%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.24%	1.29%
(iv)	Return on Assets	0.20%	0.34%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	15.34	16.20
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	0.02	0.04

7. Asset Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2017:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	4358.68	988.03	0	0.00	23.50	228.86
2 – 7 days	7495.43	1698.49	108.90	1199.43	2.87	13.83
8 – 14 days	3353.58	214.45	-	0.00	3.26	14.61
15 - 30 days	5142.02	294.87	-	0.00	13.47	45.70
31 days to 2 months	7122.20	830.36	-	0.00	22.28	69.25
Over 2 months & up to 3 months	5351.06	1072.02	31.00	0.00	10.48	66.82
Over 3 months & up to 6 months	11051.15	3282.42	30.10	0.00	28.44	33.68
Over 6 months & up to 1 year	12946.82	6014.54	751.98	0.00	54.67	18.16
Over 1 year & up to 3 years	13638.52	10571.94	4704.98	84.00	216.61	0
Over 3 years & up to 5 years	7675.98	12877.55	2600.96	0.00	12.09	192.60
Over 5 years	7404.72	20489.86	19720.59	0.00	0	0
Total	85540.16	58334.53	27948.51	1283.43	387.67	683.50

8. Exposures :

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

Category		31.03.2017	31.03.2016
1)	Direct Exposure		
	(a) Residential Mortgages		
	i. Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	4660.22	4054.43
	ii. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	3610.07	3303.84
	(b) Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	4623.82	3441.81
	(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
	a. Residential	NIL	NIL
	b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	4549.34*	5378.66*
Total Exposure to Real Estate Sector		13833.38	12874.91

* includes Rs. 529.81 crore by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 पूँजी बाजार में ऋण भागीदारी (एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

मर्दे		31.03.2017	31.03.2016
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनितों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	90.82	94.77
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों ध्वाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	शून्य	शून्य
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहाँ अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	शून्य	शून्य
4.	अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहाँ पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण-पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	7.28	9.60
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण-पत्रों या अन्य प्रतिभूतियाँ या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूँजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	7.88	8.96
पूँजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी		105.98	113.33

8.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनियम लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा अतिक्रमण की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा का निम्न मामलों के अतिरिक्त, जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, अतिक्रमण नहीं किया है:

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम(%)	31.03.2017 को ऋण सीमा/ देयताएं	ऋण जोखिम (%)
1.	यस बैंक-आईबीपीसी (एसजीएल)-सितम्बर, 2016	2000.00	31.27	शून्य	
2.	यस बैंक-दिसम्बर, 2016	2000.00	31.27	1153.38	18.04
3.	यस बैंक-आईबीपीसी (एसजीएल)-जनवरी, 2017	2000.00	31.27	1160.13	18.14
4.	यस बैंक-आईबीपीसी (एसजीएल)-मार्च, 2017	2000.00	31.27	717.03	11.21
5.	आईएल-एफएस समूह (जीबीएल)-सितम्बर, 2017	2850.00	44.57	2707.37	42.34
6.	आईएल-एफएस समूह (जीबीएल)-जनवरी, 2017				

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

Items		31.03.2017	31.03.2016
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	90.82	94.77
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	NIL	NIL
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	7.28	9.60
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	NIL	NIL
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	7.88	8.96
Total Exposure to Capital Market		105.98	113.33

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2016-17, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board:

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.17	Exposure (%) (of capital fund of Rs.6395 Cr.)
1.	Yes Bank-IBPC (SGL)- Sep,2016	2000.00	31.27	NIL	
2.	Yes Bank – Dec. 2016	2000.00	31.27	1153.38	18.04
3.	Yes Bank – IBPC (SGL) – Jan, 2017	2000.00	31.27	1160.13	18.14
4.	Yes Bank – IBPC (SGL) – Mar,2017	2000.00	31.27	717.03	11.21
5.	IL&FS Group (GBL) – Sep, 2016	2850.00	44.57	2707.37	42.34
6.	IL&FS Group (GBL) – Jan,2017				

8.5 अमूर्त संपादित्वक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति रहित अग्रिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसें आदि पर ऋण भार	224.31	284.87
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसें पर ऋण भार	128.50	284.87

8.6 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी)

भा.रि. बैंक द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रु. 3030.54 करोड़ का जोखिम बॉटने के आधार पर अधिकतम 180 दिन के लिए अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी किया गया है जिसके कारण कुछ सीमा तक दिनांक 31.03.2017 को बैंक के कुल अग्रिम उस सीमा तक कम हो गए हैं।

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्ड का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2016-17	2015-16
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	शून्य	शून्य

9.2 बैंकेशोरेसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2016-17	2015-16
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	0.98	1.21
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	0.12	0.15

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एस)

10.1 एस-5 अवधि के लिए निवल लाभ-हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 एस -6 मूल्यद्वय लेखांकन

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों के लिए कुल मूल्यद्वय का ब्रेक-अप

(रु. करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी	2016-17	2015-16
परिसर	36.60	21.75
अन्य स्थायी आस्तियाँ	34.69	40.89
कुल	71.29	62.64

10.3 एस-9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संख्या 8 (राजस्व मान्यता) में प्रकट मदों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त आय को ठोस न माना जाए।

10.4 एस 15 - कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस-15) के आधार पर किया गया है।

10.4.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	224.31	284.87
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	128.50	284.87

8.6 Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC)

In terms of RBI Guidelines DBOD No. BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC) of Rs. 3030.54 crore has been issued on risk sharing basis for maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's Total Advances as on 31.03.2017 to same extent.

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rs. in crore)

	2016-17	2015-16
A. Penalty imposed by RBI on Bank	NIL	NIL
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	NIL	NIL

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. In crore)

	2016-17	2015-16
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	0.98	1.21
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	NIL	NIL
C. UTI Mutual Fund Business	0.12	0.15

10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)**10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies**

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 AS-6 Depreciation Accounting

Break-up of total depreciation for each class of assets

(Rs. In crore)

Class of Assets	2016-17	2015-16
Premises	36.60	21.75
Other Fixed Assets	34.69	40.89
Total	71.29	62.64

10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – “Revenue Recognition” of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 AS 15 - Employees Benefit

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI.

10.4.2 The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		वैच्युटी (निधिक)		छुटी नकदीकरण (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	2727.92	2537.12	232.58	240.28	117.40	144.73
ब्याज लागत	193.79	190.03	14.96	16.17	7.32	9.44
वर्तमान सेवा लागत	219.31	205.27	12.14	13.20	3.32	13.75
प्रदत्त लाभ	(288.06)	(323.64)	(66.12)	(76.45)	(39.66)	(53.40)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	188.14	119.14	36.69	39.39	17.49	2.88
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	3041.10	2727.92	230.25	232.58	105.87	117.40

10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		वैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	2580.72	2517.42	197.83	237.39	116.97	144.04
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	220.65	224.05	17.11	21.13	10.53	12.96
नियोक्ता अंशदान	345.42	166.44	58.07	17.89	16.25	13.19
घटाएं प्रदत्त लाभ	(288.06)	(323.64)	(66.12)	(76.45)	(39.66)	(53.40)
बीमांकिक (हानि)/लाभ	122.27	(3.55)	1.75	(2.13)	0.77	0.18
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	2981.00	2580.72	208.64	197.83	104.86	116.97
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	342.92	220.50	18.86	19.00	11.30	13.14

10.4.5 शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		वैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) दायित्व (ए)	188.14	119.14	36.69	39.39	17.49	2.89
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(122.27)	3.55	(1.75)	2.13	(0.77)	(0.17)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	65.87	122.69	34.94	41.52	16.72	2.72
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	65.87	122.69	34.94	41.52	16.72	2.72
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4.3 Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	2727.92	2537.12	232.58	240.28	117.40	144.73
Interest cost	193.79	190.03	14.96	16.17	7.32	9.44
Current service cost	219.31	205.27	12.14	13.20	3.32	13.75
Benefits paid	(288.06)	(323.64)	(66.12)	(76.45)	(39.66)	(53.40)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	188.14	119.14	36.69	39.39	17.49	2.88
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	3041.10	2727.92	230.25	232.58	105.87	117.40

10.4.4 Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Fair value of Plan Assets as at 1st April	2580.72	2517.42	197.83	237.39	116.97	144.04
Expected return of Plan Assets	220.65	224.05	17.11	21.13	10.53	12.96
Contributions	345.42	166.44	58.07	17.89	16.25	13.19
Benefits paid	(288.06)	(323.64)	(66.12)	(76.45)	(39.66)	(53.40)
Actuarial gain/(loss)	122.27	(3.55)	1.75	(2.13)	0.77	0.18
Fair value of Plan Assets as at 31st March	2981.00	2580.72	208.64	197.83	104.86	116.97
Actual return on Plan Assets	342.92	220.50	18.86	19.00	11.30	13.14

10.4.5 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	188.14	119.14	36.69	39.39	17.49	2.89
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	(122.27)	3.55	(1.75)	2.13	(0.77)	(0.17)
Net Actuarial loss/(gain)	65.87	122.69	34.94	41.52	16.72	2.72
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	65.87	122.69	34.94	41.52	16.72	2.72
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.4.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	3041.10	2727.92	230.25	232.58	105.87	117.40
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2981.00	2580.72	208.64	197.83	104.86	116.97
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(60.10)	(147.20)	(21.61)	(34.75)	(1.01)	(0.43)
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(0.57)
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(60.10)	(147.20)	(21.61)	(34.75)	(1.01)	(1.00)

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
चालू सेवा लागत	219.31	205.27	12.14	13.20	3.32	13.74
ब्याज लागत	193.79	190.03	14.96	16.16	7.32	9.44
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(220.65)	(224.05)	(17.11)	(21.13)	(10.53)	(12.96)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ)/हानि	65.87	122.69	34.94	41.52	16.72	2.70
शुद्ध (लाभ) व्यय	258.32	293.94	44.93	49.75	16.83	12.93

10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियाँ	147.20	19.70	34.75	2.89	1.00	0.69
शुद्ध लाभ व्यय	258.32	293.94	44.93	49.75	16.83	12.93
घटाएं – दिया गया अंश	345.42	166.44	58.07	17.89	16.25	13.19
अन्तिम देयता/आस्तियाँ	60.10	147.20	21.61	34.75	1.58	0.43
जोड़ें – किए गए उच्च वधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.57	0.57
अन्तिम देयता/आस्तियाँ	60.10	147.20	21.61	34.75	1.01	1.00

10.4.6 Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	3041.10	2727.92	230.25	232.58	105.87	117.40
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	2981.00	2580.72	208.64	197.83	104.86	116.97
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(60.10)	(147.20)	(21.61)	(34.75)	(1.01)	(0.43)
Higher Provisioning kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	(0.57)
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(60.10)	(147.20)	(21.61)	(34.75)	(1.01)	(1.00)

10.4.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Current service cost	219.31	205.27	12.14	13.20	3.32	13.74
Interest cost	193.79	190.03	14.96	16.16	7.32	9.44
Expected return on plan assets	(220.65)	(224.05)	(17.11)	(21.13)	(10.53)	(12.96)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	65.87	122.69	34.94	41.52	16.72	2.70
Net (benefit)/ expense	258.32	293.94	44.93	49.75	16.83	12.93

10.4.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Opening net Liability/(Asset)	147.20	19.70	34.75	2.89	1.00	0.69
Net benefit expense	258.32	293.94	44.93	49.75	16.83	12.93
Less: Contribution paid	345.42	166.44	58.07	17.89	16.25	13.19
Closing liability/(Asset)	60.10	147.20	21.61	34.75	1.58	0.43
Add: Higher Provisioning Kept/(Adjusted)	Nil	Nil	Nil	Nil	0.57	0.57
Closing liability/(Asset)	60.10	147.20	21.61	34.75	1.01	1.00

10.4.9 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	14.84	14.82	1.56	3.08	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	33.94	37.41	--	---	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बांड्स	35.22	36.91	28.61	38.37	शून्य	शून्य
विशेष जमा योजनाएं	16.00	10.86	69.83	58.55	100	100
अन्य निवेश	10.86	9.40	58.55	51.85	100	100

10.4.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
बढ़ा दर	7.50	8.00	7.50	8.00	7.50	8.00
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.55	8.90	8.65	8.90	9.00	9.00
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बढ़ा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बढ़ा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे श्रमिक बाजार में मांग तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण*		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ*		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
देयता का वर्तमान मूल्य	6.90	8.69	1.07	0.88	0.61	0.60	1.70	2.01
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	0.09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	6.90	8.69	1.07	0.97	0.61	0.60	1.70	2.01

* प्रबंधन द्वारा निर्धारित

10.4.9 Investment percentage maintained by the trust

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Central Government Securities	14.84	14.82	1.56	3.08	Nil	Nil
State Government Securities	33.94	37.41	--	---	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	35.22	36.91	28.61	38.37	Nil	Nil
Other investments	16.00	10.86	69.83	58.55	100	100

10.4.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Discount rate	7.50	8.00	7.50	8.00	7.50	8.00
Expected rate of return on plan assets	8.55	8.90	8.65	8.90	9.00	9.00
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Present Value of Obligation	6.90	8.69	1.07	0.88	0.61	0.60	1.70	2.01
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	0.09	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	6.90	8.69	1.07	0.97	0.61	0.60	1.70	2.01

* As assessed by the management

10.5 लेखामानक - 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

(रु. लाखों में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	251756	203663
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	411907	507528
ग. फुटकर बैंकिंग	211324	210955
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	110	136
कुल	875097	922282
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	63110	28167
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	64874	91298
ग. फुटकर बैंकिंग	33283	37948
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	110	136
कुल	161377	157549
3. गैर-आबंटित व्यय	37189	30560
4. परिचालन लाभ	124188	126989
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	99141	77149
6. आयकर	4939	16243
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	20108	33597
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियाँ		
क. राजकोष	2837592	2810883
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4473607	5212326
ग. फुटकर बैंकिंग	2295139	2166510
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियाँ	58006	68423
कुल आस्तियाँ	9664344	10258142
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2671952	2657699
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4212468	4928270
ग. फुटकर बैंकिंग	2161164	2048442
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियाँ	4513	26709
कुल आस्तियाँ	9050097	9661120

नोट: मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि क. राजकोष परिचालन ख. कारपोरेट/थोक बैंकिंग ग. फुटकर बैंकिंग घ. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

कार्पोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.5 AS 17 – Segment Reporting

Part A : Business Segment :

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Year ended 31.03.17 (Audited)	Year ended 31.03.16 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	251756	203663
b) Corporate/ Wholesale Banking	411907	507528
c) Retail Banking	211324	210955
d) Other Banking Operations	110	136
Total	875097	922282
2. Segment Result		
a) Treasury	63110	28167
b) Corporate/ Wholesale Banking	64874	91298
c) Retail Banking	33283	37948
d) Other Banking Operations	110	136
Total	161377	157549
3. Unallocated Expenses	37189	30560
4. Operating Profit	124188	126989
5. Provisions & Contingencies	99141	77149
6. Income Tax	4939	16243
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	20108	33597
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2837592	2810883
b) Corporate/ Wholesale Banking	4473607	5212326
c) Retail Banking	2295139	2166510
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	58006	68423
Total Assets	9664344	10258142
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2671952	2657699
b) Corporate/ Wholesale Banking	4212468	4928270
c) Retail Banking	2161164	2048442
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	4513	26709
Total Liabilities	9050097	9661120

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

(1)	श्री जतिंदरबीर सिंह	दिनांक 04.02.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(2)	श्री मुकेश कुमार जैन	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक
(3)	श्री अरविन्द कुमार जैन	दिनांक 15.12.2015 से कार्यकारी निदेशक और दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो गए।
(4)	श्री फरीद अहमद	दिनांक 17.02.2017 से कार्यकारी निदेशक

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रु. लाखों में

नाम एवं पदनाम	2016-17	2015-16
श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28.02	20.88
श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	23.61	17.87
श्री अरविन्द कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	19.33	5.05
श्री फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक	2.57	

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	दिनांक 31.03.2017	दिनांक 31.03.2016
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम - सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस-18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

10.7 प्रति शेयर आय (एस-20)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	201.08	335.97
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	40.04	40.04
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	5.02	8.39
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.8 लेखा मानक 21- समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.9 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/ देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विषय	आस्थगित कर अस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1. स्थायी अस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य	0.23	1.95
2. उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	172.08
3. धारा 36 (1)(8) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व	शून्य	शून्य	51.75	26.73
4. निवेशों हेतु एनपीए पर प्रावधान	8.45	शून्य	शून्य	शून्य
5. गंदे तथा संदेहजनक ऋणों हेतु प्रावधान (एनपीए)	250.31	शून्य	शून्य	शून्य
6. पुनःसंचनित मानक अस्तियों के अंकित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	15.79			
कुल	274.55	शून्य	51.98	200.76

10.6 AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

(i)	Mr. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director w.e.f. 04.02.2014
(ii)	Mr. Mukesh Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 05.08.2013
(iii)	Mr. Arvind Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 15.12.2015 & retired on 31.01.2017
(iv)	Mr. Fareed Ahmed	Executive Director w.e.f. 17.02.2017

a) Remuneration Paid to Key management personnel :**(Rs. in lacs)**

Name and Designation	2016-17	2015-16
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	28.02	20.88
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	23.61	17.87
Mr. Arvind Kumar Jain, Executive Director	19.33	5.05
Mr. Fareed Ahmed	2.57	-

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
Loans outstanding	NIL	NIL

c) Name of Related Party - Satluj Gramin Bank (An Associate)

Para 9 of AS 18 - Related Party Disclosures exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled. Hence, the transactions with the associated bank have not been disclosed.

10.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Net Profit After tax available for equity Shareholders	201.08	335.97
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	40.04	40.04
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	5.02	8.39
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

Head	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1 Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	0.23	1.95
2 Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	Nil	172.08
3 Special Reserve u/s 36(1)(viii)	Nil	Nil	51.75	26.73
4 Provision for NPA on Investments	8.45	Nil	Nil	Nil
5 Provision for Bad & Doubtful Debts (NPAs)	250.31	Nil	Nil	Nil
6 Provision for diminution in FV of Restructured Standard Assets	15.79			
Total	274.55	Nil	51.98	200.76

- 10.9.3 स्क्रिप तथा श्रेणी के अनुसार मूल्यांकन में अंतर को वर्तमान कर प्रावधानों के निर्णय पर पहुँचने के लिए प्रतिभूति के रु. 1009 करोड़ के मूल्यांकन को ध्यान में रखा गया है ताकि आयकर प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों को लागू किया जा सके।
- 10.9.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिंज बैनिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।
- 10.9.5 अपील प्राधिकारियों की निर्णायक निर्णय प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रु. 84.86 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 257.41 करोड़) की मांग के प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।
- 10.9.6 कर परामर्शदाताओं के अनुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान की संगणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) के अंतर्गत कटौतियों का दावा किया है जो कि रु. 487.40 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 332.04 करोड़) के गैर-ग्रामीण अग्रिमों को समायोजित किए बगैर बट्टे खाते डालने के संबंध में है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) में स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 36 (1)(VII) के अनुसार गैर-ग्रामीण अग्रिमों को अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालने से संबंधित है, लागू नहीं है।
- 10.10 **लेखा मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन**
बैंक के पास किसी प्रकार की अनुषंगी नहीं है। अतः एएस 23 लागू नहीं है।

10.11 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है, जैसे कि मजदूरी आदि तथा लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

10.12 लेखा मानक 28- आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28- में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां" माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाइयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2017 तक आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों के अनुसार समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.13 लेखा मानक 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

10.13.1 लेखा मानक - 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है:

- (क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- (ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि
- *यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके या
 - *देयता राशि का सटीक अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं संबंधी प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावा	0.06	0.06	1.47	0	0	0	1.53	0.06
इन्वोकड बैंक गारंटी	26.42	26.75	0.00	0.64	0.80	0.97	27.22	26.42
हस्तांतरित साख-पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.13.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

- 10.9.3 The difference between scrip-wise and category-wise valuation of securities to the tune of Rs.1009 crore has been taken into account for arriving at the current tax provisions so as to comply with the provisions of Income Tax Disclosure Standards (ICDS).
- 10.9.4 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.
- 10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income and Interest Tax aggregating to Rs.84.86 crore (Previous year Rs.257.41 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.
- 10.9.6 Based on the opinion of tax expert, the bank has claimed the deduction under section 36(1)(vii) of the Income Tax Act, 1961 in respect of write off of non-rural advances of Rs.487.40 crore (previous year Rs.332.04 crore) without adjusting the same with the unexhausted provision outstanding under section 36(1)(viia) of the Income Tax Act, 1961 holding that proviso read with Explanation-2 to section 36(1)(vii) is not applicable to the bad debts written off of non-rural advances.

10.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 23 is not applicable.

10.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2017, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	26.42	26.75	0.00	0.64	0.80	0.97	27.22	26.42
Invoked Bank Guarantees	0.06	0.06	1.47	0	0	0	1.53	0.06
L.C Devolved	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

10.13.3 Movement of other significant provisions has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

लाभ-हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2016-17	2015-16
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	1106.33	807.08
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-90.38	-29.78
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	-48.81	-39.79
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	0.34	31.90
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	19.38	0.47
अन्य प्रावधान	4.54	1.61
कर-निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	274.59	234.79
आस्थगित कर	-423.33	99.34
संपत्ति कर	0.00	0.00
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	203.96	-171.70
अन्य	-5.83	0.00
कुल	1040.79	933.92

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

	2016-17	2015-16
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 1,04,099.13 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2016-17	2015-16
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	102	93
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	4437	1569
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4453	1560
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	86	102

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

		2016-17	2015-16
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	शून्य	शून्य
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.1. Additional disclosures:

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2016-17	2015-16
Provision for Non Performing Advances	1106.33	807.08
Provision for Standard Assets	-90.38	-29.78
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	-48.81	-39.79
Provision for Non Performing Investments	0.34	31.90
Provision for Depreciation in the value of Investments	19.38	0.47
Other Provisions	4.54	1.61
Provision for Taxation:		
Current Tax	274.59	234.79
Deferred Tax	-423.33	99.34
Wealth Tax	0.00	0.00
MAT Credit Entitlement	203.96	-171.70
Others	-5.83	0.00
Total	1040.79	933.92

11.2 Movement of Floating Provisions

(Rs. in crore)

	2016-17	2015-16
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs. NIL lacs (previous year Rs.1,04,099.13) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2016-17	2015-16
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	102	93
b)	No. of Complaints received during the year	4437	1569
c)	No. of Complaints redressed during the year	4453	1560
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	86	102

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2016-17	2015-16
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	Nil
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2017	31.03.2016
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	21078.67	18740.92
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	24.64%	20.54%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2017	31.03.2016
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	12051.53	13228.12
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	20.00%	20.26%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2017	31.03.2016
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	13843.14	14818.01
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	16.87%	18.73%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2017	31.03.2016
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	1192.88	908.90

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2016			31.03.2017		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	8790.71	429.7	4.89%	9120.67	612.26	6.71%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	3333.72	782.36	23.47%	3168.13	741.65	23.41%
3.	सेवा क्षेत्र	5029.9	623.11	12.39%	4922.68	634.06	12.88%
4.	व्यक्तिगत ऋण	4375.58	225.69	5.16%	4918.96	303.97	6.18%
	उप-योग (क)	21529.91	2060.86	9.57%	22130.44	2291.94	10.36%

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2017	31.03.2016
Total Deposits of twenty largest depositors	21078.67	18740.92
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	24.64%	20.54%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. In crore)

	31.03.2017	31.03.2016
Total Advances to twenty largest borrowers	12051.53	13228.12
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	20.00%	20.26%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. In crore)

	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	13843.14	14818.01
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	16.87%	18.73%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. In crore)

	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure to top four NPA Accounts	1192.88	908.90

11.7 Sector-wise NPAs

(Rupees. In crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2016			31.03.2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	8790.71	429.7	4.89%	9120.67	612.26	6.71%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	3333.72	782.36	23.47%	3168.13	741.65	23.41%
3	Services	5029.9	623.11	12.39%	4922.68	634.06	12.88%
4	Personal loans	4375.58	225.69	5.16%	4918.96	303.97	6.18%
	Sub-total (A)	21529.91	2060.86	9.57%	22130.44	2291.94	10.36%

ख	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2	उद्योग	19736.28	1724.5	8.74%	17566.98	3191.41	18.17%
3	सेवा क्षेत्र	21989.88	358	1.63%	18214.45	678.70	3.73%
4	व्यक्तिगत ऋण	2021.15	85.7	4.24%	2351.21	135.54	5.76%
	उप-योग (ख)	43747.31	2168.2	4.96%	38132.64	4005.65	10.50%
	कुल (क+ख)	65277.22	4229.06	6.48%	60263.08	6297.59	10.45%

* बैंक उक्त प्रारूप में उस उप क्षेत्र के कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, का प्रकटीकरण कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि खनन क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उद्योग क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत खनन क्षेत्र में अलग से उक्त प्रारूप में प्रकट करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1 अप्रैल को सकल एनपीए. (अथ शेष)	4229.05	3082.19
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए.)	2900.06	1959.92
उप-योग (क)	7129.11	5042.11
घटा : i) उन्नयन	151.00	260.27
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	189.88	217.42
iii) बड़े खातों में डालना	490.64	335.37
iv) उक्त iii) के अतिरिक्त अन्य बड़े खाते में डाले गए	0.00	0.00
उप-योग ख,	831.52	813.06
31 मार्च को सकल एनपीए.(इति शेष) (क-ख)	6297.59	4229.05

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रुडेंशल बड़ा खातों का प्रारंभिक शेष)	1471.48	1178.30
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रुडेंशल बड़ा खाते	490.64	335.37
उप-योग (क)	1962.12	1513.67
घटा : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/प्रुडेंशल बड़ा खातों से की गई वसूली (ख)	52.49	42.19
31 मार्च को (इति शेष) (क-ख)	1909.63	1471.48

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
कुल आस्तियाँ	193.98	231.39
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	2.22	0.90

B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2	Industry	19736.28	1724.5	8.74%	17566.98	3191.41	18.17%
3	Services	21989.88	358	1.63%	18214.45	678.70	3.73%
4	Personal loans	2021.15	85.7	4.24%	2351.21	135.54	5.76%
	Sub-total (B)	43747.31	2168.2	4.96%	38132.64	4005.65	10.50%
	Total (A+B)	65277.22	4229.06	6.48%	60263.08	6297.59	10.45%

*Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

11.8 Movement of NPAs

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	4229.05	3082.19
Additions (Fresh NPAs) during the year	2900.06	1959.92
Sub-total (A)	7129.11	5042.11
Less: (i) Up-gradations	151.00	260.27
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	189.88	217.42
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	490.64	335.37
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	0.00	0.00
Sub-total (B)	831.52	813.06
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	6297.59	4229.05

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	1471.48	1178.30
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	490.64	335.37
Sub-total (A)	1962.12	1513.67
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	52.49	42.19
Closing balance as at March 31 (A-B)	1909.63	1471.48

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Assets	193.98	231.39
Total NPAs	0	0
Total Revenue	2.22	0.90

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रु. करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.11 अंतर्समूह जोखिम

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		संस्वीकृत ऋण / लिमिट राशि	शेष बकाया	संस्वीकृत ऋण / लिमिट राशि	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह जोखिम की कुल राशि	34.01	24.35	11.68	0.03
(ख)	शीर्ष 20 अंतर्समूहों के जोखिम की कुल राशि	34.01	24.35	11.68	0.03
(ग)	उधारियों/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में अंतर्समूह जोखिम का प्रतिशत	0.04	0.03	0.02	0.00
(घ)	अंतर्समूह जोखिम पर सीमा भंग का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीइएफ) हेतु अंतरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
डीइएफ हेतु अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	127.26	96.61
जमा : वर्ष के दौरान डीइएफ हेतु अंतरित राशि	12.40	30.65
घटा : डीइएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	3.01 *	शून्य
डीइएफ को अंतरित राशि का इति शेष	136.65	127.26

* मूल धन

11.13 वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 की शर्तों के अनुसार बैंक ने संघटकों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु रु. 0.46 करोड़ (विगत वर्ष रु. 1.07 करोड़) की राशि उपलब्ध की है।

12. चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(रु. करोड़ों में)

	समाप्त तिमाही	30.06.2016		30.09.2016		31.12.2016		31.03.2017	
		कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां								
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		1520210.77		1674904.61		1941706.09		1742061.19
नकदी प्रवाह									
2	फुटकर जमाएं तथा छोटे व्यवसायियों से जमाएं, जिनमें	4162677.71	415410.96	4271076.52	426219.69	4596924.25	458618.79	4887580.06	487165.08
(i)	स्थिर जमाएं	17136.12	856.81	17759.20	887.96	21472.64	1073.63	31858.49	1592.92
(ii)	घटा स्थिर जमाएं	4145541.59	414554.16	4253317.32	425331.73	4575451.61	457545.16	4855721.57	485572.16
3	अरक्षित थोक निधियन जिसमें	3395867.29	1447773.41	3315576.54	1453118.58	3114081.55	1439944.03	3052835.12	1360322.19
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	3395867.29	1447773.41	3315576.54	1453118.58	3114081.55	1439944.03	3052835.12	1360322.19
(iii)	अरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
NIL	NIL	NIL	NIL

11.11 Intra-Group Exposures

S.No.	Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
		Sanc Loan/ limit	Balance O/s	Sanc Loan/ limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	34.01	24.35	11.68	0.03
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	34.01	24.35	11.68	0.03
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.04	0.03	0.02	0.00
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL	NIL	NIL

11.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of amounts transferred to DEAF	127.26	96.61
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	12.40	30.65
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	3.01 *	Nil
Closing balance of amounts transferred to DEAF	136.65	127.26

* Principal Amount

11.13 During the year, in terms of RBI Circular No. DBOD.No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dt. 15.01.2014, the Bank has provided an amount of Rs.0.46 cr. (Previous Year Rs.1.07 cr.) towards Unhedged Foreign currency Exposure Based on the details furnished by the constituents.

12. Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in crore)

		30.06.2016		30.09.2016		31.12.2016		31.03.2017	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		1520210.77		1674904.61		1941706.09		1742061.19
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	4162677.71	415410.96	4271076.52	426219.69	4596924.25	458618.79	4887580.06	487165.08
(i)	Stable Deposits	17136.12	856.81	17759.20	887.96	21472.64	1073.63	31858.49	1592.92
(ii)	Less stable deposits	4145541.59	414554.16	4253317.32	425331.73	4575451.61	457545.16	4855721.57	485572.16
3	Unsecured wholesale funding of which	3395867.29	1447773.41	3315576.54	1453118.58	3114081.55	1439944.03	3052835.12	1360322.19
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	3395867.29	1447773.41	3315576.54	1453118.58	3114081.55	1439944.03	3052835.12	1360322.19
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

4	संरक्षित थोक निधियन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अनिवार्यताएं, जिसमें	628385.75	81849.91	660752.76	78362.82	733427.78	87251.43	735521.28	86631.80
(i)	व्युत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्गमन तथा अन्य संपादित आवश्यकताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चल निधि सुविधाएं	628385.75	81849.91	660752.76	78362.82	733427.78	87251.43	735521.28	86631.80
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	466233.86	13990.42	467288.57	14021.99	453675.38	13612.81	499683.90	14993.07
8	कुल नकदी प्रवाह		1959024.70		1971723.08		1999427.06		1949112.14
नकदी अंतः प्रवाह									
9	प्रतिभूत ऋण (यथा रिवर्स रेपो)	13333.33	6666.67	43283.33	10000.00	99666.67	4166.67	31866.67	0.00
10	पूर्ण अर्जक जोखिमों से अंतःप्रवाह	22562.66	17743.16	40732.60	28614.98	68836.69	46888.72	167084.45	96945.68
11	अन्य नकदी अंतःप्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कुल अंतः नकदी प्रवाह	35895.99	24409.83	84015.93	38614.98	168503.36	51055.38	198951.12	96945.68
13	कुल एच.व्यू.एल.ए.		1520210.77		1674904.61		1941706.09		1742061.19
14	कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह		1934614.87		1933108.10		1948371.68		1852166.46
15	चलनिधि व्यापि अनुपात (%)		78.58		86.64		99.66		94.06

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2015-16	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1.	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) जो किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहाँ आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है।

4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	628385.75	81849.91	660752.76	78362.82	733427.78	87251.43	735521.28	86631.80
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	628385.75	81849.91	660752.76	78362.82	733427.78	87251.43	735521.28	86631.80
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	466233.86	13990.42	467288.57	14021.99	453675.38	13612.81	499683.90	14993.07
8	Total Cash Outflows		1959024.70		1971723.08		1999427.06		1949112.14
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	13333.33	6666.67	43283.33	10000.00	99666.67	4166.67	31866.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	22562.66	17743.16	40732.60	28614.98	68836.69	46888.72	167084.45	96945.68
11	Other Cash Inflows	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Total Cash Inflows	35895.99	24409.83	84015.93	38614.98	168503.36	51055.38	198951.12	96945.68
13	TOTAL HQLA		1520210.77		1674904.61		1941706.09		1742061.19
14	Total Net Cash Outflows		1934614.87		1933108.10		1948371.68		1852166.46
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		78.58		86.64		99.66		94.06

13. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	2016-17		2015-16	
		Principal Amount	Interest	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	NIL	NIL	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL	NIL	NIL

14. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000छोड़कर)

विवरण	2016-17	2015-16
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	2010842	3359724
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	10407936	9339228
मूल्यहास (निवल)	288331	169064
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1860	-397
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1341047	1290700
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	14050016	14158319
समायोजन हेतु		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	-57098026	45352479
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-2305759	-2092164
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-4338916	1562076
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	-3231836	-36708507
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	45238931	-8132817
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	2597104	-4843972
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	-5088486	9295414
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-196551	-379298
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1860	397
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-198411	-378901
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गौण बांड को जारी करना	5000000	0
गौण बांड का मोचन	-1500000	0
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1341047	-1290700
इक्विटी पर लाभांश	0	-660678
लाभांश आबंटन कर	0	-134499
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	2158953	-2085877
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-5088486	9295414
निवेश गतिविधियों से नकदी	-198411	-378901
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	2158953	-2085877
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	-3127944	6830636
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	49025709	42195073
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	45897765	49025709

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2017

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2016-17	2015-16
(A) Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	2010842	3359724
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	10407936	9339228
Depreciation	288331	169064
Profit on sale of Assets	1860	-397
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1341047	1290700
Operating Profit before working capital changes	14050016	14158319
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	-57098026	45352479
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2305759	-2092164
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-4338916	1562076
(Increase) / Decrease in Investments	-3231836	-36708507
(Increase)/ Decrease in Advances	45238931	-8132817
(Increase) / Decrease in Other Assets	2597104	-4843972
Cash Flow from Operating Activities (A)	-5088486	9295414
(B) Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-196551	-379298
Profit on sale of Assets	-1860	397
Cash Flow from Investing Activities (B)	-198411	-378901
(C) Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Subordinated Bonds	5000000	0
Redemption of Subordinated Bonds	-1500000	0
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1341047	-1290700
Dividend on Equity	0	-660678
Dividend Distribution Tax	0	-134499
Cash Flow from Financing Activities (C)	2158953	-2085877
Cash from Operating Activities	-5088486	9295414
Cash from Investing Activities	-198411	-378901
Cash from Financing Activities	2158953	-2085877
Increase in Cash & Cash Equivalents	-3127944	6830636
Cash and Bank Balances (Opening)	49025709	42195073
Cash and Bank Balances (Closing)	45897765	49025709

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

एस.आर.मेहर
निदेशक

पी.के. जेना
निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

एस.पी. बबूता
निदेशक

एम.एस.सारंग
निदेशक

जी.एस.ढल्ल
महाप्रबंधक

डी.डी.शर्मा
महाप्रबंधक

वरिंदर गुप्ता
महाप्रबंधक

एस.सी. क्वात्रा
महाप्रबंधक

आर.के. बंसल
महाप्रबंधक

जी.एस. ढींगरा
महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
उप महाप्रबंधक

ए.एस.आहूजा
सहायक महाप्रबंधक

चन्द्र मोहन सिंह
मुख्य प्रबंधक

कृते तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते ढिल्लों एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(संदीप संदिल)

साझेदार

एम.नं. 085747

एफआरएन 002870एन

(राजेश मल्होत्रा)

साझेदार

एम.नं. 090661

एफआरएन 002783एन

कृते धवन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(आई.जे. धवन)

साझेदार

एम. नं. 081679

एफआरएन 002864एन

(दविन्दर पाल सिंह)

साझेदार

एम.नं. 086596

एफआरएन 007601एन

दिनांक: 16 मई, 2017

स्थान: नई दिल्ली

JATINDERBIR SINGH
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

S. R. MEHAR
DIRECTOR

P.K.JENA
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

S. P. BABUTA
DIRECTOR

M. S. SARANG
DIRECTOR

G.S. DHALL
GENERAL MANAGER

D.D. SHARMA
GENERAL MANAGER

VARINDER GUPTA
GENERAL MANAGER

S. C. KWATRA
GENERAL MANAGER

R. K. BANSAL
GENERAL MANAGER

G. S. DHINGRA
GENERAL MANAGER

V.K. MEHROTRA
DEPUTY GEN. MANAGER

A.S.AHUJA
ASSTT.GEN. MANAGER

CHANDER MOHAN SINGH
CHIEF MANAGER

For Tiwari & Associates
Chartered Accountants

For Dhillon & Associates
Chartered Accountants

(Sandeep Sandill)
Partner
M. No. 085747
FRN : 002870N

(Rajesh Malhotra)
Partner
M. No. 090661
FRN : 002783N

For Dhawan & Co.
Chartered Accountants

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants

(I. J. Dhawan)
Partner
M. No. 081679
FRN : 002864N

(Davinder Pal Singh)
Partner
M. No. 086596
FRN : 007601N

Dated: May 16, 2017
Place: New Delhi

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय-21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

अनुबंध "A"

घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)

मैं,.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

.....यह पुष्टि करता हूँ कि -

- क. मैं एक शेयर धारक हूँ जिसके पास दिनांक 26 मई, 2017 को ईक्विटी शेयर है (अर्थात) चुनाव में सहभागिता करने हेतु अंतिम तिथि।
- ख. मैं जिन व्यवहारिक अनुभव की विशेष जानकारी रखता हूँ (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहभागिता (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा..... (विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के अभिमत है बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं जमाकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का प्रतिनिधित्व नियम के सेक्शन 9 की उप धारा 3 ए के अनुसार करता हूँ और साक्ष्य के रूप में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ।
- ग. मैं नामांकन क्रम.....को स्वीकार करता हूँ और
- घ. मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और
- ड. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत मैं बैंक के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हूँ, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) नियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठक) विनियम 2008 के अधीन अयोग्य नहीं हूँ और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए "फिट एवं प्रोपर" मानदण्डों पर खरा हूँ, देखे दिनांक 01.11.2017 के परिपत्र संख्या डीबीओडी. नं. बीसी नं. 46/29.39.001/2007-2008 तथा 47/29.39.001/2007-08 तथा दिनांक 23.05.11 का परिपत्र संख्या डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 95/29/39/001
- च. मैं किसी भी कार्यालय से लाभ प्राप्त नहीं करता हूँ और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक विधि सम्मत सेक्शन 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक नियम 1955, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) नियम, 1959 के सेक्शन 3 में दिए गए नियमों के तहत किसी बैंक का कार्मिक हूँ।
- छ. निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दिनांक 18 मई 2017 के नोटिस में दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूँ।
- ज. मैं घोषित करता हूँ कि मैं आकस्मिक तथ्यों के विषय में बैंक को जितना शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो कि यहां दी गई जानकारी से संबंधित हो और बैंक के निदेशक चुने जाने पर शपथपत्र के विलेख का निष्पादन करूंगा।

नाम	
पंजी. पन्ना नं. (अभौतिक नहीं है)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक:	
हस्ताक्षर	
संपर्क नंबर	
पता/ई-मेल पता	

उक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है

(न्यायधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार

के मुहर सहित हस्ताक्षर या

किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक या किसी

राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)

मुहर सहित हस्ताक्षर एवं तिथि

*जो लागू न हो उसे काट दें

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

Annexure-‘A’

FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

I, _____ son / daughter /wife of Shri _____ a resident of _____ hereby confirm that:

- I am a Shareholder holding _____ equity shares of the Bank as on 26th May, 2017 (i.e.), the Cut-Off date for participating in the Election.
- *I have special knowledge or practical experience in [i] **agriculture and rural economy**, [ii] **banking** [iii] **co-operation** [iv] **economics** [v] **finance** [vi] **law**, [vii] **small scale industry**, or _____ [special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the **depositors or farmers, workers and artisans**, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- I accept the nominations numbering _____ and
- I am willing to contest the election for Director of Punjab & Sind Bank, and
- I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 and "Fit and Proper" criteria as laid down by Reserve Bank of India vide Circular No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.5.2011 and extant GOI guidelines for selection of part time Non-Official Director..
- I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks) Act, 1959.
- I hereby confirm having gone through the contents of the notice dated 18th May 2017 for election of directors. A copy of my profile giving details of age, qualifications, experience etc. is enclosed.
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon my election as a director of the Bank.

Name	
Regd. Folio No. [If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place:	
Date:	
Signatures:	
Contact No.:	
Address/email address:	

The above declaration was signed before me.

(Signature with seal of the Judge, Magistrate, Registrar/ Sub-Registrar of Assurances or any other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India, Punjab & Sind Bank or any Nationalised Bank.)

Signature with seal & Date.

*Delete whichever is not applicable.

बैंक का नाम		पंजाब एण्ड सिंध बैंक	
उम्मीदवार द्वारा घोषणा एवं वचन			
(..... के अनुसार उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)			
I उम्मीदवार का व्यक्तिगत ब्यौरा			
क.	पूरा नाम		
ख.	जन्म तिथि		
ग.	शैक्षिक योग्यता		
घ.	संबंधित पृष्ठभूमि तथा अनुभव		
ङ.	स्थायी पता		
च.	वर्तमान पता		
छ.	ई-मेल पता/टेलिफोन नंबर		
ज.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन न. तथा आयकर सर्कल का नाम व पता		
झ.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा 9 3-ए) अधिनियम 1970, 1980		
ड.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई जानकारी		
II उम्मीदवार के रिश्तों संबंधी जानकारी			
क.	बैंक से संबंधित रिश्तेदारों की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 तथा अनुसूची 1 ए देखें)		
ख.	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका हित हो (देखें. खण्ड 299 (3) तथा धारा 300		
ग.	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका पर्याप्त हित हो (बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार		
घ.	बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य है (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)		
ङ.	उनके द्वारा तथा/अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फंड तथा नॉन फंड सुविधाएं यदि कोई है तो		
च.	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूककर्ता हैं या बैंक से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं के मामलों में चूककर्ता रही हैं		
III व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड			
क.	व्यवसायिक उपलब्धियों से संबंधित		

Name of Bank		PUNJAB & SIND BANK
Declaration and Undertaking by Candidate*		
(with enclosures as appropriate as on _____)		
I.	Personal details of Candidate	
a.	Full name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address / Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of Candidate	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant	

IV उम्मीदवार के विरुद्ध, यदि कोई है, कार्रवाई		
क	यदि कोई उम्मीदवार व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यवसाय में किसी समय उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण दें।	
ख	अभियोग का विवरण, निदेशक तथा/उपरोक्त मद II (ख)(ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
ग	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरुद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
घ	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।	
ङ	क्या उम्मीदवार या उपरोक्त मद II(ख) तथा (ग) का कोई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है	
च	क्या उम्मीदवार को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनों को भंग करने का दोषी पाया गया है? यदि हाँ, विवरण दें।	
छ	क्या उम्मीदवार को किसी भी समय सेबी,आईआरडीए,डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है। (यद्यपि, उम्मीदवार के लिए नियामकों द्वारा सामने लाए गए तथ्यों तथा आदेशों के विषय में उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है जोकि बाद में प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दिए जाएंगे तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा यदि किसी कारण प्रत्यावर्तन/निरस्तीकरण तकनीकी कारणों जैसे परिसीमा अथवा क्षेत्राधिकार की कमी आदि और गुण-दोष के आधार पर नहीं, नियामक के आदेश को अस्थायी रूप से अस्थगित कर दिया जाता है और अपील/अदालती कार्रवाई लंबित हैं तो उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए।)	
V	उपरोक्त मद संख्या I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।	

वचन

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूंगा।

स्थान:

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

VI. बैंक की नामांकन समिति की टिप्पणी

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

IV.	Proceedings, if any, against the Candidate	
a.	If the Candidate is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
d.	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
e.	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/ foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g.	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of juris-diction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and Other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :
Date :

Signature of Candidate

VI. Remarks of Nomination Committee of the Bank

Place :
Date :

Signature

नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

महोदय,

निदेशकों के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक 18.05.2017 के नोटिस के संदर्भ में, मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक का 10/-रु. प्रति शेयर के साम्य शेयर पूंजी का धारक हूँ तथा दिनांक 26 मई, 2017 दिन शुक्रवार (अर्थात्) चुनाव में सहभागिता करने हेतु अंतिम तिथि पर एतद् द्वारा श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी को दिनांक 29.06.2017 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार बैंक के शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत करता हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
रजि. पन्ना नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डी पी आई डी नं. एवं ग्राहक आई डी. नं. (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक:	

टिप्पणियां :

- किसी कॉर्पोरेट निकाय के नामांकन के मामले में, नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जोकि बैठक के अध्यक्ष द्वारा उक्त बैठक में हस्ताक्षरित है जिसमें इसको पारित किया गया, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल करने चाहिए।
- यदि उपरोक्त मदों को खाली छोड़ दिया जाता है या संबंधित विवरण सही नहीं पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

NOMINATION FORM

To

The Chairman & Managing Director/ Executive Director,

Punjab & Sind Bank

Head office: 21 Rajendra Place, New Delhi-110 008.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your notice dated **18.05.2017** I, _____ a shareholder of Punjab & Sind Bank holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on Friday, the 26th May, 2017 (i.e) the Cut-Off date for participating in the Election do hereby nominate Shri/ Smt. _____ son/ daughter/wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Punjab & Sind Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the 7th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 29.06.2017:

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- * In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
- * Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
- * If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक) 29.06.2017

फार्म 'बी' प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

अनुबंध "D"

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ का/की/के हैं जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद् द्वारा
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
मंगलवार, दिनांक 29 जून 2017 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वार्षिक आम बैठक में जोकि इंडिया इंटरनैशनल सेंटर,
40-मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली -110003 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से
मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... माह के दिन 2017 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.

शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी
टिकट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम व पता:

प्रथम/एकल नामित शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम व पता:

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - व्यक्ति शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वसन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी के साथ: क. अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या ख. नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की प्रति **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008** को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् **शुनिवार 24 जून 2017** (5.00 बजे सायंकाल) को कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 29.06.2017

FORM 'B' PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

Annexure-‘D’

I/We.....Resident of.....in the district of
..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind
Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district of
.....in the State of or failing him/her, Shri/Smt resident
of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/
us and on my / our behalf at the Seventh Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Thursday, the 29th
June, 2017** at 10.00 A.M. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi – 110 003 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2017

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name & Address:

Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address:

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with : (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, Head Office Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Saturday, the 24th day of June, 2017**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय-21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

अनुबंध "E"

उपस्थिति पर्ची

सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक

इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग,

लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003

बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 प्रातः 10.00 बजे

(कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दें)

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास

सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक

(इस प्रवेश पर्ची को बैठक के दौरान सुरक्षित रखा जाए)

इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग,

लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003

बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट- मतदान की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ATTENDANCE SLIP

SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

INDIA INTERNATIONAL CENTRE, 40-MAX MUELLER MARG,

LODI ESTATE, NEW DELHI – 110 003

THURSDAY, JUNE 29, 2017, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

INDIA INTERNATIONAL CENTRE, 40-MAX MUELLER MARG,

LODI ESTATE, NEW DELHI – 110 003

THURSDAY, JUNE 29, 2017, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.



NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

महाप्रबंधक / General Managers



श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava



श्री दीपक मैनी
Sh. Deepak Maini



श्री जी.एस. ढल्ल
Sh. G.S. Dhall



श्री डी.डी. शर्मा
Sh. D.D. Sharma



श्री वीरेन्द्र गुप्ता
Sh. Varinder Gupta



श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra



श्री जी.एस. नारंग (प्रतिनियुक्ति पर)
Sh. G.S. Narang (On Deputation)



श्री आर. के. बंसल
Sh. R.K. Bansal



श्री जी.एस. धींगरा
Sh. G.S. Dhingra

उत्कृष्टता पुरस्कार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने एमएसएमई निधियन में बैंक के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री अरविंद कुमार जैन, ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री कलराज मिश्रा जी के कर-कमलों से ग्रहण किया।

Award of Excellence

An Award of Excellence for outstanding performance of the Bank in MSME funding conferred on the Bank. The award was received by Sh. Arvind Kumar Jain, Executive Director, Punjab & Sind Bank from Sh. Kalraj Mishra, Hon'ble Union Minister for Micro, Small & Medium Enterprises, GOI.

राजभाषा शील्ड

भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिन्दरबीर सिंह (आई.ए.एस.) को राजभाषा शील्ड प्रदान की।

Rajbhasha Shield

For Excellent publication of Hindi Magazine- "Rajbhasha Ankur" by the Bank, the then Governor of Reserve Bank of India, Dr. Raghuram Rajan presented Rajbhasha Shield to Sh. Jatinderbir Singh, IAS Chairman & Managing Director.



बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार

बैंक ने माइक्रो क्रेडिट में योगदान के लिए बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन तथा महाप्रबंधक श्री जी.एस. ढल्ल ने ग्रहण किया।

Banking Excellence Award

Banking Excellence Award for Bank's Contribution to Micro Credit conferred on the Bank. Sh. Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of State for Finance and Corporate Affairs presented the award to Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director and Sh. G.S.Dhall, General Manager.

बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार

बैंक ने बीसी मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन ने केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी से ग्रहण किया।

Banking Excellence Award

Banking Excellence Award for performance of the Bank in Financial Inclusion through BC model conferred on the Bank. Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director received the award from Sh. Suresh Prabhakar Prabhu, Hon'ble Union Minister for Railways.

१९ श्री हरिवरु नो बी इंडिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110 008



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21 Rajendra Place, New Delhi-110008

वेबसाइट / Website: www.psbindia.com